राजस्थान विधान सभा का कार्य विवरण

अङ्क ११ | द्वितीय विधान सभा के ग्यारहवें सत्र, १६६१ का प्रथम दिवस | संख्या १

सोमवार, दिनांक ११ सितम्बर १६६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर २ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रराम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, उद्योग, राजस्व, विद्युत, समाज कल्याण, सार्वजनिक निर्माण एवं खनिज विभाग]

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

प्राइमरी स्कूलों का मिडल स्कूलों में परिवर्तन--- तहसील देवली

१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम धाड़, निवारीया, गुराई तहसील देवली की प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में परिणित करने के

लिये जिला परिषद् टोंक ने सरकार को सिफारिश की थी ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या उपरोक्त सिफारिश पर कोई निर्णय ले लिया गया ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं । ग्राम धाड़, निवारीया एवं गुराई तहसील देवली की प्राइमरी स्कूलों को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने की कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई। केवल ग्राम धाड़ की प्राइमरी पाटशाला को माध्यमिक पाठशाला में परिवर्तन करने की जिला परिषद् द्वारा मार्च १९६१ में अवश्य सिफारिश की गई थी।

(२) उपरोक्त सिफारिश पर निर्णय ले लिया गया है और प्राइमरी पाटशाला धाड़ को माध्यमिक शाला में परिवर्तित कर दिया गया है।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : प्राथमिक शाला को मिडिल स्कूल में परिवर्तित करने के क्या तरीके हैं सरकार के ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लड़कों की संख्या, कितनी दूरी पर दूसरा मिडिल स्कूल है,

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

भवन की सुविधा कैसी है—इन सब बातों का विचार करते हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब यह क्राइटेरिया है--लड़कों की संख्या भवन की सुविधा: तो क्या आप यह नहीं सोचते कि एक एक मील के ऊपर आज प्राइमरी स्कूल को माध्यमिक शाला बना दिया जाता है, जब कि दस दस मील पर प्राइमरी स्कूल के अलावा मिडल स्कूल नहीं है, वहां पर आप माध्यमिक शाला क्यों नहीं खोलते, जैसे निवारिया है, जहां की जनसंख्या ढाई हजार है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया जहां भवन की सुविधा पूरी हो, लड़कों की संख्या काफी हो, जो और शर्तें हैं वे पूरी हों, तब वहां पर खोलने का विचार किया जा सकता है । आपने किस स्थान के लिए कहा कि एक एक मील पर स्कूल है, इसकी जानकारी नहीं है । फिर भी एक मील पर दो बड़े गांव हों, जिनकी जनसंख्या चार हजार, पांच हजार की हो, वहां पर एक मील में दो स्कूल खोले जा सकते हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैंने निवेदन किया कि जनसंख्या चार हजार की नहीं बल्कि चार सौ, पांच सौ की पोपूलेशन है । पंचाल और चौरू में एक मकान नहीं है, फिर भी चौरू में खोल दिया गया है । इसके अलावा जहां पर भवन मौजूद हैं, जहां पर लड़कों की संख्या काफी है और जहां के लोगों ने दरख्वास्त कर दी है, जैसे गुराई और निवारिया, वहां पर नहीं खोला गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हम इसकी जांच कर लेंगे । अगर ऐसा हुआ है तो उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

राज्य की कॉटन और आइस फैक्ट्रीज़ का विक्रय

२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि सितम्बर, १६५७ में कॉटन और आइस फैक्ट्रीज के विक्रय के लिये टैण्डर नोटिस निकाला गया था ? यदि हां, तो कितने दिन का और किन किन फैक्ट्रीज का ? कृपया टैण्डर नोटिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) कितने टेण्डर्स आये और किन किन फैक्ट्रीज को, किन किन व्यक्तियों को कितने कितने रुपयों में इनको बेचा गया और कब ?

(ग) क्या इस विक्रय में टैण्डर की शर्तों में परिवर्तन किया गया ? यदि हां, तो क्या और क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि इन फैक्ट्रियों की बिक्री की रकम सन् १६५५ में ऑफर की हुई रकम से कम है ? यदि हां, तो कितनी और इस हालत में उनको सन् १६५५ में क्यों नहीं बेचा गया ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) हां, निम्न १२ फैक्ट्रीज़ के लिए टेन्डर भिन्न भिन्न सामाचार पत्रों में १८ अगस्त से २४ अगस्त सन् १६५७ के बीच में प्रकाशित हुए थे । टेन्डर प्राप्त होने की

Page No.3

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

अन्तिम तिथि ६ सितम्बर थी। टेन्डर नोटिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है :

१. कॉटन जीनिंग एवं प्रेसिंग फेक्ट्री, छोटी सादड़ी

२. ,, ,, ,, शाहपुरा

३. ,, ,, ,, कपासन

४. ,, ,, ,, चित्तौड़गढ़

५. ,, ,, ,, भीलवाड़ा

६. ,, ,, ,, गुलाबपुरा

७. कॉटन प्रेस, पेच की बावड़ी, बूंदी

८. कॉटन प्रेस मंडावर महुआ रोड, जयपुर

९. काटन जीनिंग एवं प्रेसिंग एवं आइस फैक्ट्री, टोंक

१०. स्टेट आइस मील, कोटा

११. आइस एण्ड एरीएटेड वाटर फैक्ट्री, बीकानेर

१२. आइस फैक्ट्री, डूंगरपुर

(ख) २५ टैण्डर प्राप्त हुए। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जो फैक्ट्रियां सहकारी समितियों को बेची गई उनके लिए यह रियायत दी गई कि वह अपनी बकाया रकम १ वर्ष के बजाय दो वर्ष में जमा कर सकती हैं।

(घ) जी हां, इन फैक्ट्रियों की बिक्री की रकम सन् १९५५ में ऑफर की हुई रकम से कम है और वह ३४८०० रुपयों की धनराशि है। १९५५ में यह निर्णय किया कि इन फैक्ट्रियों को २० वर्ष की लीज़ पर देने की सूरत में रकम ज्यादा मिलेगी अतः बेचा नहीं गया।

(कृपाया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : १९५७ में इन फैक्ट्रीज को लीज़ पर दिया गया या, आउट राइट सेल की गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं। मैंने निवेदन किया कि १९५७ में और उसके बाद बेच दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन यह है कि इनकी आउट राइट सेल हुई या आपके निर्णय के अनुसार २० साल की लीज़ पर दिया गया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं, लीज़ पर नहीं दी गई। १९५५ के अन्दर जो रकम टेन्डर की आई थी, उसको कम समझा गया। उसके बाद यह तय किया गया कि लीज़ पर दी गई तो १० साल की लीज़ पर ज्यादा रकम प्राप्त हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को लीज़ पर देने की बात की थी उन्होंने लेना स्वीकार नहीं किया। चुनांचे यह निर्णय किया गया कि इन्हें बेच दिया जाय। १९५७ में फिर टेन्डर नोटिस निकाला कि बेचा जाय।

श्री भैरोंसिंह : १९५५ में जो ऑफर की गई वह ऑफर आउट राइट सेल के लिए थी और उसके बाद १९५७ में टेन्डर इन्वाइट किये गये, उसमें तीन लाख रुपये की कम ऑफर आई। उस स्थिति में सरकार ने उस समय डिस्पोज़ ऑफ करने का निर्णय क्यों लिया?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह नहीं था। १९५५ के अन्दर जिस वक्त इन फैक्ट्रीज़ की ऑफर आई उस तय किया गया कि दरअसल में ऑफर कम है, इसलिए आउट राइट सेल न किया जाकर लीज पर दिया जाय। उस अवस्था में लीज़ पर देने की कार्यवाही की गई। तो पार्टीज़ ने, जिन्होंने लीज लेने के लिए कहा था, लेने से इन्कार कर दिया। उसके बाद में यह निर्णय किया गया कि ऐसी सूरत में बेच दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि १९५५ में जब रकम कम आने से आपने उसको लीज़ पर दिये जाने का निर्णय किया तो १९५७ में जब यह रकम उस रकम के मुकाबले में तीन लाख रुपये कम आई तो उस समय यह क्यों निर्णय लिया गया कि घाटे में आकर भी उन फैक्ट्रीज़ को सरकार को डिस्पोज़ ऑफ करना चाहिए?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कब कहा कि तीन लाख की रकम कम आई?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि तीन लाख रुपये की रकम कम आई?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि ३४,००० हजार रुपये का लोस रहा.......

श्री भैरोंसिंह : कितने का?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ३४,००० का।

श्री भैरोंसिंह : आपने लिखा हुआ उत्तर दिया है, उसमें तीन लाख बताया गया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह करेक्ट नहीं था। करेक्ट में बता सकता हूं। १९५७ में जो हमें आफर्स मिली थीं, उससे करीब करीब २ लाख और ३५ हजार की तो ज्यादा ऑफर आई बनिस्बत १९५५ के। इसके एक्जेक्ट फिगर्स यह हैं कि २,३३,५२६ और वह इन फैक्ट्रीज की है, जिनिंग फैक्ट्री टोंक, आइस फैक्ट्री टोंक, जिनिंग फैक्ट्री छोटी सादड़ी, आईस फैक्ट्री डूंगरपुर, आईस एण्ड एरीएटेड वाटर फेक्ट्री बीकानेर, कॉटन प्रेस मंडावर। चुनांचे इनकी रकम १९५५ की आफर से, जो बाद में बेची गई, वह २,३३,५२६

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

की है। जो एक साल वर्क हुआ, उसका प्रोफिट हुआ है वह ८,६७,५७७ का हुआ है। इससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ है वह ३४,००० का हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : नुकसान की बात तो बता दी पर मेरा क्वेश्चन यह है कि जिस समय अच्छी रकम आ रही थी उस समय तो आपने पोस्टपोन कर दिया और जिस समय रकम कम आई उस समय आपने डिस्पोज़ ऑफ किया, ऐसा क्यों किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने अर्ज किया कि कुछ में कम रकम आई और कुछ में ज्यादा रकम आई। हर आदमी कोशिश यही करता है कि उसके माल की ज्यादा कीमत आये, पर जब ज्यादा रकम नहीं आती है तो दूसरा चारा नहीं था सिवाय इसके कि उसको बेच दिया जाता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि प्रारम्भ से ७५ आदमियों के टेन्डर्स आये थे और जिस समय डिस्पोज ऑफ किया उस समय केवल २५ आदमियों के ही टेन्डर आये थे। इसकी वजह यह थी कि टाइम कम था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : टाइम तो मैंने बता दिया है कि कम नहीं था, किसी में १२ दिन का टाइम था, किसी में १५ दिन का टाइम था, किसी में २० दिन का टाइम था और किसी में २२ रोज का टाइम रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसे आदेश दिये थे कि टेन्डर नोटिस में दो महीने का टाइम दिया जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसे आदेश नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह : यह आपने जो प्रतिलिपि दी है उसमें इस प्रकार के आदेश हैं।

(विराम)

क्या जिन सहकारी समितियों को इन्हें दिया गया है, उनके टेन्डर्स थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नहीं, मैं यह तो नहीं कह सकता कि उनके टेन्डर्स थे या नहीं थे, पर हाइयेस्ट टेन्डर थे उनसे कम में नहीं दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : टेन्डर्स के अलावा लोगों को भी फैक्ट्रीज दी हैं या जिनके टेन्डर्स थे उनको ही फैक्ट्रीज़ दी गई हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिनके हाइयेस्ट टेन्डर्स थे उनको दी गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : सहकारी समितियों के लिये एक साल के बजाय दो साल में पेमेंट करने का रिलेक्सेशन किया है वह टेन्डर्स ऑफर करने से पहले किया या बाद में किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बाद में किया।

श्री भैरोंसिंह : क्या टेन्डर्स ऑफर करने के बाद में किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : देते समय ऐसा निर्णय किया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पेमेंट करते समय सुविधा हो जाय इसलिये एक साल के बजाय दो साल में पेमेंट करने का रिलेक्सेशन किया।

Page No.6

श्री भैरोंसिंह : यह रिलेक्सेशन किस आधार पर किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह उनकी मांग थी।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि ५५ से ५७ तक कई फैक्ट्रीज़ में लाभ भी हो रहा था तो फिर इनको घाटे में क्यों बेचा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अधिक लाभ नहीं हो रहा था। दो साल में मुश्किल से ३०-३५ हजार बचे हैं। लिस्ट को देखने से पता चलेगा कि यह बहुत नेग्लिजेबल प्रोफिट है, इसलिये हमने बेचने का निर्णय किया। बहुत सी में नुकसान भी हो रहा था This was done the concurre- nce of Finance Department.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि १३ फैक्ट्रीज़ के ५७ में आउट राइट सेल के कारण ३ लाख का घाटा हुआ····

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कह दिया कि ३४ हजार का ही घाटा हुआ है, फिर भी आप ३ लाख के घाटे की ही बात कह रहे हैं। I cannot put my thhings into your mouth.

श्री भैरोंसिंह : १३ फैक्ट्रीज़ का आउट-राइट सेल हुआ है उसके कारण ३ लाख का नुकसान हुआ है, टोटल कितना घाटा हुआ है इसके फीगर्स आप नहीं दे सकते।

श्री रिखबखन्द धारीवाल : टोटल की तो बात मैंने बताई है। ५७ में सब फैक्ट्रीज़ का सेल हो चुका था उसके बाद वर्किंग लीज़ में हुआ है, उस सबको मिलाकर ३४ हजार का घाटा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

नाडी का अलॉटमेंट–तहसील देवली

३. **रावराजा श्रीसरदारसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील देवली के ग्राम धाकड़ियावास, तहसील देवली के कांकड़ पर कोई नाडी थी और वह आस-पास के बहुत से ग्रामों के मवेशियों के पानी पीने के उपयोग में आती थी ?

( ) अगर हां, तो क्या अब भी वह उपयोग में आती है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त नाडी को अलॉट कर दिया गया है ? अगर हां, तो किसको और किन कारणों से ?

(४) क्या जनता ने उपरोक्त नाडी को अलॉट नहीं करने की सरकार के पास प्रार्थना की थी ? अगर हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उटता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने कहा, 'जी नहीं' तो क्या वह नाडी पशुओं के पानी पीने के लिये काम में नहीं आती ?

Page No.7

श्री दामोदरलाल व्यास : उसी का तो जवाब दिया है, 'जी नहीं'। आप पूछ रहे हैं वहां नाडी नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप छोटे छोटे गांवों में नहीं जाते हैं, मैं जाया करता हूँ। वहां नाडी मौजूद है, मैं देख कर आया हूँ और आप कहते हैं कि वहां नाडी नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : फर्क इतना है कि आपको गांव का नाम सही याद नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पंचायत गैरोली में धाकड़ियावास गैरोली का मौजा है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : गोचर, ओरण, नाड़ियां वगैरह पशुओं के काम में आती हैं इसलिये इनको अलॉट नहीं किया जाना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष : गोचर, नाड़ियां वगैरह को काश्त के लिये नहीं देना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई गोचर, ओरण, नाडी को काश्त के लिये नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुदयाल पुरोहित।

चाकसू तहसील में बिजली की व्यवस्था

४. **श्री प्रभुदयाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सच है कि चाकसू तहसील में बिजली के खम्भे और तार लगे हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में बिजली कब से चालू की जावेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जो टेन्शन लाइन यानी छोटे पॉवर के खम्भे नहीं लगे हुए हैं परन्तु १३२ के० वी० की एक्स्ट्रा हाईटेन्शन लाइन उधर से जरूर जा रही है। इस लाइन को हर जगह टेप नहीं नहीं किया जा सकता, इसलिये इससे चाकसू क्षेत्र में बिजली देने का प्रश्न नहीं उपस्थित होता।

प्रश्न संख्या ५

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

ग्राम नासिरदा के मिडिल स्कूल का हायर सैकेन्डरी स्कूल में परिवर्तन

६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम नासिरदा तहसील, दूनी के मिडिल स्कूल में छात्रों की संख्या हायर सेकन्डरी के लायक है या नहीं ?

(२) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने सरकार से कोई प्रार्थना की थी ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम से ठोडा, देवली और केकड़ी १४-१४ मील के फासले पर हैं और जब कि नासिरदा के आसपास ९-१० प्राइमरी स्कूलें लगती हैं ?

Page No.8

उप मंत्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं।

(२) जिला कार्यालय में गांव वालों की ओर से एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था। परन्तु उस समय मिडिल स्कूलों को हायर सेकन्डरी में बदलने के प्रस्ताव सरकार को भेजे जा चुके थे। अतः वह प्रार्थनापत्र इस रिपोर्ट के साथ वापस कर दिया गया था कि छात्र संख्या भी कम है और भवन भी अपर्याप्त है।

(३) जी हां, यह सही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : छात्र संख्या भी कम है और भवन भी अपर्याप्त है, यह आपने कहा तो क्या यह सही है, कि चार मील के फासले पर अलीगढ़ में हायर सेकन्डरी कर दी गई है जहां पर कि भवन नहीं है और उनियारा में भवन मौजूद है, बरवाड़ा ५ मील पर हायर सेकन्डरी स्कूल चल रहा है, वह इस क्राइटेरिया में नहीं आता क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लड़कों की संख्या की कमी बताई है और भवन भी अपर्याप्त है, यह कमी बताई है, दोनों कमियां बताई हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जहां भवन भी अपर्याप्त है और लड़कों की संख्या भी कम है वहां पार्टी पोलिटिक्स से खोल देते हैं। एज्युकेशन डिप्टी मिनिस्टर साहब के हाथ में है, पर कन्ट्रोल दूसरों का ही है।

प्रश्न संख्या ७

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुदयाल पुरोहित।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के बजट में मकान किराये की राशि

८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) निरीक्षक जयपुर पश्चिम के कार्यालय में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के बजट में कितनी धनराशि मकान किराए एवं पार्ट टाइम अलाउन्स दिये जाने के लिए स्वीकृत है ? यह रकम किन किन शालाओं को किस किस प्रकार वितरित की जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि शिक्षणालय वृत्त में कई शालाएं ऐसी हैं जिनका किराया न्यायपालिका एवं पंचायतें देती हैं, जबकि कार्यालय के बजट में स्वीकृत धन-राशि अधिकतर उपयोग में नहीं आती है ?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) निरीक्षक शिक्षणालय जयपुर वृत्त के अधीनस्थ प्राथमिक शालाओं के बजट : शहरी क्षेत्र में मकान किराये के लिए ६०८) रुपये धनराशि (६ माह के लिए) स्वीकृत है तथा माध्यमिक शालाओं के बजट में मकान किराये के लिये ११८०) रुपये (१२ माह के लिये) स्वीकृत हैं। जिन जिन शालाओं के भवनों का किराया इस शिक्षणालय द्वारा दिया जाता है उसकी सूची संलग्न है। पार्ट टाइम अलाउन्स के लिए इस शिक्षणालय के बजट में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं है।

(२) सरकार की जानकारी में कोई ऐसी शाला नहीं है जिसका किराया पंचायत समितियां या नगरपालिका देती हैं और न ही उनकी ओर से इस कार्यालय को किराया देने

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

हेतु कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ९

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट । श्री भैरोंसिंह ।

महाराजा हाई स्कूल, किशनगढ़ का हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तन

१०. **श्री भैरोंसिंह** : (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) महाराजा हाई स्कूल, किशनगढ़ को हायर सेकन्डरी में कब से परिवर्तित किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त परिवर्तन के साथ ही साइन्स क्लासेज् बन्द कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) महाराजा हाई स्कूल, किशनगढ़ को हायर सेकन्डरी में १९६०-६१ में परिवर्तित किया गया ।

(२) जी हां, साइन्स विषय पहले से ही के. डी. जैन हायर सेकन्डरी स्कूल में दे दिया गया था और हर विद्यार्थी जो विज्ञान विषय लेना चाहे वहां भर्ती हो सकता है और जब तक कि यह शाला किशनगढ़ के विद्यार्थियों की मांग की पूर्ति कर सकती है तब तक दूसरे स्कूल को भी विज्ञान विषय देना समुचित नहीं समझा गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसको हायर सेकन्डरी में परिवर्तित करने से पहले ऐसा निर्णय लिया गया या बाद में ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उस वक्त ही निर्णय लिया था जिस समय हायर सेकन्डरी में परिवर्तित किया गया था कि दूसरी स्कूल में साइन्स है इसलिये देना जरूरी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह निर्णय इसको हायर सेकन्डरी में परिवर्तित करने के कई महीने बाद में लिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बाद में लिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : जिन लड़कों ने वहां पर साइन्स में भर्ती होने के लिये प्रार्थनापत्र दिये उनको एडमिशन नहीं मिला और दूसरे लड़कों को एडमिशन मिल गया, क्या यह सही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी कोई शिकायत नहीं थी अगर होती तो इस पर विचार करते ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): जहां पर २४-२४ मील तक स्कूलों में साइन्स नहीं है और हाई स्कूल वाले प्रोत्साहन देते हैं वहां क्यों नहीं खोली जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह उनियारा की बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या महाराजा हाई स्कूल, किशनगढ़ का सारा साइन्स का सामान दूसरी स्कूल को नहीं दिया गया ?

Page No.10

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हाई स्कूल में ३ या ४ हजार का सामान होता है और हायर सेकन्डरी में ७० या ८० हजार का सामान होता है। इसलिये यह कहना कि वह समान वहां पर काम में आ जाता, उचित नहीं हैं क्योंकि वहां तो ७० या ८० हजार का सामान चाहिये।

प्रश्न संख्या ११

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

कॉटन और आइस फैक्ट्रीज के विक्रय-सम्बन्धी विज्ञापनों पर व्यय

१२ **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राज्य की कॉटन और आइस फैक्ट्रीज़ को बेचने अथवा लीज पर दिये जाने के लिये सितम्बर सन् १६५५ से लेकर सितम्बर सन् १६५७ तक टेन्डर्स मांगे गये थे? यदि हाँ, तो कितनी बार और क्यों?

(२) इन टेन्डर्स के मांगने के लिये एडवरटाइजमेंट कराने पर कुल कितना खर्चा हुआ?

(३) क्या यह सही है कि इनका एडवरटाइज़मेंट सामूहिक पत्रों में निकाला गया था? यदि हाँ, तो किन किन में और किस की आज्ञा से?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) हां, पांच वार। इसके कारण निम्न हैं :

(क) कुछ पार्टीज़ ने जिनको ये फैक्ट्रीज़ लीज पर दी गई थीं नहीं लिया।

(ख) एक पार्टी ने फैक्ट्री लीज़ पर लेकर शर्तों का पालन नहीं किया।

(ग) टेन्डर बहुत कम आने के कारण से दुबारा मांगे गये थे।

(२) कुल १०,५७१) रु० का खर्चा हुआ।

(३) इनका एडवरटाइज़मेंट भिन्न भिन्न पत्रों में निकाला गया था जिनके नाम इस प्रकार हैं :

(१) बोम्बे क्रोनिकल।

(२) अमृत बाजार पत्रिका।

(३) हिन्दू।

(४) स्टेटमेंट।

(५) पन्द्रह अगस्त।

(६) कांग्रेस सन्देश।

(७) नवजीवन।

(८) लोकवाणी।

(९) टाइम्स ऑफ इन्डिया।

(१०) हिन्दुस्तान टाइम्स।

(११) मीरा कार्यालय।

(१२) गणराज्य कार्यालय।

(१३) अरावली।

(४) ललकार।

Page No.11

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(१५) जनवाणी ।

(१६) नवयुग ।

(१७) अमरज्योति ।

(१८) नवज्योति ।

(१९) प्रजा-सेवक ।

(२०) लोकजीवन ।

(२१) राजस्थान राजपत्र ।

(२२) ज्वाला ।

(२३) हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड ।

(२४) राष्ट्रदूत ।

(२५) सेनानी ।

(२६) किसान सन्देश ।

(२७) बोम्बे समाचार ।

(२८) नवभारत टाइम्स ।

(२९) अधिकार ।

ये एडवरटाइज़मेंट्स राज्य सरकार की आज्ञा से किये गये थे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डिपार्टमेंट ने ऐसा निर्णय लेकर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट को लिखा कि साप्ताहिक पत्रों में इसका एडवरटाइज़मेंट नहीं कराया जावे ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था । इसकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हो, इसलिये ज्यादा पत्रों में दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह डेफिनिट कह रहे हैं कि ऐसा निर्णय नहीं लिया गया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरे को जो सूचना मिली है उसके आधार पर कह रहा हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपकी सूचना डेफिनिट है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि आपकी सूचना निश्चित है कि ऐसा आदेश नहीं दिया गया ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक मेरी जानकारी है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी जानकारी बिल्कुल सही नहीं है और अगर मैं यह भी कह दूं कि यह गलत है तो उचित है । आप ऑडिट रिपोर्ट में देख लें जिसमें दिया हुआ है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सन् ५५ से सन् ५७ तक एडवरटाइज़मेंट दिया गया । अलग अलग पेपरों में दिया गया । सन् ५५ में किसी पेपर में निकला, सन् ५६ में अलग पेपरों में और ५७ में अलग पेपरों में एडवरटाइजमेंट निकले ।

श्री भैरोंसिंह : जैसा आप एग्री करते हैं, क्या साप्ताहिक पत्रों में एडवरटाइज़मेंट नहीं देने का डिपार्टमेंट ने आदेश दिया था....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री कहते हैं कि दो वर्षों के दौरान में यह एडवरटाइज़मेंट दिया गया, इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा यह निश्चित रूप से प्रश्न है कि इनका एडवरटाइज़मेंट सामूहिक पत्रों में निकाला गया था ? यदि हां, तो किन किन में और किस की आज्ञा से ? इसमें यह आ जाता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि एडवरटाइजमेंट साप्ताहिक पत्रों में नहीं दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बार बार टेन्डर इन्वाइट करने का यह कारण था कि १५ दिन का समय जो दिया गया वह कम था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : उन टेन्डरों के लिए कम से कम दो महीने का समय होना चाहिए था, समय कम होने से आपको बार बार टेन्डर देने पड़े।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप पहले भी प्रश्न में पूछ चुके हैं। आप इस संबन्ध में डेफिनिट प्रश्न पूछेंगे तो मैं बता दूँगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि दो महीने का समय दिया था, १५ दिन का समय कम था।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप अलग से प्रश्न पूछें, इस संबन्ध में।

श्री भैरोंसिंह : इसमें सरकार का २५ हजार रुपया खर्च हुआ है और वह इसीलिये हुआ कि टेन्डर इन्वाइट किये उसमें समय कम दिया गया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने पहले ही निवेदन किया कि १०,५७२ रुपये खर्च हुए हैं। आप एक बात को तोड़-मरोड़ कर कहते हैं। २५ हजार आप कहें कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपके कहने के मुताबिक भी समय कम देने के कारण डिपार्टमेंट को बार बार टेन्डर्स इन्वाइट करने के लिए एडवरटाइजमेंट में १० हजार खर्च हुए।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं यह कहता हूँ कि जो कुछ खर्चा किया गया वह उचित था।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय मंत्री महोदय के स्टेटमेंट को चैलेंज करता हूँ कि उन्होंने १५ दिन का समय रखा वह कम है इसलिये दो महीने का समय दिया गया और यह ऑडिट रिपोर्ट में दिया हुआ है। अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़कर सुना दूँ।

श्री अध्यक्ष : आपने कह दिया यह भी बहुत है।

श्री भैरोंसिंह : सदन में सही उत्तर नहीं देने की चेष्टा करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अनूपसिंह।

जैसलमेर में अतिवृष्टि से हुई हानि के कारण ऋण-वितरण

१३. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (१) क्या यह सही है कि गत जून माह में अतिवृष्टि के कारण जिला जैसलमेर में जो हानि हुई उससे प्रभावित लोगों को राज्य सरकार ने

(श्री अनूपसिंह)

५ लाख रुपया ऋण के लिये सहायतार्थ दिया ?

(२) क्या यह धनराशि ऋण के रूप में बांट दी गई ? अगर हां, तो किस किस मद में कितनी कितनी और कहां कहां पर ? पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इस धनराशि को बांटने का क्या तरीका अपनाया गया और किस आधार पर और किनके द्वारा ?

(४) क्या इस धनराशि में से जिनके मकान गिर गये उनको भी ऋण दिया गया ? क्या इस धनराशि के अलावा इस जिले में अल्प आय वर्ग (L. I. G. H.) मकान योजना लागू करने का सरकार का विचार है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां।

(२) सरकार ने ५,००,००० (पांच लाख) रुपया ऋण के रूप में निम्न पंचायत समितियों को सहायतार्थ दिया है :

नाम पंचायत समिति	राशि
जैसलमेर	१,५०,०००
साम	२,००,०००
सांकरा	१,५०,०००

इस धनराशि के बांटने का कार्य पंचायत समितियों के हाथ में है।

(३) इस धनराशि को बांटने का अधिकार पंचायत समितियों को है। ऋण वितरण करने के नियम राजस्थान पंचायत ऋण १९६० में दिये हुए हैं।

(४) जिनके मकानात गिर गए उनको ऋण देना न देना पंचायत समिति पर निर्भर है। इस धनराशि के अतिरिक्त अल्प आय वर्ग मकान योजना जैसलमेर के हैडक्वार्टर टाउन में पहले से ही लागू है।

श्री अनूपसिंह : मैंने पूछा है कि क्या यह धनराशि बांट दी गई है और अगर बांट दी गई है तो किस तरह से, किन किन को, कितनी कितनी, इसका जवाब नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया कि यह धनराशि पंचायत समितियों को दे दी है और कितनी कितनी दी गई है उसकी रकम भी आपको बता दी है।

श्री अनूपसिंह : कितना कितना, किस किस को, किस आधार पर दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह लोन है। इसके लिये पंचायत समिति के नियम बने हुए हैं। यह १९६० के पंचायत समिति के नियम हैं उनके आधार पर लोन दे सकती है। उनको इसके लिये रुपया दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह लोन कौन से थे ? कई प्रकार के लोन होते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह स्पेशल लोन फोर फ्लड रिलीफ था।

श्री अनूपसिंह : पंचायत समिति को आपने रुपया ५ लाख अलॉट किया है, मगर उन्होंने कितना रुपया दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायत समितियों को रुपया अलॉट किया है। उन्होंने क्या किया इसके लिये उनके रूल्स बने हैं ?

श्री अनूपसिंह : यदि आपने ५ लाख रुपया उनको दे दिया और पंचायत समितियों ने उसको नहीं बांटा तो आपके पास क्या इसकी जांच करने के लिये कोई मशीनरी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, मशीनरी है, कलेक्टर बराबर देखता है कि आया वह पैसा वितरित हुआ या नहीं।

श्री अनूपसिंह : क्या इसके बारे में कलेक्टर की रिपोर्ट आपके पास है कि कितना रूपया किन किनको दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : वितरण टोटल अमाउन्ट पंचायत समितियों ने कितना किया, यह इन्फोर्मेशन नहीं है।

श्री अनूपसिंह : यह रिलीफ के लिये पैसा था। उन लोगों को दिया जाना चाहिये जिनको नुकसान हुआ। इसकी इन्फोर्मेशन आपके पास पहुंचनी चाहिये। आपकी ५ लाख रुपया देने से गवर्नमेंट की रेस्पोन्सीबिलिटी खत्म नहीं होती है। देखना यह है कि वाकई में वह रुपया दिया गया और दिया गया तो जरूरतमन्द को दिया गया या नहीं। इससे लोगों को रिलीफ मिला या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पूरी इन्फोर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि पंचायतों की मार्फत रुपया दिया गया। पंचायतों ने जिसको आवश्यकता थी उसको रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया है, पंचायतों ने ५ लाख में से ४ लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया या कम किया, यह नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : यह जो रकम सरकार ने मंजूर की है वह पंचायत समितियों को कब दी गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायत समितियों के द्वारा ही वितरण होती है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि यह रकम पंचायत समितियों को कब दी गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : इमीजियेटली सैंक्शन हुई और कलेक्टर ने पंचायत समितियों को वितरण कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : २५-२६ तारीख को वर्षा हुई और ६ तारीख तक तो रकम पहुंची नहीं थी और नाही पंचायत समितियों को मिली थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख की सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन हां, इमीजियेटली डिमान्ड कलक्टर से आते ही रकम की मंजूरी भेज दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : यह क्यों नहीं मान लेते कि रकम दी गई है लेट। ६ तारीख तक तो पहुंची नहीं थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तशरीफ ले गये थे जब बता रहा हूँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : अब दिया गया लोन, तो इसके लिए रेवेन्यू मिनिस्टर साहब रेस्पोन्सिबल है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मानना और न मानना दोनों ही आपके अधिकार में है।

Page No.15

रावराजा श्री सरदारसिंह : दिया गया भी था या नहीं ? कौन खा गये ? मालूम नहीं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बाँदी-कुई) : क्या सरकार ने यह जानने का भी प्रयास किया या नहीं कि वह लोन सेटिस्फेक्ट-रिली और संतोषप्रद रफ्तार से बंट रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जानकारी की गई है। समय समय पर इस सम्बन्ध में इन्स्ट्रक्शन्स भी भेजी जाती रही हैं। यदि रूल्स में कोई कमी हुई तो उस कारण से दिक्कत को पूरा किया गया है।

श्री अनूपसिंह : जिनके मकान बह गये तो उनको वाकई कोई रिलीफ भी मिला या नहीं, यह आपने देखने की कोशिश की ? मैंने यह पूछा है कि किस किस पंचायत को कितना कितना और किस किस मद में लोन दिया गया है ?

श्री दामोदारलाल व्यास : किसी को घास खरीदने के लिए, किसी को बैल खरीदने के लिए, किसी को ऊंट खरीदने के लिए दिया गया और जैसी जैसी जिसकी प्रोब्लम्स थी उस हिसाब के मदों में दियां गया। डिटेल्स तो इस समय मेरे पास नहीं हैं। इसके लिए नोटिस दीजिये, मैं आपको पंचायत वाइज डिटेल्स बता दूँगा।

श्री अनूपसिंह : सरकार की रिस्पोन्सि-बिलिटी इसी पर से कोई खत्म नहीं हो जाती है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : नोटिस तो इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन के भाग चार मे हैं, 'क्या इस धन-राशि में से जिनके मकान गिर गये उनको भी ऋण दिया गया ?'

श्री दामोदरलाल व्यास : उसका मैंने आपको जवाब भी दिया है, आपने सुना नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो अतिरिक्त रूप से पीड़ित थे तो क्या उनको भी कोई अतिरिक्त सहायता दी गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ग्रेचुइटी वगैरह दी जाती हैं, यहां तो केवल ऋण की बात पूछी थी इसलिए वह बता दी।

श्री तनसिंह : टिन की चद्दरें कितनी कितनी दी गई ?

प्रश्न संख्या १४

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह।

बाड़मेर जिले में अतिवृष्टि के कारण सहायतार्थ धनराशि का प्रावधान

१५. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या जिला बाड़मेर में जहां इस वर्ष गत जून में अतिवृष्टि के कारण मकान गिर गये व पशुधन की हानि हुई वहां कोई विशेष सहायतार्थ धनराशि का प्रावधान किया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(२) अगर विशेष सहायता के लिये कोई धनराशि रखी गई तो कितनी व किस किस मद में, कहां कहां पर और किनके द्वारा वितरित की गई ? इसका आधार क्या रखा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जिला बाड़मेर में १ लाख रुपये पंचायत समितियों द्वारा वितरित करने के लिए तथा १०,००० रुपये बाड़मेर टाउन के लिये राज्य सरकार द्वारा दिये गये।

(२) बाड़मेर टाउन के लिये १० हजार के अलावा उपरोक्त १ लाख रुपये की राशि इस प्रकार बांटी गई :

पंचायत समिति,	शिव	३५, ००० रु०
,, ,, ,	चौहटन	३०, ००० रु०
,, ,, ,	बागोर	२५, ००० रु०
,, ,, ,	वैंट	१०, ००० रु०

इस राशि का वितरण "Rules for grant of relief in cases of natural calamities by Zila Prrishads and Panchayat Samitis" के नियम ७ व ८ के अनुसार करने की हिदायतें जिलाधीश द्वारा तहसीलदारों तथा विकास अधिकारियों को दे दी गई हैं।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : १ लाख रुपया। ३५, ३५ हजार रुपया शिव और चौहटन को दिया, लेकिन बाकी का रुपया कहां दिया यह समझ में नहीं आया।

श्री दामोदरलाल व्यास : दो नाम हैं वे ठीक तौर पर पढ़ने में नहीं आ रहे हैं इसलिए इनकी इन्फोर्मेशन में कल दे दूँगा।

श्री अनूपसिंह : मैंने सदन की मेज पर लिस्ट रखने के लिए मांगी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : काहे की लिस्ट मांगी है ?

श्री अनूपसिंह : किन किन मदों में यह धन-राशि दी गई। लिस्ट मेरे पास नहीं आयी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको धन-राशि बता दी है कि कितनी कितनी किसके द्वारा बांटी गई। दो नामों के बारे में कल सूचना दे दूंगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : बाड़मेर में टोटल एस्टीमेटेड लॉस कितना था।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके फीगर्स मेरे पास इस समय नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि टोटल एस्टीमेटेड लॉस के प्रोपोर्शन में ही यह रकम दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितनी डिमान्ड कलेक्टर ने भेजी उसके बेसिस पर भेजी है।

श्री भैरोंसिंह : तो यह टोटल एस्टीमेटेड लॉस के बेसिस पर था, यह माना जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जो नियम बना रखे हैं उनके अनुसार.......

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि आप नियमों को दुबारा पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप जो कह रहे हैं वह कतई मंशा उनकी नहीं है। इमीजियेटली कलेक्टर की ओर से डिमान्ड आती है और उस हिसाब से लोन दिया जाता है। टोटल लोस कितना हुआ, ये तो सब बाद की बातें हैं।

Page No.17

श्री भैरोंसिंह : तो क्या कलेक्टर ने यह सूचना नहीं दी कि इतना एस्टीमेटेड टोटल लॉस हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एप्रोक्सिमेटली जो लॉस हुआ है उसके लिए कलेक्टर की ओर से सूचना आती है।

श्री भैरोंसिंह : तो एप्रोक्सिमेटली जो लॉस उन्होंने बताया उसी बेसिस पर रिलीफ वर्क्स के लिए निर्णय लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ये रिलीफ वर्क्स नहीं हैं, किन्तु इमीजियेट लोन की जरूरत थी वह उनको दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : इमीजियेट लोन देने के लिए टोटल लॉस होता है उसके प्रोपोर्शन में होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : नोट नेसेसरिली।

श्री भैरोंसिंह : फिर किसको आधार पर मान कर देते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एप्रोक्सिमेटली टोटल लॉस कितना हुआ ? किनकी पर्चेजिंग केपेसिटी नहीं रही आदि कई बातें देखी जाती हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, तब ही लोन दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : इमीजियेट रिलीफ देते हैं तो एक आदमी को कितनी आवश्यकता है, यह कलेक्टर एक-दो दिन में किस प्रकार एस्टीमेट कर लेते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : सहने, पटवारी से मालूम हो जाता है कि कितने लोग हार्डहिट हुए।

श्री तनसिंह : इसकी जानकारी कर ली गई थी और एक लाख रुपया बाड़मेर में बांटा तो लॉस का प्रोपोर्शन उस हिसाब से पांच गुना ही अधिक हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कितनी बातों को सोचकर डिमान्ड आती है उस हिसाब से अलॉट किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : बाड़मेर के लिए कितनी डिमान्ड आयी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्चुअली कलेक्टर ने क्या लिखा है, ये सारे कागज़ात तो इस समय मेरे पास नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि कलेक्टर लिखे, उतनी ही रकम दे दी जाय।

श्री भैरोंसिंह : एप्रोक्सिमेटली ही डिमान्ड कितनी आयी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फीगर्स मेरे पास नहीं है।

श्री तनसिंह : इस पॉइन्ट को कन्सीडर किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, किया था।

श्री तनसिंह : जैसलमेर और बाड़मेर में क्या फर्क है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लॉस के हिसाब से फर्क है और उसी हिसाब से लोन दिया गया है।

श्री तनसिंह : कोई आधार तो होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको दो-चार बातें रखी हैं।

श्री अनूपसिंह : सूची सदन की मेज पर न देने से क्या और कौन सा आधार था या पता नहीं चलता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि लोगों की गरीबी, मकान की बरबादी, मवेशी की जरूरत, आदि कई जरूरतें हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ये तो सूची मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

भूतपूर्व अजमेर राज्य की पिछड़ी जातियां

१६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भूतपूर्व अजमेर राज्य में किन किन जातियों को पिछड़ी जातियों में माना जाता था ?

(ख) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व अजमेर राज्य में कुछ जातियाँ पिछड़ी जाति की लिस्ट में थीं परन्तु राजस्थान में मिलने के बाद उन्हें नहीं माना जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं, जो पिछड़ी जातियां भूतपूर्व अजमेर राज्य में थीं, उन्हें अब भी पिछड़ी जातियों में माना जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

जैसलमेर में अतिवृष्टि के कारण तकाबी का वितरण

१७. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में अतिवृष्टि के कारण हुई हानि की सहायतार्थ जो धनराशि सरकार ने स्वीकार की है उसमें बैलों, भेड़ों इत्यादि की खरीद के लिये तकाबी की रकम अभी तक पशु-पालकों को नहीं मिली है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है व अब कब तक यह रकम ऋण व सब्सिडी के रूप में दे दी जायगी ? ऐसी कितनी रकम इस जिले के लिये रखी गई है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जिला जैसलमेर में अतिवृष्टि के कारण हुई हानि के सहायतार्थ निम्नलिखित धनराशियां स्वीकृत हुई हैं :

	कर्ज	अनुदान
म्युनिसिपल एरिया के लिये	१०,७००	२,८००
पंचायत समितियों के एरिया के लिये	५,००,८००	३,२००

इस धनराशि को Rules for grant of Relief in cases of natural calamities by Zila Parishads and Panchayat Samitis rules के अनुसार बांटी जा रही है।

श्री अनूपसिंह : मैंने अपने सवाल में पूछा था कि भेड़ों, बैलों इत्यादि की खरीद के लिये तकावीकी रकम पशु-पालकों को नहीं मिली है, उसका क्या कारण है और यह रकम किस आधार पर दी गई है, यह आपने अभी तक नहीं बताया है ?

Page No.19

श्री दामोदरलाल व्यास : पशु-पालकों के लिये रूल्स में तकावी देने का प्रोविज़न नहीं है, मगर सरकार ने स्पेशल तकावी देने के लिये इजाजत दे दी है।

श्री अनूपसिंह : वह रकम पशु-पालकों को नहीं मिली है, उसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो मेरी जानकारी में नहीं है और न यह आपने प्रश्न में ही पूछा है। अगर आप ध्यान में लायेंगे तो सरकार उसको देखेगी।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : बैल, भेड़ इत्यादि खरीदने के लिये उनको तकावी अभी तक नहीं मिली है, यह डेफिनिट इसमें पूछा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप मेरे जवाब को गौर से सुनते तो आपको मालूम हो जाता मैंने जैसा कि जवाब में निवेदन किया पहले इस प्रकार की डिफीकल्टी थी सिवाय एग्रीकल्चरिस्ट के और किसी को तकावी नहीं मिलती थी लेकिन हमने उन नियमों के अन्तर्गत पशु-पालकों को भी तकावी देने के इन्स्ट्रक्शन्स भिजवा दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि जिस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स आपने भेजे हैं। उस प्रकार से रूल्स में अमेन्डमेन्ट नहीं किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू होते हैं वे रूल्स को अमेन्ड करके ही भेजे जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट ने यह डिसीज़न लिया है, लेकिन एक्चुअली रूल्स में अमेन्डमेन्ट नहीं हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्चुअली पब्लिश हो गये हैं, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन यह कह सकता हूँ कि गवर्नमेन्ट ने इस प्रकार के रूल्स बनाये हैं उनका एनफोर्समेन्ट शुरू हो गया है जो रुकावट इस कारण पैदा हो रही थी वह अब नहीं है।

श्री अनूपसिंह : जो सब्सिडी की रकम रही है वह भी इसमें शामिल है जो कि टोटल रिलीफ के लिये दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That goes without saying.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार के इन्स्ट्रक्शन्स जाने से पहले ही रिलीफ तकावी के लिये जो रकम दी गई थी यह सब एग्रीकल्चरिस्ट्स में बांट दी गई और पशु-पालकों के लिये रकम नहीं बची ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनके लिये इस प्रकार की रकम जो रिज़र्व में रखी गई है वह अब भी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसका वितरण हो रहा है ये इन्स्ट्रक्शन्स लोंग बिफोर भेज दिये गये थे।

श्री अनूपसिंह : आप यह बता सकते हैं कि पशु-पालकों को कितनी रकम मिली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पशु-पालकों की सेन्सस अभी नहीं की है।

श्री अनूपसिंह फिर क्या रिलीफ हुआ ?

Page No.20

प्रश्न संख्या १८

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १९

श्री बेनाराम गहलोत ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २०

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

काश्तकारों के टीपनों में परिवर्तन

२१. **डा०. बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या राजस्व मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(१) धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, व बसेड़ी में ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनके टीपनों में १९६० में परिवर्तन किया गया है ? तहसीलवार सूची सदन में प्रस्तुत करें ।

(२) क्या यह सत्य है कि किसानों से टीपने बदलवाने या संशोधन कराने आदि में राजस्व से अधिक रुपया वसूल किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? तहसीलवार सूची सदन में प्रस्तुत करें ।

(३) क्या जो राजस्व से अधिक रुपया लिया गया है वह अधिनियम के अनुसार था ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) तहसील धौलपुर	२८६२
तहसील बाड़ी	२३७९
तहसील बसेड़ी	३०४३
तहसील राजाखेड़ा	१२१४

(२) जी नहीं । केवल म्युटेशन फीस ली जाती है ।

(३) नियम-विरुद्ध कोई रुपया नहीं लिया गया है ।

डा० बहादुरसिंह : जो पैसा वसूल किया गया, वह ट्रेज़री में जमा हुआ या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : म्युटेशन फीस जिस तरह ली जाती है वह ली गई है ।

डा० बहादुरसिंह : वसूल तो हुई है लेकिन कुछ पटवारियों ने जमा नहीं कराई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है और न आपने यह सवाल ही पूछा था अगर आप इस प्रकार की सूचना देंगे तो मैं आपका ग्रेटफुल होऊंगा ।

प्रश्न संख्या २२

श्री अध्यक्ष : डा० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २५

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

भरतपुर शहर में संस्कृत शिक्षा का स्कूल

२५. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या भरतपुर शहर में संस्कृत शिक्षा का कोई स्कूल है ? यदि हाँ, तो उसमें किस श्रेणी तक की शिक्षा दी जाती है ?

(२) उक्त स्कूल में किस किस योग्यता के कितने अध्यापक हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(३) इस स्कूल में प्रति कक्षा छात्रों की संख्या क्या है ?

(४) गत परीक्षा में वहां की प्रत्येक कक्षा में कितने कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ?

(५) राजस्थान निर्माण के समय यहां किस श्रेणी तक के छात्रों को शिक्षा देने की व्यवस्था थी ?

(६) पिछले १० वर्षों में इस संस्था की उन्नति हुई है या अवनति ?

उप मंत्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) भरतपुर शहर में संस्कृत शिक्षा का एक स्कूल है तथा उसमें प्रवेशिका तक पढ़ाई होती है।

(२) उक्त स्कूल में निम्न योग्यता के ७ अध्यापक हैं :—

१.	श्री देवकीनन्दन शास्त्री प्रधान अध्यापक	व्याकरण शास्त्री
२.	श्री हरिकेशवदत्त सहायक अध्यापक	शुक्ल यजुर्वेदाचार्य
३.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा प्रधान अध्यापक	बी० ए०
४.	श्री परशुराम भारद्वाज प्रधान अध्यापक	साहित्याचार्य साहित्यरत्न
५.	श्री माधवप्रसाद मिश्र प्रधान अध्यापक	साहित्य, शास्त्री
६,	श्री भूतेश्वरसिंह प्रधान अध्यापक	मैट्रिक
७.	श्री श्यामसुन्दर प्रधान अध्यापक	मैट्रिक

(३) इस स्कूल में प्रति कक्षाओं की छात्र संख्या निम्न प्रकार है :

कक्षा	छात्र संख्या
१.	२४
२.	१७
३.	१६
४.	२६
५.	३२
६.	५०
७.	६०
८.	२७
कुल	२१५

(४) गत परीक्षाओं में निम्न प्रकार से छात्र उत्तीर्ण हुए :

नाम कक्षा	प्रविष्ट छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्र संख्या
८.	१४	१३
७.	२६	२६
६.	१८	१६
५.	२३	२१
४.	२०	१६
३.	१३	११
२.	८	८
१.	६	६
योग	१३१	१२०

(५) राजस्थान निर्माण के समय वहाँ मध्यम श्रेणी तक के छात्रों को शिक्षा देने की व्यवस्था थी।

(६) निम्न तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पिछले १० वर्षों में इस संस्था की उन्नति हुई है :

१. राजस्थान बनने से पूर्व संस्कृत का जो पाठ्यक्रम था उसमें आधुनिक विषयों का समावेश नहीं था और एक-दो अध्यापक ही आचार्य तक पढ़ाई करवा सकते थे किन्तु

Page No.22

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

राजस्थान बनने के बाद पाठ्यक्रम में आधुनिक विषयों का समावेश हो गया और वह स्थिति नहीं रही कि दो-तीन अध्यापक ही आचार्य तक की पढ़ाई करा सकें। ऐसी स्थिति में यद्यपि इस संस्था का स्तर मध्यमा से प्रवेशिका कर दिया गया है किन्तु छात्रसंख्या और अध्यापक संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है जिससे यह कहा जा सकता है कि संस्था की उन्नति हुई है न कि अवनति।

२. राजस्थान बनने से पूर्व ३ अध्यापक व एक भृत्य के पद स्वीकृत थे और अब ७ अध्यापक व एक भृत्य के पद स्वीकृत हैं। इन अध्यापकों की योग्यता भी पूर्व के अध्यापकों से कम नहीं है। जहां तक छात्र-संख्या का प्रश्न हैं पूर्वापेक्षा छात्रों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है :

सन्	छात्र संख्या
१९४७	२१
१९४८	३०
१९४९	२४
१९५०	३७

तथा अब वर्तमान में २१५ छात्र हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जो सूची सदन की मेज पर रखने की थी वह आपने प्रस्तुत नहीं की है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो जानकारी आपने चाही थी वह मैंने इसमें दे दी है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी क्या इस वक्त आचार्य तक की शिक्षा का प्रबन्ध है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहीं प्रवेशिका तक।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पहले तो वहां आचार्य तक की शिक्षा दी जाती थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अब प्रवेशिका तक ही है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो फिर उन्नति कहां हुई यह तो अवनति है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने जैसा कि निवेदन किया पहले जब आचार्य तक की शिक्षा दी जाती थी वहां एक-दो अध्यापक ही आचार्य तक की पढ़ाई करवा सकते थे और दो-तीन विद्यार्थी हर साल इसका फायदा उठाते थे यह आपको छात्र संख्या से पता चल जायगा। वहां सन् ४७ में २१ छात्र थे, सन् ४८ में ३०, सन् ४९ में २४ और सन् ५० में ३७ और इस वक्त वहां छात्रों की संख्या २१५ है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने, जहां पहले आचार्य तक की पढ़ाई होती थी वहां प्रवेशिका तक कर दी, जहां पहले ऊंची योग्यता वाले अध्यापक थे वहां कम योग्यता वाले रख दिये, यह शिक्षा की उन्नति कहां हुई यह तो अवनति है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो निश्चित है कि जहां पढ़ाई का स्तर कम हो गया वहां अध्यापकों की योग्यता निश्चित रूप से कम होगी। एक तो कॉलेज के अध्यापक होते हैं और दूसरे १०वीं क्लास को पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं। दोनों की योग्यता में काफी भिन्नता रहती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : राजस्थान के बनने के समय वहां आचार्य तक शिक्षा दी जाती थी राजस्थान बनने के बाद वहां छात्रों की संख्या बढ़ी लेकिन शिक्षा का स्तर तो कम कर दिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने आपसे निवेदन किया, पहले वहां दो-तीन छात्र और दो-तीन अध्यापक रहा करते थे और अब वहां ७ अध्यापक हैं और छात्र संख्या २१५ है इसके अलावा जो उच्च शिक्षा लेने को उत्सुक हैं उनके लिये और जगहों पर प्रबन्ध है उनको स्कॉलरशिप्स भी लिबरली दी जाती है जो संस्कृत की उच्च शिक्षा लेने को उत्सुक हैं वे इससे फायदा उठा सकते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैंने स्थानीय महत्व को देखते हुए प्रश्न उठाया है। छात्रसंख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन संस्कृत की जो उच्च शिक्षा का वहां प्रबन्ध था वह कम कर दिया गया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया वहां और विषय बढ़ाये हैं, इसलिये छात्र-संख्या भी बढ़ी है, वहां आधुनिक विषय देकर शिक्षा के स्तर को कम जरूर किया है लेकिन वहां से शिक्षा प्राप्त छात्रों को आगे बढ़ने के लिये सुविधाएं हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आचार्य तक करने में अन्य विषय नहीं जोड़े जा सकते थे क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दो-चार लड़कों के लिए अलग से खर्चा करने की क्या आवश्यकता है, जब कि दूसरी तरफ उसके लिए अवसर है और स्कॉलरशिप के नियम भी बहुत उदार हैं। यह तो अब आपका और मेरा मत है कि किसमें क्या है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : संस्कृत की उन्नति जो सरकार चाह रही है वह तो ज्यादा लड़कों के होने से होगी या ऊंची शिक्षा देने से होगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६

श्री लादूराम सुलाखिया।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

सरकारी हाई स्कूल तथा हायर सेकन्डरी स्कूल

२७. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) राजस्थान में समस्त सरकारी हाई स्कूल तथा हायर सेकन्डरी स्कूलों की पृथक् पृथक् संख्या क्या है ? वे किन किन स्थानों पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त स्कूल में से कहां कहां और कितने हाई स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूलों में परिवर्तित किया गया है और कहां कहां नये खोले गये हैं ?

(३) क्या हाई स्कूल अथवा हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने सम्बन्धी कोई नियम निर्धारित किए हैं ? यदि हां, तो वे नियम क्या हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) राजस्थान में राजकीय हायर सेकेन्डरी तथा हाई स्कूलों की पृथक् पृथक् संख्या निम्न है, जिसकी सूची संलग्न है :

(क) राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल्स २६०

(ख) राजकीय जूनीयर हायर सेकेन्डरी ९९

(ग) राजकीय हाई स्कूल्स १५७

(२) सूची संलग्न है।

(३) जी हां, नियमों की प्रति संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : नियमों का पालन किया गया है या कुछ अपवाद भी हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नियमों का पालन किया गया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : शायद इसमें कुछ अन्तर रखा है या बिल्डिंग, या छात्रसंख्या रखी है उनके न होते हुए भी कहीं पर खोला हो और जहां पर है, वहां न खोला हो ? ऐसा अपवाद भी है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरी जानकारी में तो ऐसा कहीं है नहीं, आपकी जानकारी में हो तो आप जानकारी मुझे देंगे तो मैं जांच करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सोजत रोड से फुलाद तक सड़क बनाने का ठेका

२८. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सोजत रोड से फुलाद तक सडक बनाने का ठेका कब, किसको, कितने में दिया गया था ?

(२) उक्त कार्य को कब तक पूरा करने की मियाद थी तथा वह क्या मियाद के अन्दर पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सोजत रोड से सिरियारी तक १५ मील के फासले की सड़क बनाने का ठेका प्रताप इन्जीनियरिंग वर्क्स, जोधपुर को ३,४५, ५१९) रु० में दिया गया था।

(२) २०-११-५० तक कार्य मयाद में पूरा नहीं हो सका, पर अब पूरा हो चुका है।

श्री बेनाराम गहलोत : मयाद में सड़क पूरी नहीं करने पर ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कार्यवाही की जा रही है। नियमों और मैरिट के मुताबिक पेनल्टी इम्पोज की जावेगी।

तांबे की खान

२९. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या खनिज मन्त्री निम्न प्रशन का उत्तर देंगे :

(१) जिला झुंझुनूं में उदयपुरवाटी स्थित धनावते की तांबे की खान की जांच का क्या परिणाम निकला ? क्या अब भी कोई जांच कार्य चल रहा है ? अगर हां, तो किसके द्वारा ?

(श्री अनूपसिंह)

(२) इस खान का कार्य कब तक चालू होने की आशा है ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) झुंझुनूं जिले में धनावता नामक स्थान पर तांबे की खानों की जांच जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया भारत सरकार द्वारा की जा रही है। यहां ड्रिलिंग भूगर्भिक पूर्वेक्षण तथा सर्वे का काम चालू है। किन्तु उक्त विभाग से कार्य प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अतः इसका परिणाम ज्ञात नहीं है। किन्तु ऐसी खबर है कि यहां पर काफी मात्रा में तांबे के मिलने की सम्भावना है, जांच कार्य अभी चालू है।

(२) तीसरी पंचवर्षीय योजना में तांबा गलाने का कारखाना लग जायगा।

श्री अनूपसिंह : यह काम कब से चालू है और यह कार्य जियोलोजिकल विभाग के हाथ में कब से आया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो अर्से से चल रहा है। करीब करीब दो साल से चालू है।

श्री अनूपसिंह : जब दो साल से चालू है तो क्या इन्टेरिम रिपोर्ट भी नहीं मिली अभी तक कि इस एरिया में इतना तांबा मिलने की सम्भावना है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं, अभी तक नहीं मिली। अभी कोई इन्टेरिम रिपोर्ट उन्होंने जारी नहीं की है। अभी उनका सर्वेक्षण चालू है। इसके समाप्त होने के बाद ही इन्टेरिम रिपोर्ट दे सकते हैं। अभी कुछ ऐसा दिया नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : फिर आपने यह फरमाया कि ऐसी खबर है कि काफी मात्रा में तांबा मिल जावेगा। तो यह खबर आपको कहां से मिली ? क्या अखबारों से मिली या आपकी कोई ऑथेन्टिकेटेड खबर है ? आखिर यह खबर कहां से आई ? टेलीविज़न से आई अथवा कहां से आई ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दयाकृष्ण विजय।

जागीरों के निजी कार्यालयों के कर्मचारी

३०. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान की कुल कितनी जागीरें अभी तक राज्य सरकार द्वारा हस्तगत कर ली गई हैं ?

(२) इन जागीरों के निजी कार्यालयों में कार्य करने वाले कितने कर्मचारियों को राज्य सेवा में लिया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि राजाओं के प्राइवेट कार्यालयों में कार्य करने वाले अनेक व्यक्ति स्टेट सर्विस के नियमित कर्मचारी भी थे ?

(४) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को जो उस समय तत्कालीन स्टेट डिपार्टमेन्ट की सर्विस के कर्मचारी थे तथा राजाओं के पास थे, अभी तक उन्हें सेवाओं के पास छोड़ रक्खा है ?

(५) क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की राजाओं को राजकीय संरक्षण देने का कोई कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No.26

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) कुल २,४०,१११ जागीरें खालसा की गई हैं। १२७० कर्मचारियों को जिनका सम्बन्ध जागीर कार्य से था राज्य सेवा में लिया गया है।

(२) जी हां।

(३) ऐसा कोई केस इस विभाग में पेन्डिंग नहीं है और न ऐसी कोई शिकायत ही इस विभाग में आई है ?

(४) जब तक (क) में अंकित कर्मचारियों के बारे में जानकारी न हो तब तक संरक्षण देने के बारे मे कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय : पर राज्य सरकार ने इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की क्या कोशिश की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी की शिकायत ही नहीं हैं। अब अगर कोई पर्सनल सर्विस में रहना चाहेगा तो रहेगा, हम उसको कैसे बाध्य कर सकते हैं कि मत रहो। जो सरकारी नौकरी में आना चाहते थे वे आ गये। हमने ले लिया, जो उधर रहना चाहते थे, उधर रह गये।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या इस तरह का कोई ओप्शन दिया गया था क्या कि जो राज्य सरकार की सर्विस में आना चाहे वह आ जाय, जो उधर रहना चाहे, उधर रह जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो सब को ओप्शन था। बराबर अगर वे चाहते तो गवर्नमेन्ट सर्विस में आ सकते थे।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही नहीं है कि आज भी ऐसे कर्मचारी हैं जो हिज हाईनेस कोटा की पर्सनल सर्विस में हैं पर राज्य सरकार के संरक्षण में आना चाहते हैं क्योंकि पहले वे स्टेट सर्विस में ही थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब तक ऐसे कर्मचारियों के बारे में आप जानकारी न दें तब तक कोई जबाव देना मेरे लिये कठिन है।

श्री दयाकृष्ण विजय : बहुत से कर्मचारियों ने जो ऐसी सर्विस में हैं उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन दिये भी हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसे मेरे पास कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं आये जिसने पर्सनल सर्विस में रहते हुए गवर्नमेन्ट सर्विस में आने की इच्छा प्रकट की हो।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह गलत है, जहां तक कोटा स्टेट का सवाल है, वे स्टेट सर्विस में गिने जाते हुए भी प्राइवेट में काम करते थे और उनको बाद में स्टेट सर्विस में दर्ज नहीं किया गया। आज इस कारण उनको प्रोविडेन्ट फण्ड का और पेन्शन मिलने का नुकसान हुआ है। वे पहले भी स्टेट सर्विस में गिने जाते थे।

श्री अध्यक्ष : वह तो कहा न कि ऐसा कोई पेन्डिंग में केस नहीं है। न क्वेश्चन में यह लिखा है या मांग की है।

श्री दयाकृष्ण विजय : उन लोगों की एप्लीकेशनें मौजूद हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया न कि ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जागीरों में काम करने वाले भूतपूर्व कर्मचारियों के बारे में तो आपने कहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या यह सही है कि कमिश्नरी से ऐसे आदेश जारी हुए थे कि जिन्होंने अपने फॉर्म भरे नहीं हैं वे आखिर जुलाई तक अपने आवेदनपत्र प्रस्तुत कर दें। फिर उनको समाश्रित नहीं करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें जागीरों का मुआवजे का सवाल नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सभी के ऑब्जेक्शन्स पूरे कर लिये गये हैं या कुछ लोगों के बाकी रह गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑब्जेक्शन के रूल्स बने हुए हैं, जागीर एम्प्लोईज के। उनमें जो कवर हो गये और जिनकी सेवाओं को उपयुक्त समझा गया उनको एब्जोर्ब कर लिया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

११. ५७ म. प.

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

(क) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण

सचिव, विधान सभा (श्री अनोपसिंह): मैं गत सत्र में पारित हुए उन विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज पर रखता हूँ।

वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

1. The Rajasthan Relief Undertakings (Special Provisions) Bill, 1961.

2. The Jaipur Matmi Rules (Validation) Bill, 1961.

3. The Rajasthan Government Grants Bill, 1961.

4. The Rajasthen Monuments, Archaeological Sites and Antiquities Bill, 1961.

वे विधेयक, जिन पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है :

1. The Rajasthan Finance Bill, 1960.

2. The Rajasthan Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 1961.

3. The Rajasthan Agricultural Income Tax (Amendment) Bill, 1961.

4. The Marwar Marriage Fund Administration Bill, 1961.

5. The Rajasthan Bhoodan Yagna (Amending and Extending) Bill, 1961.

6. The Rajasthan Land Revenue (Amendment) Bill, 1961.

(ख) अध्यादेश

श्री सम्पराम (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान म्युनिसिपल निर्वाचन (वैधकरण) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या २, सन् १९६१) को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(श्री सम्पतराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज ' (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या ४, सन् १९६१) सदन की मेज पर रखता हूँ ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : मैं आबकारी संशोधन अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या ३, सन् १९६१) सदन की मेज पर रखता हूँ ।

मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या, सन् १९६१) सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(ग) अधि-सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय, मैं होम बी विभाग की अधिसूचना संख्या एफ १ (७) (१) एच (बी जी आर १) ५९, दिनांक २९ मई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वेहिकल्स नियम, १९६१ के नियम १०८ में सशोधन किया गया है सदन की मेज पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, होम बी विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० १ (१) (६) एच (बी जी आर १) ६१ दिनांक १० जुलाई, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वैहिकल्स कर नियम, १९५१ के नियम १६ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी तथा कर विभाग की अधिसूचना संख्या एफ ५ (१०५) ई एण्ड टी ६०, दिनांक २८ जून, १९६१ को, जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(घ) राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (जनरल) नियम, १९६१

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (जनरल) नियम, १९६१ को सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(ङ) राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद् (डिक्लेरेशन ऑफ कृषि निपुण) नियम, १९६१

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (डिक्लेरेशन ऑफ कृषि निपुण) नियम, १९६१ को सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(१२ मध्यान्ह)

(च) गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर से सम्बन्धित प्रतिवेदन इत्यादि

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर के ३० जून, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट एवं तत्सम्बन्धी लेखों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ ।

राजस्थान कसर भोम उन्मूलन विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कसर भोम उन्मूलन विधेयक पर प्रवर समिति के उपस्थापन के हेतु नियत समय को ११ सितम्बर, १९६१ तक बढ़ा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आप इसके कारण तो बतायें, यह बहुत जरूरी बिल है।

श्री दामोदरलाल व्यास : The report is there.

श्री भैरोंसिंह : तो फिर देरी क्यों हुई, इसके कारणों पर प्रकाश डाल दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : सिर्फ इसलिए कि रिपोर्ट तैयार हो गई है और मैं उसको सदन में आज ही पेश कर रहा हूँ। सिर्फ उसका टाइम रेग्युलेट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति के उपस्थापन के हेतु नियत समय को ११ सितम्बर, १९६१ तक बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्राक्कलन समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री भोलानाथ (सभापति, प्राक्कलन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ के शिक्षा विभाग से संबंधित समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ। इस संबंध में यह भी निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ३०७ के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देश के अनुकरण में दिनांक २९ जुलाई, १९६१ को यह प्रतिवेदन अध्यक्ष महोदय को उपस्थापित किया गया था।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के चौथे व पांचवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री चन्दनमल वैद (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति १९६१-६२, समिति के चौथे एवं पांचवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूँ।

राजस्थान कसर भोम उत्पादन विधेयक, १९६१ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कसर भोम उन्मूलन विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

राजस्थान राज्य पशु-मेला विधेयक, १९६१ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मेनेजमेन्ट एण्ड कन्ट्रोल ऑफ स्टेट कैटल फेयर्स बिल पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय को प्राधिकार सम्बन्धी औचित्य-प्रश्न

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ओन एपोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अपना बिल प्रस्तुत करें उसके पहले मेरी एक आपत्ति है regarding the Rajasthan Municipal Elections (Validating) Bill, 1961. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा को सम्मन करने का नोटिस १२ अगस्त, १९६१ को हमें मिला था और जिस दिन यह नोटिस इश्यू किया गया उसी दिन माननीय अध्यक्ष महोदय विदेश यात्रा को चले गये थे। विदेश यात्रा जाने के पश्चात् जिस प्रकार कि रूल्स में कोई प्रोवीजन

Page No.30

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं है कि अध्यक्ष महोदय अपनी पॉवर्स डिप्टी स्पीकर महोदय को डेलीगेट कर सकते हैं और जब अध्यक्ष महोदय अपनी पॉवर्स रूल्स के अन्तर्गत डिप्टी स्पीकर महोदय को डेलीगेट नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में १२ अगस्त से लेकर अब तक जितना भी कार्य हुआ है जिसमें यह बिल भी आता है जिसके प्रायर पब्लिकेशन की आवश्यकता है और जो प्रायर पब्लिकेशन उपाध्यक्ष महोदय ने किया है मैं ऐसा समझता हूँ कि अब अध्यक्ष महोदय के पावर्स को डेलीगेट करने के बारे में रूल्स में और संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है तो वह कोई भी किसी प्रकार की पॉवर्स डेलीगेट नहीं कर सकते। रूल्स में केवल इस प्रकार की व्यवस्था है कि किसी भी बिल के प्रायर पब्लिकेशन के लिए केवल अध्यक्ष को ही इस प्रकार का अधिकार है कि स्वयं उसके पब्लिकेशन की व्यवस्था कराये। इस प्रकार रूल्स के अनुसार भी उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष की किसी प्रकार की पॉवर्स को रिज्यूम करके फंक्शन नहीं कर सकते। मैं ऐसा समझता हूँ कि अब तक जितनी भी लिस्ट ऑफ बिजनेस प्रकाशित की गई है यह भी सारी की सारी उपाध्यक्ष महोदय के आदेश से हुई है, जितने भी क्वेश्चन्स सर्कुलेट हुए हैं और उनकी एडमीसिबिलिटी के बारे में निश्चय किया गया है और रिजोल्युशन्स के बारे में और अमेन्डमेन्ट्स के बारे में सारे निर्णय लिये गये हैं ये डिप्टी स्पीकर महोदय की तरफ से लिये गये हैं और ऐसा मुझे इसलिए मालूम पड़ता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय विदेश यात्रा से कल सायंकाल ही जयपुर लौटे हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि यह सारी की सारी डाक उनके लिए लन्दन भेजी गई हो और वहां से दस्तखत होकर आई हो। जहाँ तक रूल्स का सवाल आता है उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की चेयर पर होते हैं उस प्रकार का उनका अधिकार रहता है, हाउस की प्रोसीडिंग्स को कन्डक्ट करने के बारे में स्पीकर महोदय के अधिकारों को ऑब्जर्व करते हुए उनके अनुसार उपाध्यक्ष महोदय कार्य करें, लेकिन जब उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन नहीं होते हैं उस समय तो डिप्टी स्पीकर महोदय और पेनल ऑफ चेयरमैन के मेम्बर्स में मैं ऐसा समझता हूँ कि रूल्स के अनुसार किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। वैसे तो यह सारा का सारा विधायी मामला माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत होना चाहिए था। वह तो दूसरा प्रश्न आता है हमारे सारे प्रश्न जो हम अध्यक्ष महोदय की ऑथोरिटी के नाम पर सचिवालय में प्रस्तुत करते हैं वह डिप्टी स्पीकर महोदय के यहां किस प्रकार से प्रस्तुत हुआ वह तो अलग से विशेषाधिकार का मामला है, लेकिन आज की जो सारी प्रोसीडिंग्स, जो सारे प्रश्न, आज के सारे रिजोल्यूशन्स हैं व माननीय अध्यक्ष महोदय की आथोरिटी के ऊपर नहीं हो रहे हैं। एक प्रश्न आ सकता है कि सचिव महोदय ने माननीय अध्यक्ष महोदय की ऑथोरिटी से सारा कुछ किया हो, लेकिन सचिव को उनकी उपस्थिति में ऐसी ऑथोरिटी नहीं थी जिसके नाम पर यह समझकर चल सकें कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय की ऑथोरिटी के ऊपर सारा काम किया है। यह समझ में आ सकता है कि उन्होंने उपाध्यक्ष महोदय की ऑथोरिटी के ऊपर सारा काम किया हो। मेरे इस मामले का समर्थन इसलिए भी होता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय को अपनी विदेश-यात्रा तोड़कर इसी एनोमोली के कारण यहां आना पड़ा है। यह तो आगे की बात है, लेकिन

(श्री भैरोंसिंह)

जो सारो बिजनेस का ट्रान्जेक्शन हो गया और इन सब के एडमीशन के बारे में किस प्रकार से वेलिड हो सकता है, मैं नहीं समझता। नियम ३०७ के अन्तर्गत स्पीकर महोदय डाइरेक्शन्स इश्यू कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा डाइरेक्शन नहीं हो सकता जो कि रूल्स के अनुसार नहीं रखा गया हो। रूल्स के इम्पलीमेन्टेशन के बारे में डाइरेक्शन्स हो सकते हैं लेकिन कोई नया रूल बनाने की यदि स्थिति पैदा हो सकती है, कोई डाइरेक्शन इश्यू हो सकता है तो उसकी सम्भावना मैं नहीं मानता और ऐसा मानकर चलता हूं कि ऐसे डाइरेक्शन्स अध्यक्ष महोदय ने इश्यू नहीं किए होंगे। कॉन्स्टीट्यूशन में भी इसका स्पष्ट प्रोवीज़न है, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि डिप्टी स्पीकर महोदय को कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि चेयर के ऊपर बैठकर हाउस के बिज़नेस को कन्डक्ट करा। इसके अलावा बाकी उपाध्यक्ष महोदय को कोई अधिकार नहीं है। इसी बात की व्यवस्था रूल्स में रखी गई है। तो इस स्थिति में यह जो बीच में काम हो गये, लिस्ट ऑफ बिज़नेस आगई, क्वेश्चन्स आ गये, बिल आ गये उनका प्रायर पब्लिकेशन हो गया, यह सब मैं समझता हूं कि रूल्स के अनुसार नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि हाउस को इस पर निर्णय करने के बाद ही आगे प्रोसीड होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है उसके विषय में मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि जो भी कार्यवाही हुई है वह अपने नियमों के और संविधान के अन्तर्गत हुई है और जो भी प्रश्न स्वीकार किये गये या जो लिस्ट ऑफ बिजनेस ड्रॉ की गई या जो भी अन्य कार्यवाही हुई वह सारी अध्यक्ष के आदेश से और उनकी ऑथोरिटी के अन्तर्गत हुई है। जहां तक सचिवालय के अध्यक्ष से सम्पर्क का संबंध था, टेलीफोन द्वारा और पत्रों द्वारा हर बात की जानकारी मुझे थी और मैं यह कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है वह रूल्स ऑफ प्रोसीजर और संविधान के अन्तर्गत सारी कार्यवाही हुई है। इसलिए जो आपत्ति उठाई है और पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया गया है वह डिसअलाऊ किया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार-जयपुर) :Mr. Speaker, Sir, I invite your attention to Rules 307 of the Rules of Procedure.

All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct.

I draw your attention to this particular word which has been used specifically. They are not the same matters......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (किशनगढ़) : आपकी रूलिंग के बाद यह कमेन्टरी हो रही है ?

श्री भैरोंसिंह : रूलिंग के बाद कमेन्टरी नहीं, यह तो क्लैरीफिकेशन है ?

श्री अध्यक्ष : I don"t think, there is any scope for any big discussion here.

(श्री अध्यक्ष)

जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो भी कार्यवाही हुई है वह सब रूल्स के और संविधान के अन्तर्गत हुई और उसके अन्दर कोई अवैधानिक चीज नहीं हुई है कि जिसके ऊपर आपत्ति उठाई जा सके ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The question arises with regard to the interpretation of Articles 180 of the Constitution :

"While the office of the Speaker is vacant the duties of the office......"

श्री अध्यक्ष : I don't know what is the debate about and what specific objection the Hon'ble member wants to make.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : The question is whether the Chair authorised the Dy. Speaker for the publication of this Bill. This is a vital point; whether this is within the powers of the Chair to authorise the Dy. Speaker to work in the absence of the Chair. This is the point.

श्री अध्यक्ष : I already said, I had been constantly in touch with the secretariat and whatever has been done, has been done under my authority and order.

श्री श्रीभानसिंह : Whether your honour has power to delegate the Dy. Speaker with the powers for publication of a Bill ?

श्री अध्यक्ष : No question of general delegation of powers arises. Whatever procedure has been followed uptil now has been followed in this case also and every thing has been published under my authority and my orders. I can say this.

श्री श्रीभानसिंह : If in the Gazette name of the Dy. Speaker apears, then your Honour cannot say that it has been put in your name when it is in the name of the Dy. Speaker.

श्री अध्यक्ष : Well whatever I said is quite clear. I don't think whether any further debate arises now. With regard to the constitution and constitutional propriety and the Rules of this House, the procedure which has been followed uptil now has been followed this time also.

श्री भैरोंसिंह : एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ आपकी रूलिंग्स के बारे में। आपकी अनुपस्थिति के अन्दर डिप्टी स्पीकर आपके पॉवर्स को एज्यूम करके स्पीकर के नाते कार्य कर सकते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : I don't want to enter into any discussion. I have given the explanation or rather satisfaction to the House......

श्री श्रीभानसिंह : But the Hon'ble member has challenged the very validity of the sittings of this House and has raised objection. It is not valid. He says that the present Assembly is not properly called.

श्री अध्यक्ष : I hbve over-rul ed the objection of the Hon. member.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : मैं एक पॉइन्ट पर एक्सप्लेनेशन चाहूँगा कि किस किस दिन अथवा किस तारीख को आपने पॉवर्स दिये हैं डिप्टी स्पीकर को अपने हस्ताक्षर से ?

श्री अध्यक्ष : मैं इसको पहले ही रूल आउट कर चुका हूँ। यह सवाल पहले पूछा जा चुका है और माननीय सदस्य ने जो कहा है उसका जवाब उसमें आ गया है।

श्री अनूपसिंह : स्पेसिफिक आर्डर्स दिये हैं या इन्स्ट्रक्शन्स दी हैं आपने तो जिस दिन डिप्टी स्पीकर, जो पब्लिकेशन चाहते थे उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्डर देकर आपने साइन किये हैं वह किस तारीख को किये हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य से मैं फिर कहूँगा कि जो बिल पास किये गये हैं, जो कार्यवाही हुई है, सवाल, रूल्स वगैरह के सम्बन्ध में वह अभी तक जो कार्यवाही रही है उसके अन्तर्गत हुई है।

पुरःस्थापित विधेयक

(१) राजस्थान म्युनिसिपल निर्वाचन (वैधकरण) विधेयक, १९६१

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान म्युनिसिपल इलेक्शन्स (बेलिडेटिंग) बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूँ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९६१

श्री सम्पतराम (वन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान फोरेस्ट (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान नाटकीय प्रदर्शन तथा मनोरंजन (संशोधन) विधेयक, १९६१

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ड्रामेटिक पर्फोर्मेन्सेज एन्ड एन्टरटेनमेंट (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूँ।

अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) विधेयक, १९६१

अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर शामलात कमेटीज (डिजोल्यूशन) बिल, १९६१, को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान उद्योगों के लिए राजकीय सहायता विधेयक, १९६१

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज बिल, १९६१ को पुरः स्थापित करता हूँ।

राजस्थान सागरी प्रथा उन्मूलन विधेयक, १९६१

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सागरी सिस्टम एबोलिशन बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं राज्य सरकार के इस विभाग के मन्त्री महोदय का यह आभार प्रदर्शित करूंगा कि देश के आजाद होने के १४ वर्ष पश्चात् हमारी सरकार की आंख खुली और इनको यह महसूस हुआ कि राजस्थान में भी गुलामी प्रथा चालू है । इसके बारे में यह हो सकता है कि 'देर आये दुरुस्त आये ।' इसके लिए मैंने सरकार की तारीफ की है कि १४ वर्ष बाद उनको इस प्रकार का ज्ञान हुआ । लेकिन जब सरकार को इस बात का आभास हुआ उस आभास होने के साथ ऐसा लगता है कि सरकार ने यह विधेयक पूरे विचार के साथ सदन में प्रस्तुत किया है, मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार के दिमाग में यह जो सारी स्थिति पैदा हुई है यह मनी लेन्डर्स के कारण से नहीं, बाकी के जो लोग अपने पैसे के आधार पर लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं उसके आधार पर नहीं है, बल्कि इसमें जो एक शब्द दूसरी भाषा में जोड़ा गया है उसके कारण से उनके ध्यान में यह आया है कि इस सिस्टम को सागरी प्रथा के नाम से समाप्त किया जाय । यहां इसमें सागरी प्रथा और हाली प्रथा इन दोनों की ओर संकेत किया गया है । जहां तक पहली प्रथा का सवाल आता है तो राजस्थान के किस जिले में, किस तहसील में और किन किन गांवों में इस प्रकार की व्यवस्था है उसके बारे में तो माननीय मन्त्री महोदय स्वयं बतायेंगे, लेकिन हाली की प्रथा का जहां सवाल आता है यह प्रथा पूरे राजस्थान के अन्दर है । यह हाली प्रथा का आधार लेकर केवल यह लेकर चला जाय कि कोई व्यक्ति काश्त करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को अपना हाली निश्चित करता है, और जो हाली के नाम से मेहनताना दिया जाता है, उस मेहनताने को यदि एडवान्स में दे दिया जाय तो वह हाली-सागरी की परिभाषा में आ जायगा और परिभाषा में आने के कारण इस कानून की व्यवस्था में आयेगा और वह प्रथा समाप्त हो जायेगी ।

मैं इस बिल के सिद्धान्तों का बिल्कुल पक्षपाती हूँ । मैं यह भी महसूस करता हूँ कि राजस्थान में पैसे के आधार पर यदि कोई गुलाम प्रथा या लोगों को क्रय-विक्रय की प्रथा या लोगों के शारीरिक बल और मेहनत को खरीदने की प्रथा किसी भी रूप में राजस्थान में चालू है तो वह तुरन्त समाप्त की जानी चाहिए । लेकिन उसके जो इम्पलीकेशन्स हैं और उसके कारण अन्य व्यवस्थाओं पर जो एन्क्रोचमेंट हो सकता है उसके बारे में हमें पूर्ण सतर्कता से विचार करना पड़ेगा । राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में उसकी सबलेटिंग की धाराओं को हम देखें और उसमें जो व्यवस्था की गई है, उसमें फौजी, अपाहिजों, विधवाओं और माइनर्स को अपने सुपरवीजन के अन्दर काश्त कराने का अधिकार दिया हुआ है । एक तरफ जहां टिनेन्सी एक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है वहां हम यह महसूस करते हैं कि अपाहिज, माइनर्स, विडोज या इस प्रकार की श्रेणी के जितने भी व्यक्ति हैं

Page No.35

(श्री भैरोंसिंह)

जो कि स्वयं अपना पर्सनल मेन्युअल लेबर कन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, जो कि फौज में जाने के कारण भी हो सकता है, अपाहिज भी हो सकता है, माइनर होने के कारण भी हो सकता है, या नेचुरल केलेमिटी हो उस केलेमिटी के कारण इस प्रकार का वर्ग किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सके, उनको रिलीफ देने के कारण से टिनेन्सी एक्ट में इस प्रकार का प्रोविजन रखा कि वे सबलेटिंग कर सकते हैं, और सबलेटिंग की जो मयाद हमने निश्चित की है उसको कौन से प्रोविजन और धारा के अन्दर चालू रख सकते हैं, लेकिन उस स्थिति के अन्दर यदि जिस प्रकार का विधेयक है उस विधेयक में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो उसका मतलब यह है कि आज के दिन से या जिस दिन से यह कानून के रूप में हमारे सामने आये उस दिन से न हाली रख सकेंगे और न सागरी का सवाल होगा। परिभाषा के अन्दर है कि सागरी को हाली मानते हैं और दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अन्तर नहीं किया है, अलग अलग डिवीजन में किसी डिवीजन में हाली कहा जाता है, किसी डिवीजन में सागरी कहा जाता है। हाली और सागरी में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है तो सबसे पहले मै सरकार से पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन से इस प्रकार के स्लेब्ज हैं, किन व्यक्तियों के बारे में सरकार इस प्रकार का कानून बनाने की चेष्टा कर रही है ? अगर सरकार का मतलब एग्रीकल्चरिस्ट्स द्वारा रखे जाने वाले हालियों से है तो हाली रखने की व्यवस्था के इम्पलीकेशन्स को समझाना पड़ेगा।

टिनेन्सी एक्ट में जो प्रोविजन्स दिये हैं उनके अनुसार सबलेटिंग के जो अधिकार दिये हैं अपाहिजों को, वेवाओं और माइनर्स को, उनको यह कानून हर प्रकार से नलिफाइ करता है। जो इस प्रकार की जमीन है और उस पर जो खातेदार हैं वे पर्सनल सुपरविजन में काश्त कराते हैं उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने किसी प्रकार का विचार किया है या नहीं ? यदि कोई विचार नहीं किया है तो जिस समय यह कानून बनेगा उस समय वे लोग हाली नहीं रख सकेंगे और उनकी जमीन पड़त रहेगी और यदि जमीन पड़त रहेगी तो उस पर लैंड युटिलाइजेशन एक्ट लागू होगा और कलेक्टर उस जमीन को अपने अधिकार में ले लेगा। यदि इस प्रकार की जमीन कलेक्टर द्वारा अपने अधिकार में ले ली जाती है तो कलेक्टर उसको अपनी इच्छानुसार अलॉट कर सकेगा। तो जो परिस्थिति इससे प्रकट होती है उस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

रहा सवाल सबलेटिंग का अधिकार ले लेने का, तो मैं समझता हूँ उसके बारे में सदन गम्भीरता से विचार कर सकता है लेकिन यहाँ पर सागड़ी और हाली के नाम से इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है तो इस में बहुत दिक्कत हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, गाँवों में आम रिवाज है कि काश्त करने में किसी न किसी व्यक्ति को साझे में रखते हैं। कैसे रखते हैं कि फसल काटने या बोने का मौका आता है उस समय एक-एक या दो-दो महीनों तक हाली रखते हैं और गाँवों में ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है कि एक-एक या दो-दो महीनों के लिये हाली नहीं मिलते हैं और ऐसी हालत में उनको एडवान्स पेमेन्ट करना पड़ता है और इस बिल में यह निर्धारित किया गया है कि यदि किसी को एडवान्स दे

Page No.36

(श्री भैरोंसिंह)

दिया और यह मान लिया कि एडवान्स दिया है तो वह सागड़ी की परिभाषा में आयेगा और उसमें पेनल्टी होगी, तो मेहनताना लेकर जो काम लेते हैं तो दिक्कत होगी कन्ट्रोवर्सी यह खड़ी होगी कि यदि किसी प्रकार से सागड़ी या हाली रखा तो रखने वाले को सजा दी जायगी। यदि किसी को हाली या सागड़ी रखा है तो वह कहेगा कि या तो मुझे जमीन में हिस्सा दो, नहीं तो कम्पलेंट करूंगा और हिस्सा नहीं देने में कई प्रकार की दिक्कत होगी। नये-नये केसेज क्रोप होंगे और लोगों में अशान्ति फैलेगी। नतीजा यह होगा कि गांवों में जो हजारों और लाखों की तादाद में बेकार लोग हैं उनको एग्रीकल्चरल सीजन में धन्धा मिलता है वह नहीं मिलेगा। वे लोग एडवान्स पेमेन्ट लेकर अपने घर गृहस्थी का काम चलाते हैं, अपना धन्धा चलाते हैं, उनको कोई एडवान्स पेमेंट नहीं करेगा। जो लोग बैल खरीदने के नाम पर या शादी-विवाह के नाम पर या अन्य काम के नाम पर हजार, दो हजार का एडवान्स पेमेंट करते हैं और सिर्फ उनके श्रम के द्वारा चुकारा कराया जाता है। जहाँ तक उनसे ताल्लुक है उनको आसानी से रोका जा सकता है, इस प्रोविजन को मनिलैंडर्स बिल में लाया जा सकता है और वह बिल सदन में पेश हो चुका है, सिलेक्ट कमेटी के सामने है, यदि मंत्री महोदय उसको जल्दी लाना चाहते हैं तो उन पर फोर्स डाल कर लाया जा सकता है। मनिलैंडर्स बिल में इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन करना पर्याप्त है। यदि सागड़ी सिस्टम के नाम पर या हाली सिस्टम पर एन्क्रोच करने की कोशिश की जाती है तो टिनेन्सी एक्ट में इस प्रकार के लोगों के साथ जो रियायत की है उनको एक तरफ तो आप रियायत देते हैं और दूसरी तरफ उनकी रियायत को छीनने की कोशिश करें, तो यह उचित नहीं है। जो लोग मेहनत कांट्रिब्यूट करते हैं उनका फायदा बेजा तौर पर कोई लोग लेते हैं उनके लिए यदि आप कानून बनाते हैं तो मुझे उस पर आपत्ति नहीं हो सकती। यदि एक घर में चार आदमी बेकार बैठे हैं, खेती कर सकते हैं लेकिन खेती करना सम्मानपूर्वक नहीं समझते हैं और हाली के श्रम से लाभ उठाना चाहते हैं तो उनको रोका जा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को जो मजबूरी के आधार पर हाली या सागड़ी से काम लेना चाहते हैं उनको रोकने की व्यवस्था कर दी है, सरकार इस प्रकार का निर्णय लेती है और हर प्रकार का सबलेटिंग रोकती है तो मैं बाकी के लिये तो उचित मान सकता हूँ लेकिन जो अपाहिज हैं, बेवा हैं या माइनर हैं उनके साथ तो परमात्मा ने भी केलेमिटीज दी हैं, उनके साथ सरकार भी ज्यादती करती है तो यह सोचने की बात है। यही बात फौजियों पर भी लागू होती है। राजस्थान में आज एमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट हो रहा है, सारे भारतवर्ष में एमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट हो रहा है। हमने फौजियों के लिये इस प्रकार की व्यवस्था की है। उस रोज सदन में भाषण हो रहे थे तब राजस्व मंत्रीजी ने कहा था कि फौजी लोग चीन की सरहद पर लड़ते हैं तो हम उनकी जमीन की रक्षा करते हैं। उनकी जमीन की रक्षा करने के बजाय आप इस प्रकार की रुकावट करना चाहते हैं। ऐसे लोग हाली रखकर ही काश्त करा सकते हैं। अगर उन्होंने एडवान्स पेमेन्ट कर दिया है तो हाली या सागड़ी की प्रथा चालू हो जायगी। कहीं कहीं बारहों महीनों तक हाली रखे जाते हैं। उसमें यह शर्त होती है कि पहले ६ महीनों का

(श्री भैरोंसिंह)

एडवान्स पेमेन्ट करना पड़ता है मालिक द्वारा और दूसरे ६ महीनों का पेमेन्ट साल के एन्ड में एट दि एन्ड ऑफ दि इयर होता है। दोनों ही तरह का इन्ट्रेस्ट हो जाता है पहला एड-वान्स में दिया जाता है और दूसरा बाद में दिया जाता है। जहाँ तक पहले इन्स्टालमेन्ट का प्रश्न आता है, वह व्यक्ति इस कानून के द्वारा शरण ले सकता है और कह सकता है कि मुझे एडवान्स पेमेन्ट ६ महीनों का किया गया है, इसलिये मैं सागड़ी की परिभाषा में आता हूँ और क्योंकि मुझे सागड़ी रखा गया है इसलिये मालिक को सजा दी जाय। इस तरह से जमीन के झगड़े कई प्रकार के होंगे। अगर सरकार यह महसूस करती है कि गांवों के लोगों के पास उसका एप्रोच करने का काम नहीं रहा है, या सरकार यह समझती है कि गांवों के लोगों को आपस में लड़ाने का साधन नहीं है तो मालिक और सागड़ियों को लड़ाया जाय। यदि सरकार की इस प्रकार की मंशा है कि गांवों के शान्त वातावरण में लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जाय तो इस प्रकार की व्यवस्था करे। मैं इस बात का पक्षपाती हूँ कि दूसरों के श्रम का कोई बेजा तौर फायदा पर उठाना चाहता है और स्वयं परिश्रम न करने में गौरव समझता है तो उसके लिये इस तरह कानून की आवश्यकता है।

इस बिल के बारे में माननीय मंत्रीजी यह कह सकते हैं कि इस पर सदन में ही विचार कर लिया जाय, लेकिन मैं समझता हूँ कि सागड़ी की जो परिभाषा दी है उसमें खास व्यवस्था के आधार पर मूलतः परिवर्तन नहीं किया है तो सागड़ी और हाली की व्यवस्था राजस्थान पर बहुत बड़ा परिवर्तन लानेवाली होगी और उसका असर सब पर पड़ेगा। इसलिये मैं मंत्रीजी से कहूँगा कि आपने १४ वर्ष के बाद इसे लाने में तत्परता बरती है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूँगा; लेकिन १४ वर्ष तक राजस्थान के इस तरह सोते रहने पर नुकसान नहीं हुआ और लोग आपकी ओर निगाह डालते रहे, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुलीं, वहाँ यदि आपकी आंखें ५ दिन और बंद रह जायें और हम बैठ कर इस पर विचार करके टिनेन्सी एक्ट में इम्पो-टेंन्ट और आवश्यक अमेन्डमेन्ट कर लें जिससे लोगों को मनीलैंन्डर्स से बचाया जा सके। जिन मामलों में यूजुअल प्रेक्टिसेज और कन्वेन्शेन्स के आधार पर व्यवस्था नहीं है तो हमारी सरकार जिनको राहत पहुँचाना चाहती है उनको राहत नहीं मिलेगी और जिनको अनजाने में नुकसान पहुँचाना चाहती है उनको नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। अब यह हो सकता है कि सरकार अनजाने में नुकसान पहुंचाना चाहती है या जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहती है। यदि जानबूझ कर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है तो मैं समझता हूँ, सिलेक्ट कमेटी में भेजने को स्वीकार करती है तो ऐसा समझना चाहिए कि यह अनजाने में किया है और यदि सरकार जिद करती है और कहती है कि इसको अभी पास करना है, लोग गुलामी से परेशान हो रहे हैं, आन्दोलन कर रहे हैं, इससे जल्दी से जल्दी मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सहानुभूति के लिये गुलाम आपको आशिर्वाद देंगे; लेकिन उन्होंने १४ वर्ष तक बद्दुआएं दी हैं, उनकी मुक्ति में ५-४ दिन काउन्ट नहीं करेंगे और आप आगे की बद्दुआओं से बचेंगे ऐसा विचार कर सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकार की मंशा है या नहीं, मैं नहीं कह सकता इस कानून

(श्री भैरोंसिंह)

के बारे में कई वकीलों से सलाह ली थी, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार की इसमें डेफिनिशन है, इसमें टिनेन्सी एक्ट में जो प्रोविजन रखे हैं उन पर एन्क्रोचमेन्ट होगा। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि चाहे इसे इसी अधिवेशन में पास कर लिया जाय मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे पहले सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो वहां हम बैठ कर इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव·······

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है और जिसके सम्बन्ध में हमारे दल के नेता ने विधेयक का स्वागत करते हुए धन्यवाद की कृपात्र सरकार को धन्यवाद देने की उदारता दिखाई है, मैं उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन यह बात स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था आज १४ साल के बाद में भी बनी हुई है, यह इस बात का संकेत है कि आज हम राजस्थान में जो विकास की बात करते हैं, आर्थिक पुनरुत्थान की बात करते हैं, हरएक नागरिक का आर्थिक विकास हो रहा है, यह कहते हैं, चहुँ ओर प्रगति हो रही है, प्रगति के रास्ते पर राजस्थान बढ़ रहा है, पर मैं ऐसा समझता हूँ कि राजस्थान का कोई भाग प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा होगा, लेकिन जहाँ तक सम्पूर्ण राजस्थान का सवाल है, वहाँ सम्पूर्ण राजस्थान के गांवों में रहने वाले ग्रामीण पिछड़े हुए हैं और वह इस बात से साबित होता है कि आज भी राजस्थान में सागड़ी प्रथा जैसी प्रथा प्रचलित है और जिसके उन्मूलन की दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है।

जहां तक कानून की खामियों का सवाल है, लैंड रिफॉर्म्स और टिनेन्सी एक्ट, बाकी एक्ट और लेजिस्लेशन की दृष्टि से जो बातें माननीय श्री भैरोंसिंह ने रखी हैं, मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, अगर उन सब बातों को उस समय रखा जाता लैंड रिफॉर्म्स और टिनेन्सी लेजिस्लेशन की दृष्टि से जब कि माननीय राजस्व मंत्रीजी यहां पर उपस्थित होते तो ज्यादा अच्छा होता। जो बातें रेवेन्यू लेजिस्लेशन के सम्बन्ध में हैं, उनमें ये जो कॉम्प्लीकेशन्स हैं, ये सारी बातें इसलिए पैदा होती हैं कि आज मालूम ऐसा होता है कि हमारी सरकार के जितने विभाग हैं, उनमें किसी प्रकार का कोऑर्डीनेशन नहीं है। यह बात सही है कि सागड़ी प्रथा और हाली प्रथा जिस प्रकार राजस्थान में प्रचलित हैं, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता लेकिन जिस प्रकार का हम कानून बनाने जा रहे हैं, उस कानून को बनाने के अन्दर जिस प्रकार की इच्छा है, उसका परिणाम क्या होगा, क्या उसके कॉन्सीक्यूएन्सेज होंगे, इस पर कोई संशोधन तो लाने की आवश्यकता हमें नहीं होगी नित्य प्रति, उस सारी दृष्टि से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का सम्बन्ध है, उस टिनेन्सी एक्ट में जो टिनेन्ट की परिभाषा दी है, उस परिभाषा में उस आदमी को माना है, जो अपनी काश्त हायर्ड लेबर से करता है, हाली और मजदूरों को रखकर करवाता है, स मजदूर को हाली

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कहते हैं अथवा उसे कोई सागरी कह सकता है। मैं समझता हूँ, राजस्थान में अनेक इस प्रकार के बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो इस प्रकार हाली रख कर काश्त कराते हैं। मैंने इसी सदन में पिछली बार, जिस समय राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पर संशोधन आया था, उस समय एक संशोधन प्रस्ताव रखा था और मैंने टिनेन्सी एक्ट में एक संशोधन की मांग की थी कि जो हायर्ड लेबर, हाली रख कर काश्त कराते हैं उन्हें काश्तकार नहीं माना जाय, उन्हें कोई राइट्स नहीं मिलने चाहिए। मुझे याद है कि इस सदन में माननीय राजस्व मंत्रीजी ने कहा था कि यह सम्भव नहीं है, यह रखना होगा, जो हायर्ड लेबर से काश्त कराते हैं, उन्हें टिनेन्ट की परिभाषा में लेना होगा। उसी संदर्भ में मैंने सांगानेर के पास के एक बड़े किसान का हवाला दिया था, जो राजस्थान का रहने वाला नहीं है, लेकिन राजस्थान में आज उसकी ३०-४० बीघे की फार्म है। उस फार्म पर वे साल भर में एक बार या दो-चार बार आते होंगे। उस पर कौन खेती करता है, कौन जमीन जोतता है, कौन बीज डालता है, कौन फसल को काटता है, कौन खलिहान में अनाज को साफ कराता है, कौन उसे गंदानों मे भर कर बाजार में बेचता है ? यह फार्म का मालिक नहीं करता, किसान नहीं करता, जो हाली है, मजदूर है, वह करता है, जो काम करता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि इस प्रकार के बड़े किसान का, काश्तकार का जो उदाहरण मैंने दिया है, जो सांगानेर के पास के एक बड़े फार्म का मालिक है, उस किसान के बारे में इस सन्बन्ध में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता कि वह रहता कहां है ? वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, वह सेन्टर दिल्ली में रहने वाला है, वह फार्म पर रहता नहीं, खुद खेती करता नहीं, खुद काश्त करने के बारे में उसे कुछ आता नहीं। इस प्रकार का सेन्टर का मिनिस्टर खेती कराता है, उसके खेत में जो काश्त होती है, उसके लिए काश्त करने वाले हाली रखे होंगे, जिन्हें एक महीने का या एक साल का एडवान्स दिया होगा। वे लोग हाली की परिभाषा में आयेंगे, सागरी की परिभाषा में आयेंगे, जिनका प्रोसीक्यूशन आपको करना होगा। मैं समझता हूँ कि सागरी और हाली रखना एक अपराध है, इस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जायगा, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की मन्शा नहीं है, इस प्रकार का इसका अर्थ नहीं है। हो सकता है कि आपने सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार किया हो कि इस प्रकार गांवों में काश्त कराने की दृष्टि से मजदूरों के द्वारा काश्त कराई जा सकती है, हाली के द्वारा काश्त कराई जा सकती है। लेकिन इस प्रकार का कानून पास करने से जो इनकॉन्सिस्टेन्सी पैदा होगी, और जो कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो जायेंगे, इन सब पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन सब दृष्टिकोणों से सागरी प्रथा के उन्मूलन का कोई विरोध नहीं करता है, इसका समर्थन है। लेकिन इसके साथ ही ये जो सारी परिस्थितियां हैं, इन पर विचार करना आवश्यक है। इस दृष्टि से विचार करने के लिए जो प्रस्ताव रखा है सिलेक्ट कमेटी को भेजने का, वह इस विचार से रखा है कि सात दिन में सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार कर लें लीगल पॉइन्ट ऑफ व्यू से, रेवेन्यू लेजिस्लेशन के आस्पेक्ट्स हैं उनके व्यू से। जैसे जो आर्मी पर्सेनल्स हैं, विडोज हैं, माइनर्स हैं, जिनको

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कानून में अधिकार दिया है कि वे मजदूर रख कर खेती करवा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि मजदूर को दो महीने की तनख्वाह एडवान्स में दें। हो सकता है वह साल भर की सिक्योरिटी चाहे क्योंकि हर एक मजदूर सोचता है कि सिक्योरिटी रहे। जो हाली रहेगा वह भी साल भर की सिक्योरिटी चाहेगा और साल भर की मजदूरी का कॉन्ट्रेक्ट कराना चाहेगा, वह साल भर का एडवान्स भी ले सकेगा। उसके हिसाब से उसे मजदूरी करनी पड़ेगी, उसको हम सागरी और हाली मान सकते हैं और उसका प्रोसीक्यूशन हो सकता है। मैं आवश्यक समझता हूँ कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में विडोज को, माइनर्स को, आर्मी पर्सोनल्स को, डिसएबल्ड पर्सन्स को टिनेन्ट के इस प्रकार के अधिकार दिये हैं कि वे हाली या मजदूर को रख कर काश्त करा सकते हैं, उस दृष्टि से भी इस कानून पर विचार करने की आवश्यता है और इसलिए ही इस विधेयक को इस प्रकार की प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है, जिसे सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है कि वह सात दिन में अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखे। उसके बाद सदन उस पर विचार कर सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, सागर सिस्टम अबोलिशन बिल पर माननीय भैरोंसिंह ने इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके सपोर्ट में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। सागरी प्रथा के सम्बन्ध में मैं यह बता दूँ कि यह स्लेवरी के माफिक तो है नहीं लेकिन सागरी सिस्टम और हाली सिस्टम, मैं समझता हूँ, राजस्थान के अन्दर अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों को एक साथ जोड़कर यह कहा जाय कि हाली सिस्टम और सागरी सिस्टम एक स्लेवरी टाइप है, तो मैं इसको मानता नहीं। बहुत सी जगहों पर एक प्रकार के हाली सिस्टम को इसमें हम इन्क्लूड कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि इस विधेयक को हम प्रेक्टिकल रूप नहीं दे सकेंगे और राजस्थान में हम पूरी तरह से, जिस तरह से इसे लागू करना चाहते हैं, उस तरह से लागू नहीं कर सकेंगे। एक आदमी को लोन देकर उसे जिन्दगी भर के लिए स्लेव बनाने का यह जो सिस्टम है, इसे अबोलिश करना ठीक है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह की प्रिवेलेन्ट चीज है, वह ऐसी है कि आदमी को रखते हैं, उसको एडवान्स देते हैं। जिसको पैसे की जरूरत है, वह आदमी पैसा लेता है, एडवान्स लेता है। जिसके जमीन पास नहीं है. जिसके पास और कोई दूसरा काम नहीं है, वह पर्सन अपनी सर्विसेज रेन्डर करके उसके बेसिस पर लोन लेता है, इसलिए लेता है कि आप हाली सिस्टम को अबोलिश कर देते हैं तो फिर कल्टीवेटर रख लें, स्मॉल कल्टीवेटर, जिसको मीडियम कल्टीवेटर कहा जाय, वे हाली रखते हैं। मेरे भरतपुर इलाके में जो प्रोसपरस कल्टीवेटर्स हैं, वहां इस आधार पर जिनसे काश्त कराई जाती है, वे स्लेव नहीं हैं। उन्हें पैसा एडवान्स दिया जाता है, पैसा एडवान्स देकर और बैल वगैरह देकर उनसे काश्त कराई जाती है। उसको भी इसमें इन्क्लूड कर लें और उसे भी स्लेवरी की परिभाषा में मानें तो मेरी समझ में यह नहीं आता है। इस तरह आप एग्रीकल्चर को एक्सप्लोइट करते हैं क्योंकि हर एक हाली को

Page No.41

(श्री भानसिंह)

स्लेव डिक्लेयर कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में बहुत से एग्रीकल्चरिस्ट ऐसे हैं, जिनको स्लेवरी अबोलिश करके । दें कि एडवान्स न दें, तो भी लोग एडवान्स दे देंगे। क्योंकि हमारे ान में सरप्लस लेबर बहुत है। उन्हें कोई धन्धा देने को आपके पास है? कोई ऑल्टरनेटिव धन्धा देने को हैं? आप ऑल्टरनेटिव एम्प्लायमेंट दे नहीं सकते, लाइवलीहुड दे नहीं सकते तो जिस सागरी सिस्टम को पर्सिस्ट करते हुए १४ साल हो गये, इसके परिणाम में आपके गांव गांव में सागरी सिस्टम हैं। सागरी सिस्टम और हाली सिस्टम अलग अलग हैं, एक नहीं है। मैं समझता हूँ कि जहां सागरी सिस्टम प्रिवले कर रहा है, वहां पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, वह फेल्योर रहेगा।

आखिर आपने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किस लिए खोली हैं? इन छोटे आदमियों, इस तबके के लोगों को लोन देने के लिए खोली थी, पर आपके लोन इन छोटे तबके के लोगों तक नहीं पहुँच सके हैं इसलिए मजबूर होकर इन लोगों को बोहरों से लोन लेने पड़े और इस तरह सागरी बनना पड़ा। अगर इस सिस्टम को मिटाना चाहते हैं तो आपको सहकारिता की ओर बढ़ना पड़ेगा, इन लोगों को लोन देने पड़ेंगे। कोई भी आदमी स्लेव नहीं रहना चाहता। एक आदमी मजदूरी से पैसे लेता है और उसके एवज में सर्विस देता है, ऐसी सूरत में जिस जिस जगह सागरी सिस्टम प्रिवेलेंट है वहां कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज लोन नहीं देगीं, तो लोग सागरी रहेंगे और इसको अबोलिश करने का कानून भी पास करेंगे तो उस कानून की वही दशा होगी जैसी दशा डेथ फीस्ट को रोकने के कानून की हो रही है, कानून पास करने के बाद भी डेथ फीस्ट्स राजस्थान में बन्द नहीं हुई है, तो मेरा कहना है कि सागरी सिस्टम में जहां कहीं स्लेवरी है, जैसे भीलवाड़ा साइड में यह प्रचलित बताते हैं तो उनको वहां लोन इसलिए देते हैं कि वे लोग उनकी सर्विसेज करें। पर ईस्टर्न राजस्थान है उसमें साल भर के लिए लोन दे देते हैं, साल भर तक एग्रीकल्चरल काम करते हैं और ज्यों ही लोन खत्म हो जाता है वे अपने आप अलग हो जाते हैं, उस लोन पर कोई इन्ट्रेस्ट नहीं होता। लार्ज कल्टीवेटर्स और मीडियम कल्टीवेटर्स हालियों को रखते हैं। हाली उनको कहते हैं जो बैल बगैरह को देखे, उनको पैसा जरूर दिया जाता है पर आप कहें कि वह स्लेवरी है तो वह स्लेवरी नहीं चाहे मन्थली पेमेंट कर दो या एन्युअली कर दो। आपने लिखा है 'नोमिनल वेज' का। राजस्थान में एग्रीकल्चरल मिनिमम वेज का कानून लागू करते हैं तो जो सब्स्टेन्टिव वेज कर देते हैं उसको भी आप इस डेफिनिशन के मुताबिक स्लेवरी मान लेंगे। इससे स्लेवरी तो अबोलिश होगी नहीं। मेरा यह कहना है कि सागरी और हाली सिस्टम को अलग अलग डिफाइन करिये और डेफिनिशन कॉम्प्रीहेन्सिव हो। एक मन्त्री महोदय सिर हिला रहे हैं। यह वैसे कृषि में आना चाहिए पर उद्योग मान कर इसे उद्योग मन्त्री की तरफ से पेश किया गया है। मैं नहीं मानता कि वे कृषि में ज्यादा समझते हैं। इस सिस्टम को अबोलिश करने का कानून पास करके एग्रेरियन इकोनोमी को अपसेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं पर आपको सागरी और हाली सिस्टम का क्लेरिफिकेशन

Page No.42

(श्री श्रीभानसिंह)

करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। जैसा कि भैरोंसिंह जी ने कहा वह आदमी कह सकता है कि मैंने तीन सौ, चार सौ रुपया लोन लिया है और उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे ? जहां स्लेवरी है यदि भीलवाड़ा वगैरह में है तो उसको अबोलिश कर दें पर इसकी एक्च्युअल रेमिडी लेजिस्लेशन नहीं, इसका सही इलाज यह है कि जिस इलाके में पॉवर्टी है, पॉवर्टी ज्यादा होने से जिस एरिया में यह स्लेवरी प्रिवेलेन्ट है वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ज्यादा लोन देने के लिए तैयार कीजिए, ताकि मनी लैंडर्स से लोन न लेकर लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लोन लें, इससे अपने आप यह सिस्टम अबोलिश हो जायगा। एक तरफ तो आप इस तरह का बिल ला रहे हैं और दूसरी तरफ आप अब तक राजस्थान में मनीलैंडर्स बिल नहीं ला रहे हैं, मनी लैंडर्स राजस्थान के रूरल एरिया में हावी हो रहे हैं और इस प्रकार की स्लेवरी का रूट कॉज मनी लैंडर्स हैं, मनी लैंडर्स बिल नहीं लाते तब तक यह स्लेवरी अबोलिश नहीं हो सकती। इसको यह कहा जाय "putting the cart before a horse", इसको लाने से पहले मनी लैंडर्स बिल लाते, मनी लैंडिंग को अबोलिश करते। स्माल मेजर तो ले आये स्लेवरी को अबोलिश करने का, पर सबसे बड़े स्लेवरी को पर्पीचुएट करते हैं, रूरल एरिया में वे मनी लैंडर्स हैं। इसलिए इससे पहले मनी लैंडर्स बिल लाना चाहिए था। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजें तो सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार करके कह सकती है कि मनी लैंडर्स बिल को लाना चाहिए, इस प्रकार के तबके के लिए, काश्तकारों के लिए बड़ा ईविल मनी लैंडिंग है, इस तरह की ओपिनियन सिलेक्ट कमेटी देगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय, सिलेक्ट कमेटी सेशन डेज में ही उस पर पूरी तरह से विचार करके पेश कर दे और फिर इसे पास किया जा सके।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अर्ज करते हुए बड़ा अचम्भा हो रहा है कि हमारे यहां काश्त का जो सिस्टम है उसको न जानते हुए मन्त्री महोदय ने यह प्रयास किया है कि वे इस बिल को इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं या सदन में इस पर चर्चा करवाना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि आपने यह सिस्टम रखा है कि हाली न हो, सागरी न हो तो अच्छा है, मैं भी सिद्धान्ततः इसको मानता हूँ कि सिद्धान्ततः यह एक अच्छी चीज है और समाज में लागू करने लायक चीज रखनी चाहिए, पर जिस तरह हाली सिस्टम, सागरी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, इससे आपका क्या मकसद पूरा होगा, इसको आप किस मुद्दे से लाना चाहते हैं, मैं उसको समझ नहीं पाया हूँ। हो सकता है, आप इससे यह चाहते हैं कि इससे गुलामी बन्द हो जायगी। एक आदमी दूसरे आदमी की मेहनत को एक्सप्लोइट नहीं कर सकेगा, या इससे यह भी हो सकता है कि एक काश्तकार अपनी काश्त न करवा सके, यह भी हो सकता है। एक काश्तकार एक साल में २५ बीघा जमीन पिलाता है। यह प्रेक्टिकल चीज है, सिद्धान्त की या केवल थ्योरी की बात नहीं है। २५ बीघा जमीन पर एक जोड़ी वह रखता है और दो जोड़ी के लिए दो हाली रखता है, अगर वह दो जोड़ी के लिए दो हाली नहीं रखता है तो वह २५ बीघा जमीन

(श्री अनूपसिंह)

मिला नहीं सकता। अब आप कह सकते हैं कि वह ६ बीघा ही क्यों नहीं मिलाये ? पर आप सोचिये कि क्या ६ बीघा में उसकी जिन्दगी को चलाने के लिए, १२ महीने तक उसकी गृहस्थी को चलाने के लिए पूरा खर्चा मिल जायगा ? क्या इतनी काश्त, इतनी धान उससे पैदा हो जायगा कि वह अपने आपको और अपने बीबी-बच्चों को १२ महीने तक पाल-पोस सके ? इसलिए लाजिमी तौर पर उसको बाध्य होकर हाली रखना पड़ता है। हाली लोग इसलिए रहते हैं कि उसके पास जमीन नहीं है क्योंकि उसको बोहरा पैसा नहीं देता है इसलिए वह काश्तकार के पास जाता है। वह अकस्मात् और प्राकृतिक और सामाजिक पहलुओं की वजह से बाध्य हो जाता है और वह बोहरे के पास जाने के बजाय काश्तकार के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमको मजदूरी दूंगा तुम मुझको पैसा दो। इसमें अन्याय क्या हुआ ? एक आदमी एडवान्स लेता है और दूसरा मजदूरी करने के बाद में अपना पैसा लेता है। एक आदमी मजदूरी करने से पहले पैसा ले लेता है और मजदूरी बाद में देता है और दूसरा मजदूरी करके पैसा लेता है। बात तो एक ही हुई। लेकिन समझने में मुश्किल हुई है। एक आदमी एडवान्स लेता है और दूसरा एडवान्स देता है और उससे काम लेता है मैं यह समझ नहीं पाया कि इसमें अन्याय क्या है ? उसका काम नहीं चलता है इसलिए मजदूरी कराता है। कोई आदमी मजदूर रखता क्यों है, इसीलिए कि उसको लेबर की जरूरत है। एक लेबरर है और दूसरा लेबर को रखने वाला है। हां, अगर आप यह चाहते हैं कि हमारे यहां हमारी सोसाइटी में, हमारे समाजवाद में कोई लेबरर रहना ही नहीं या रहे ही नहीं, तो हो सकता है कि आप अपने यहां पूर्ण रूप से कॉम्युनिज्म डिक्लेयर कर दें। यह तो कॉम्यु-निज्म आ जावे तो हो सकता है। उस समय आपके कानून नये बनेंगे और एग्रीकल्चरल स्कीम किस तरह की होगी और कानून किस तरह काम करेंगे, यह अलग चीज होगी। लेकिन आज के समय में जो काश्तकारों का ढांचा है उसको देखते हुए आपने अभी तक सागरी सिस्टम को समझा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय को मैं एक इन्ट्रेस्टिंग बात अर्ज करूंगा और वह यह है कि उन्होंने इस पर सोचा नहीं। सागरी इस-लिए रखे जाते हैं कि एक आदमी के पास उसकी काश्त करने के सारे तरीके हैं। उसके बच्चा नहीं है और केवल लड़कियां ही हैं। दो लड़कियां हैं और वह किसी आदमी को कहता है कि मैं तुम्हारी शादी मेरी लड़की से कर दूंगा, मगर तुमको मेरे यहां हाली रहना होगा। आपने अभी तक यही सुना है कि पैसे पहले ले लेते हैं। एडवान्स ले लेते हैं। मगर वह उसको लड़की को दिखा कर कहता है कि तुम्हारी शादी कर दूंगा, अगर तुम सागरी या हाली रहोगे। इस तरह से वह हाली रहता है और इन हालियों की ऐसी दुर्दशा होते हुए मैंने देखा है ...

एक माननीय सदस्य : घर-जंवाई की तरह रखते हैं।

श्री अनूपसिंह : मैं मानता हूँ कि वे घर-जंवाई की तरह से उसको रखते हैं, लेकिन उसको घर जंवाई किसी दिन नहीं कहते। उसको सागरी के काम से या हाली के नाम से रखते हैं और वह भी इसलिए रहता है कि

(श्री अनूपसिंह)

लड़की की शादी उसके साथ कर दी जावेगी। वह तीन-तीन चार-चार साल तक बड़ी मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह करता है, उसको खाने-पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, मेहनत ही मेहनत करनी पड़ती है। जब तक लड़की शादी के लायक नहीं हो जाती है वह काम करता रहता है और इसी इन्तजार में कि उसका हाथ उसको मिलेगा और मैं अपनी शादी करके अपने घर जाऊंगा।

माननीय मंत्री महोदय को गांवों की कन्डीशन से पूरी वाकफियत नहीं है। आप चलते रास्ते ही इसको पाइलोट कर लें, इसमें इसलिए मुश्किल होगी आपको यह देखना होगा कि हमारे यहां क्या सिस्टम चलता है। बोहरे उनसे दो-तीन रुपया सैकड़ा का इन्ट्रेस्ट लेते हैं और समय पर जब वे नहीं देते हैं तो उनको इस तरह से एक्सप्लोइट करते हैं कि उनका छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है और जो कुछ भी वे पैदा करते हैं उसको घर में नहीं ले जा सकते और इसीलिए वह काश्तकारों के पास आना चाहता है। काश्तकार पैसा देता है। इसमें क्या गलत है? समझ में नहीं आता कि आप हाली प्रथा को समाप्त क्यों कर रहे हैं? आपयह समझते हैं कि आपको इसे समाप्त करने से आपके यहां प्रोडक्शन बढ़ जायेगी। मगर मैं यह कहूँगा कि इससे आपकी प्रोडक्शन कम हो जावेगी। आप देखेंगे कि छोटे छोटे काश्तकार हैं दो जोड़ी रखते हैं। उसके लड़का नहीं है लड़कियाँ ही हैं और वह उनको संभाल नहीं सकता, एक जोड़ी ही संभाल सकता है। आखिर वह कहां जावेगा? अगर वह मजदूर नहीं रखेगा तो किस प्रकार से कार्य कर सकेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि २० या २५ बीघा की काश्त के लिए उसको हाली रखना होगा। एक व्यक्ति मजदूरी का पैसा देता है और दूसरा मजदूरी का पैसा लेता है। इसके अलावा और क्या बात है? इसलिये मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जिस तरह का यहां पर सिस्टम और कन्डीशन्स हैं उनको देखते हुए आपने यह बिल सोच कर नहीं पेश किया है। मान लिया जाये कि कहीं पर जैसा आप कहते हैं होता होगा। मगर हो सकता है कि कुछ समय बाद हाली यह कहने लगे कि हम और आप साझे में खेती करते हैं। इसलिये आपको इतनी जमीन देनी होगी। एक तरफ आप टिनेन्सी राइट देते हैं और दूसरी तरफ ऐसे आदमी डालते हैं जो हाली होते हुए उनसे टिनेन्सी राइट मांगते हैं। हाली को वह एक दफे अपनी गरज से रखता है और बाद में हाली उससे जमीन मांगने लग जाता है। इसलिये मैं समझता हूँ कि श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति को दे दिया जावे और वह इन सारी बातों पर सोच-विचार करे और अपनी राय दे। इसमें गलत बात नहीं होगी और यह हो सकता है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मंगाई जावे। हाली और सागरी सिस्टम में समझता हूँ कि इसमें पूरा हो सकता है। यह मनी लैन्डर बिल में रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं एक काश्तकार के नाते अर्ज कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय, समझ कर और सोच-विचार कर वाकई में इस पर गौर करेंगे और इससे कितनी ही तरह की कठिनाइयां खड़ी हो जावेंगी और आप समझें कि जिसको निपटाना आपके हित में नहीं होगा और मैं यह समझता हूँ कि that will come down and

(श्री अनूपसिंह)

that will eventually effect the food condition and food situation in the country.

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूँ और इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए मैं माननीय मंत्री से अर्ज करूँगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): I want toclarify certain points raised by the Hon'ble members. मैं थोड़ा सा क्लेरीफिकेशन कर देना चाहता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : थोड़ा बाद में करें। यह आप पहले कर सकते थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am only taking permission of the Chair.

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने टिनेन्सी एक्ट के प्रोविजन्स की बातें करते हुए बताया कि हायर्ड लेबर को डिसएलाऊ करने से कल्टीवेशन में आर्मी पर्सोनल्स व डिसएबल्ड पर्सन्स को बहुत दिक्कत पेश आवेगी अगर यह बिल पास हो गया। मेरे ख्याल से यह कहना ठीक नहीं है। अगर जो डेफिनिशन दी गई है उसको गौर से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि एडवान्स पेमेन्ट पर कोई आपत्ति नहीं है, एडवान्स पेमेंट कर सकता है। मगर आप कर्ज देते हैं और फिर यह शर्त लगावें कि उसके लड़के या उसके पोते हों जब तक वह कर्ज अदा न हो उनको कम्पलसरी लेबर देनी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। लोन की कोई बात नहीं है। हाली को या लेबर को देते हैं। हाली कोटा का हो या कहीं का हो। हाली रखने के लिये हायर्ड लेबर एग्रीमेंट करने के लिये जहां तक सम्बन्ध हैं इसमें कोई मुमानियत नहीं आती है।

(१ म० ५०)

यह जो लफ्ज 'लोन' है वह मोर सिग्नीफिकेन्ट है और इससे ज्यादा अच्छी डेफिनिशन और क्या हो सकती है ? और जो गलतफहमी फैल गई है कि न हायर्ड लेबर और न हाली रख सकते हैं यह बात सही नहीं है, इसको आप दूर कर दीजिये। यह भी बात सही नहीं है कि आर्मी पर्सनल्स और डिसएबल्ड पर इससे असर पड़ता है। उन पर भी कोई इससे असर नहीं पड़ सकता है। इसके लिए ४६ में दिया हुआ है। पाँच साल के लिए सबलेटिंग आदमी कर सकता है। आर्मी पर्सनल्स वगैरह के लिए नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य जो जौहरी बाजर से और श्रीमाधोपुर से आये हैं उन्होंने जो यह बताने की कोशिश की है उसके लिए मैं उन्हें निवेदन करना चाहूँगा कि अब भी इस कानून के बन जाने से कोई उस पर असर नहीं पड़ने वाला है। माननीय सदस्य डेफिनिशन में जो 'लोन' शब्द दिया हुआ है यदि उसको पर्टिकुलरली देख कर विचार करें तो उचित होगा और उनकी यह गलतफहमी दूर हो जायगी।

उद्योग मंत्री (श्री खिबचन्द धारीवाल) : थोड़ा मैं भी कह दूं।

श्री अध्यक्ष : अन्य माननीय सदस्यों को कह लेने दीजियेगा।

श्री सूबेदारसिंह।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : अध्यक्ष

Page No.46

(श्री सूबेदारसिंह)

महोदय, सागड़ी बिल सिलेक्ट कमेटी को पेश किया जाय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। सागड़ी और हाली का नाम लेकर आज सदन में चर्चा की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि स्लेवरी जैसी कोई यह प्रथा नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में सदन को यह बताना चाहूँगा कि यदि यह स्लेवरी प्रथा नहीं है तो दूसरी कौनसी प्रथा है। चन्द रुपये देकर, जो कि उसके जीवन के लिए प्रर्याप्त किसी हालत में नहीं कहे जा सकते, एक-दो साल और अधिक समय के लिए एक व्यक्ति उसको सागड़ी रखना चाहता है और उससे हाली-सागड़ी का काम लेकर के बड़ी सख्त मेहनत करवा कर उसको एक तरह से गुलाम ही रखता है, गुलाम के सिवाय और क्या कहा जायगा ? यह गुलाम प्रथा के सिवाय और कोई दूसरी चीज नहीं है और न हो सकती है। माननीय सदस्य ने कहा, लेकिन इस बात पर उन्होंने यह प्रकाश नहीं डाला कि हाली-सागड़ी रखना तो चाहते हैं लेकिन कितना पैसा, मेहनताना उसको एक साल का देना चाहते हैं ? मैं अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने यह कहना चाहूँगा जो व्यक्ति हाली या सागड़ी रखते हैं तो तीन महीने को जो सेलेरी होती है उससे अधिक वह उसको पैसा नहीं देना चाहता और तीन महीने के लेबर में वह दिन-रात चौबीसों घंटे उसको एक साल तक स्लेव की तरह काम में लेना चाहता है। किसान हो चाहे मजदूर हो आज कोई भी दो रुपये रोज से कम किसी सूरत में काश्तकारी या मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं होता। सागड़ी प्रथा चालू रखने से आज एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को १५०),२००) साल भर के देकर उसको हाली रखना चाहता है, बतौर स्लेव के वह उसको रखना चाहता है। यदि माननीय सदस्य इसकी गहराई में जायें तो पता चलेगा कि जिन घरों में इस सागड़ी प्रथा में लोग काम करते हैं, काश्त करते हैं, घर का दूसरा काम करते हैं; एक साल, दो साल और बीसों साल तक वे करते ही रहते हैं और इसी प्रकार से वे चलते रहते हैं, उनको उससे कोई छुटकारा नहीं मिलता और यदि इस प्रथा का कोई अन्त नहीं किया गया तो उनको कभी छुटकारा भी नहीं मिल सकेगा और न ही आज इस युग में भी हम उनको छुटकारा दिला सकेंगे। उस व्यक्ति की हालत को भी जरा देखिये कि वह अपनी जिन्दगी चन्द पैसों के अन्दर १५०), २००) साल भर का लेकर हाली रह कर बेच देता है। वह पैसा तो यदि कोई उसके नुक्ता वगैरह हो गया और कोई काम हुआ तो पूरा हो जाता है, उनके पास बाकी खाने और गुजर-बसर के लिए भी कुछ नहीं रहता है, अनाज तक उसके पास नहीं रहता है, वह आखिर साल भर किस प्रकार से निकाले ? वह कर्ज लेकर के अपना काम चलाता है, उस कर्ज में सूखता चला जाता है और इस प्रकार से गुलामी में फंसा रहता है। १५०), २००) तो उसके कर्ज को चुकाने में ही पूरे हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वह जिन्दगी भर इस प्रकार कर्जा लेकर इस गुलामी में फँसा रहता है और चाहे छोटा काश्तकार हो और चाहे मीडियम, चाहे बड़ा काश्तकार हो वह उस व्यक्ति को अपने चंगुल से नहीं निकलने देता है। वह बैल की तरह दिन-रात काम करता है, उसकी औरत वगैरह भी वहां आती है तो काम करती है, केवल चुल्लू भर छाछ का पानी उसको मिल जाता है। एक माननीय सदस्य ने बड़े तपाक से कहा कि १४ वर्ष के बाद अब होश आया। लेकिन १४ वर्ष के

(श्रीसूबेदारसिंह)

होश आने के बाद भी आज यह देखकर अत्यन्त दुःख हुआ कि आज भी कानूनी अड़चनें लगा कर उस गुलाम प्रथा का आप अन्त नहीं करना चाहते हैं कि किसानों की काश्तकारी नहीं चलेगी, काश्त में घटोत्तरी हो जावेगी। चूंकि वह हाली नहीं रहेगा तो यह सब कुछ हो जायगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि यदि उसको माहवारी देकर काश्त करायें तो क्या दिक्कत है ? हो सकता है कि ६०) माहवार में भी काश्तकार न मिले। हमारे उधर तो ७०), ७५) में नौकर मिलते हैं; एक अच्छा हल चलाने वाला तीन रुपये रोज में मिलता है बड़ी मुश्किल से। रात को १ बजे जावेगा और सुबह बैल बांध कर काम करके चला जावेगा और तीन रुपया ले लेगा। सुबह आवेगा और दोपहर के बाद हल चला कर काम करके चला जावेगा। लेकिन हाली प्रथा रख कर एक आदमी की जिन्दगी आप इस तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, यह आज के इस जमाने में उचित नहीं हैं। वह व्यक्ति गरीब रहे, न बाल-बच्चों को पढ़ा सके लिखा सके, न उसको पेट भर खाने को मिले, वह फटे चिथड़ों में अपना गुजर-बसर करता रहे, फिर भी क्या आप उसको स्लेव नहीं कहना चाहते ? यह मानवता पर कुठाराघात है और मानवता पर कलंक है और यदि राजस्थान में यह प्रथा अब भी कायम रही तो देश के सामने गर्दन शर्म से नीची करनी पड़ेगी। लड़के की शादी का काम आ गया, काश्त के लिए उसको कोई जमीन मिल गई, बैल खरीदना चाहता है, सरकार उसको लोन देती है लेकिन बनिया यदि उसको हाली रख कर एडवान्स देता है तो वह भी ब्याज जोड़ कर लेता है और वह तो वही हुआ कि १५०), २००) में साल भर के लिए नौकर रखा और उसमें से कर्जा काट लिया और चाहिये तो और लेता है और वह पीढ़ियों तक गुलामी में फँसा रहता है। क्या आप चाहते हैं कि १५०), २००) रु. देकर और इस प्रकार उसको कर्ज में डूबता रख कर गुलाम बनाना चाहते हैं और चौबीसों घंटे हार्ड लेबर लेना चाहते हैं, नंगे बदन रखना चाहते हैं? आपके यहां वह मजदूरी करे, गुलामी करे और आप उसको छुटकारा नहीं देना चाहते। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है और माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस दास प्रथा को बन्द कीजिये। यदि उसको रखना चाहते हैं तो मानव कल्याण की भावना नहीं है। चाहते हैं कि वह गुलाम ही बना रहे, गरीब तबका ही बना रहे, १५०), २००) रु० साल में गुलाम रहे, उसकी बीबी चुल्लू भर छाछ के अन्दर जिन्दगी भर काम करती रहे। यह शोभाप्रद नहीं है, मानवता के प्रति कलंक है। एडवान्स देना चाहते हैं तो ब्याज वसूल कीजिये। मनी लैंडिंग बिल है। कभी यह सोचा नहीं गया था कि रुपया देकर गुलाम रख सकेंगे। माननीय सदस्य आप विचार करिये और सदन के समक्ष आप राय दीजिये कि इस प्रकार की कार्यवाही गलत है, मानवता के ऊपर कुठाराघात है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। यदि मानव को आप उठाना चाहते हैं तो इसको शीघ्र ही पास करना होगा। आप समानता का उसको भी अधिकार दीजिये। यदि उसके पास जमीन नहीं होगी तो वह शहर में जावेगा और मजदूरी करेगा। चूंकि यह आज कान्ट्रेक्ट बेसिस पर बिका हुआ है, दो-दो, चार चार आने लेकर कर्ज में डूबा हुआ है

(श्री सूबेदार सिंह)

और रोजाना कर्जा जिसके जिम्मे जुड़ता जाता है, वह सागरी और हाली प्रथा में फंसा हुआ है उसका छुटकारा तब ही होगा जब कि आप सख्त कानून बना कर पेश करेंगे कि कोई इस प्रकार रुपया देकर कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर काम नहीं लेगा। जानवरों को तो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन उस हाली रूप में रहे हुए इन्सान को नहीं छोड़ना चाहते। यह एक बुरी प्रथा है, मानवता के ऊपर कलंक है, उस व्यक्ति को इस बुरी प्रथा से निकाल देना चाहिये, यही कह कर मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि परिस्थितियां आदमी को गुलाम बनाती हैं। आज तक जो कुछ परिस्थितियां मुल्क की थी जिस प्रकार का यहां ढांचा था जिस ढांचे के अन्तर्गत रह कर मनुष्य को गुलाम रहना पड़ा। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ सबसे पहले हमारा कर्तव्य था कि हम उन परिस्थितियों को बदलें जिससे मनुष्य गुलाम नहीं बन सके लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के १४ साल बाद भी हम इस गुलामी की प्रथा को समाप्त नहीं कर पाये। जो परिस्थितियों के कारण गुलाम बन गये थे उन परिस्थितियों को दूर करने के लिये हम आज तक कानून नहीं ला सके और उसी का कारण है कि आज तक इस गुलामी प्रथा का अन्त नहीं हो पाया। आज जो कुछ मनुष्य के सामने परिस्थितियां हैं वे इस प्रकार की हैं आदमी गुलाम बनता है चाहे वह हाली प्रथा के अन्तर्गत हो या सागड़ी प्रथा के अन्तर्गत हो। आज तक ये परिस्थितियां मनुष्य के सामने रही हैं और उन्हीं परिस्थितियों के अन्तर्गत मनुष्य गुलाम बना है। मुझे इस बात का खेद है कि प्रतिक्रियावादी जो जमाते हैं वे भले ही इस प्रकार सोचें और इस बिल का विरोध करें उनका मकसद यह रहता है कि किसी भी प्रकार से हो बिल को पास करने में विलम्ब हो। उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है। लेकिन कांग्रेस जो अपने आपको समाजवादी जमात कहती है उसके राज्य में इतने सालों के बाद भी कानून न आवे और कानून आने पर उसमें अड़चन पैदा की जावे या इसको लागू करने में विलम्ब करें तो मैं समझता हूँ इसमें इरादतन इस प्रकार किया जाता है। यह ठीक हो सकता है कि इसमें कुछ खामियां हों, उन खामियों को बहस के दौरान में दूर किया जा सकता है। मेरी राय में इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिल को किसी भी प्रकार से सिलेक्ट कमेटी में देकर विलम्ब नहीं करना चाहिये। आज जब कि जमाना इतनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है और इस जमाने में जबकि इस प्रकार का बिल लाया गया है तो उसमें इस प्रकार की अड़चनें कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, यह उचित नहीं है। ऐसी चीज को कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। आज यह प्रथा इस प्रकार से चल रही है कि इसके अन्तर्गत आज कोई भी गांव नहीं बचा है कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां परिवार के परिवार इस प्रकार की गुलामी में फंसे हुए न हों। उनके पास इसके सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। अभी जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा इसके अन्तर्गत हाली इत्यादि लोग इस प्रकार से नहीं आते। मैं तो कहूँगा जोतने वाले की जमीन होनी

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहिये, जो जमीन पर काम करता है उसकी जमीन होनी चाहिये। आज भी एक आदमी दूसरे आदमी की मदद पर कमाता रहे, खाता रहे यह प्रथा आज एक प्रकार से कलंक की चीज है। यह प्रथा भी समाप्त हो जानी चाहिये। उन लोगों को अधिकार मिलने चाहिये जो हल चलाते हों, खुद हाली हों, यह चिन्ह होना चाहिये जमीन के मालिक का। अगर हम इस प्रकार का दृष्टिकोण इस विषय में नहीं रखते हैं तो यह प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण है, यह अच्छा नहीं है। यह प्रथा समाप्त होनी चाहिये। हल चलाने वाला हाली हो और वही जमीन का मालिक हो। जिसके पास ज्यादा जमीन है जिनको हाली रखना पड़ता है या तो वे खुद काम करेंगे, नहीं तो वे अपनी जमीन उनके सुपुर्द कर देंगे। इस प्रकार की जो प्रथा है वह कानून बन जाने से समाप्त हो सकती है। जो व्यक्ति ज्यादा जमीन रखता है इससे यह होगा कि या तो उसको जमीन दूसरों को देनी पड़ेगी या वह जमीन से हाथ धो बैठेगा। यह नहीं करते हैं तो इसके अलावा दूसरा रास्ता समाजवाद का यह होता है कि जितने आदमी जमीन पर काम करते हैं वे अपनी सहकारी समिति बनाते हैं और जो समाजवाद के आधार पर अपने को जमीन का हिस्सेदार समझते हैं वे अपना अपना काम करते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं। यह दूसरा रास्ता हो सकता है। जो कानून हमारे सामने है उसके अन्तर्गत यह मानी हुई बात है कि इसके अन्तर्गत क्रान्ति हो सकती है जहाँ हम सहकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं वहाँ हमें इस सहकारिता को स्वीकार करना पड़ेगा वह भी बाध्य होकर के। दूर बैठकर जमीन दूसरों से जुतवाकर अपना भरण-पोषण करता है उसका उस जमीन पर अधिकार नहीं होगा, उसको जमीन छोड़नी पड़ेगी।

इस बिल के पास होने से आज जो करोड़ों लोग सदियों से गुलाम हैं उनका उद्धार हो सकेगा। यह केवल यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिये। आज अन्य क्षेत्रों में मजदूरियाँ देकर के उनसे चाहे जितना काम कराया जाता है। इधर-उधर काम कराते हैं उन लोगों को भी इस प्रकार से पैसा देकर के पाबन्द किया जाता है, तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा, इतना ठेके का काम करना पड़ेगा, इस प्रकार से कुछ रुपयों में पाबन्द करके उनसे वर्षों तक काम लिया जाता है। आज जो मिनिमम वेजेज एक्ट है आज किसान की हालत इस प्रकार की नहीं कि यह एक्ट उन पर भी लागू किया जाय। तीन महीने का ऐसा समय आता है कुछ समय के लिए इनसे काम लिया जाता है और इसके अलावा साल भर तक अन्य काम लिया जाता है। यह प्रथा सारे गांवों में विद्यमान है। जिनके पास अधिक जमीन है वे इस प्रकार की प्रथा से काम लेते हैं। इस प्रथा को कौन समाप्त करना नहीं चाहेगा ? इस प्रकार का बिल तुरन्त पास करना चाहिये और जो इस प्रकार काम करते हैं दूसरों को गुलाम बना करके अपना धंधा करना चाहते हैं, वह समाप्त होना चाहिये। जो विधेयक सदन के सामने लाया गया है वह बहुत ठीक है। मैं समझता हूँ, इसे बहुत जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिये, इसको किसी भी सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको जल्दी से जल्दी पास करवाकर, राष्ट्रपति की मोहर लगवा ली जानी चाहिये ताकि यह राजस्थान में जल्दी से जल्दी लागू कर सकें और जो सदियों के गुलाम हैं वे गुलामी से मुक्ति पा सकें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री महोदय ने यह जो बिल प्रस्तुत किया उसके ऊपर मैं तो यह देखता हूँ कि इस बारे में थोड़ी मिस अन्डरस्टेंडिंग हो रही है, इस बारे में हमें विचार करना चाहिये। जैसा कि अभी अभी माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण किया था कि यह बिल इस वास्ते नहीं कि लेबरस से जो काम लिया जाता है, बाज वक्त काम लिया जाता है उनके ऊपर यह लागू नहीं होगा, लेकिन जो कर्जा देकर किसी को गुलाम बनाकर काम लिया जाता है उनके लिये है। मैं तो यह निवेदन करूंगा, यह मानी हुई बात है कि हमारा राजस्थान प्रान्त और प्रान्तों की अपेक्षा बहुत ज्यादा कृषि के ऊपर अवलम्बित है। यह एक गाडा है, कुआ है, खेती का हिसाब है इसके लिये एक गाडे को चलाने के लिये जिस प्रकार से दो बैल, एक हाली और चारा आदि चराने के लिये एक आदमी को रखना पड़ता है, इस तरह से चार-पांच आदमी इकट्ठे होकर एक गाडे को चलाते हैं। इसी प्रकार कुए को चलाने के वास्ते चार-पांच आदमियों की जरूरत होती है। इस सवाल पर बाज वक्त कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति की कि यह एक गुलामी की प्रथा है, इसके बन्द होने की आवश्यकता है, इसको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। मैं समझता हूँ यह गलत समझा गया है। यह सांगड़ी और हाली का जैसे सवाल है इसको कुछ परिष्कृत भाषा में प्रयोग में लाया जाता है हमारे यहाँ। इनके लिये हमारे यहां आडूजी और खंडोली शब्द प्रयोग में लाते हैं। आडूजी का मतलब बाज वक्त खेत में काम में मदद करना और इसके एवज में उसको कुछ पारिश्रमिक दे दिया जाता है और खन्डोली का मतलब जो कन्धा लगावे, बैलों को साथ लेकर काम करे। यह परिपाटी राजस्थान में हजारों वर्षों से चली आ रही है, इसमें सुधार होना अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन उसे हटा देना, इससे मुझे लगता है हमारी खेती का सारा का सारा ढांचा ही बिखर जावेगा। इसके अतिरिक्त जो हम आज कुर्सियों पर बैठकर यहाँ ऐसे कानूनों को चलाते हैं उन कानूनों को कार्य रूप में परिणत करने में दिक्कतें पैदा होंगी। मेरा निवेदन करना यह है कि जो काश्त करता है वह काश्तकार है। फिर कोई भी जाति का हो वह। इसके अतिरिक्त बाज वक्त इस तरह की लेबर काम में लाई जाती है। मनी लेंडर्स में आपने परिवर्तन किया। यह आवश्यक है क्योंकि बाज वक्त वे बड़े चालाक होते हैं। पर किसान जो आडूजी और खंडोली से काम लेता है तो वह बराबर का साझेदार समझकर काम लेता है। फिर न उसके पास कोई खाता है, हिसाब-किताब है, न कलम है न दवात है, न दूसरी चीजें हैं। बाहर के गाँवों में इन दोनों-तीनों के पूरे कोऑपरेशन से खेती होती है। बाज वक्त पारिश्रमिक भी ले लेते हैं और उनका आपस का लेन-देन का व्यवहार हमेशा वाजिब और उचित रहा है, उनके पास एक का दुगुना और चौगुना करने और झूठे अंगूठा लगाने के साधन और व्यवस्था नहीं है।

आज जब सारा यह हमारा ढाँचा मेल्टिंग इस स्पॉट में है ऐसे मौके पर इस तरह का सवाल पैदा करने से अत्यन्त दिक्कत पैदा हो जावेगी। ऐसे कानून को मेरे ख्याल में तो जब मनी लेंडर्स बिल आ रहा है और दूसरा जो सीलिंग का बिल आ रहा है, तो नहीं लाना चाहिए था। मुझे शंका होती है कि इसके पीछे ऐसी हालत में जो यह लाया जा रहा है, कहीं कोई पोलिटिकल स्टन्ट तो नहीं है।

Page No.51

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

मैं इसमें कोई हर्ज नहीं मानता; जैसा मेरे श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय, तो उसके अनुसार इसे वहाँ भेज कर इस पर विचार करा लिया जावे। वहाँ काश्तकार भी होंगे और दूसरे लोग भी होंगे, अच्छी तरह से विचार कर सकेंगे। मुझे सबसे अधिक भय यह है कि इसका गरीब हरिजनों को जो छोटे छोटे गांवों में रहते हैं और किसी तरह गुजारा करते हैं, उनको इस कानून के बन जाने पर पूरा पारिश्रमिक भी मिल पावेगा या नहीं? यह एक तरह से देखा जावे तो एक सवाल आता है जैसे कई महानुभावों ने कहा अभी कि १४ वर्ष के बाद यह सवाल आया है तो इसमें हर्ज क्या है। इस पर विचार कर लेना चाहिये। महाराजा रामचन्द्रजी ने भी १४ वर्ष का बनवास भोगा था। तो आखिर में १४ वर्ष बाद भी इस सवाल के आने का अवसर आया तो हर्ज है। मैं अपने वक्तव्य को लम्बा नहीं करूंगा और एक छोटी सी नजीर देकर समाप्त करूंगा। काश्तकार को आजवक्त यह भी दिक्कत रही है कि एक काश्तकार करने वाला है उसके पांच छः भाई और आठ दस लड़के हैं। वे सब मिलकर इतनी खेती नहीं कर सकते। तो वे क्या करेंगे? एक-दो खेती में रहेंगे और बाकी के अन्य पारिश्रमिक करके अपनी जीविका कमावेंगे। तो उनके लिये इस कानून से बाधा पैदा हो जावेगी। उन्हें कोई अब हाली नहीं रखेगा। तो इस तरह वे एक गांव में गये और जाकर यह कहा कि मुझको कोई हाली रख लो तो मैं तैयार हूं। उसने कहा, मैं ऊंट भी चलाना जानता हूं। तो उस समय एक महाजन ने कहा कि मैं तुझको रख लूंगा। इसके पहले एक काश्तकार ने कह दिया कि मेरे यहाँ रहो, उसने कहा कि मैं तुझको इतना अनाज दूंगा या इतना रुपया दूंगा। एक पगड़ी और एक अंगरखा भी तेरे लिये दे दूंगा और साल में २४ बार हर एक अमावस को, पूर्णिमा को जब कि गाय का दूध नहीं बिलोया जाता है तो उस दिन मैं तेरे वास्ते खीर की व्यवस्था बिठा दूंगा। इतने में एक दूसरा मनी लेंडर आता है और बड़े जोर शोर से बातें करता आता है 'आई दिवाली लपू खीर'। जोर शोर से बड़े लपेटे के साथ में यह कहा। उसने सोचा यहां कुछ ज्यादा मिलने की सम्भावना है, यहां तो हर रोज आई दिवाली तक खीर मिलेगी तो उसने काश्तकार के साथ नहीं जाकर उसके साथ जाने की सोची और कहा कि मैं तो सेठजी के साथ जाऊंगा; अपने बराबर के काश्तकार के यहां नहीं जाऊंगा। अब जिस दिन अमावस पूर्णिमा का दिन आया वह टस हो गया और जाने से रुका तो पूछा, जाते क्यों नहीं? तो उसने जवाब दिया मैं तो खीर खाकर जाऊंगा। इस पर सेठ ने कहा कि मैंने तो यह कहा था कि 'आई दिवाली लपू खीर'। यहां तो दिवाली के दिन खीर मिलती है। बार बार थोड़े ही मिलती है। तब उसे होश आया कि यहां तो साल में एक बार खीर मिलेगी, और वहां तो २४ बार मिल रही थी। तो मेरा निवेदन करना यह है कि यह छोटी सी बात है कि इसको अगर सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। वहां इसके ऊपर काफी रोशनी पड़ जावेगी और हर एक पॉइन्ट थ्रेश आउट हो जावेगा, फिर जहां नये चुनाव आ रहे हैं ऐसे मौके पर काश्तकार के अन्दर इस प्रकार का भेदभाव डालना मैं तो असामयिक और अनुपयुक्त समझता हूँ।

श्री मोहर सिंह (चुरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर सागड़ी प्रथा के हेतु एक विधेयक पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में चन्द शब्द पेश करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह कानून बन जाने के बाद प्रगतिशील कानून कहलायेगा। इसमें कोई शक नहीं कि देश को आजाद हुए १४ वर्ष हो जाने के बाद इस बिल को लाना, देरी से लाया हुआ जरूर कहा जायेगा, लेकिन जहां तक इस बिल की अच्छाइयों का सम्बन्ध है वहां तक कोई इन्कारी नहीं की जा सकती कि यह प्रगतिशील कानून नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में 'देर आयद दुरुस्त आयदे' वाली कहावत के अनुसार आज भी सदन के अन्दर यह बिल लाया गया है तो इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद ही दे सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह प्रथा जिसका नाम सागड़ी प्रथा है यह मानव के लिए और जहां पर यह लागू थी एक कलंक की बात थी। आज जब कि लोग आजादी का उपभोग करते हैं और एक इलाके के अन्दर आज भी लोगों के साथ गुलामों की तरह बर्ताव किया जाता है, यह सभी के लिए कलंक की बात थी। आज जो बिल सदन के अन्दर लाया गया है यह खुशी की बात है और खासकर उन लोगों के लिए जिनके ऊपर इस प्रथा का सीधा असर पड़ेगा। जहां तक उद्देश्यों और कारणों को पढ़ने से मालूम हुआ है वहां तक यह ऋण से ताल्लुक रखता है। इसका असर कई प्रकार के लोगों पर पड़ता है। बोहरों पर इसका असर पड़ेगा जिनसे ऋण लिया जाता था। इसके अलावा उन गरीब आदमियों पर भी इसका असर पड़ेगा जो कि मजबूरी के कारण ऋण लिया करते थे। जहां तक मैं समझ पाया हूँ यह प्रथा उन लोगों के ऊपर भी असर डालेगी जो कि पहले हजार मुश्त कर्जा ले लिया करते थे और उनको हमेशा गुलामों की तरह काम करना पड़ता था और उनके जो सन्तान पैदा होती थी उनको भी कर्जे का भार इतना सहना पड़ता था कि वह भी गुलामी में अपना सारा जीवन बिताते थे। रुपया लेने वाला लेता था और उसका ब्याज पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता था और वह लोग सदियों के लिए गुलाम बन जाया करते थे। यह बहुत ही कलंक की चीज थी। मैंने अर्ज किया कि उन मजदूरों के ऊपर जो सागड़ी कहलाते हैं उनके लिए अभी कहा गया कि दूसरे इलाकों में उनको हाली कहते हैं। पर जो 'हाली' नाम का शब्द आया वह इससे भिन्न है। जहां मैं इस बिल के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ वहां सरकार को इसके दूसरे प्रास्पेक्टस की तरफ भी ध्यान करना चाहिए। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाये, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। यह जरूरी नहीं है कि इस पर ७-८ दिन में विचार किया जाये। हाली का जहां तक ताल्लुक है मैं इसको समझ रहा हूँ कि वास्तव में उस इलाके के अन्दर उस शब्द का नाम हाली नहीं है। खेती की ऋतु में जो किसान धनी है और जो काम करने के लिए आदमी रख सकते हैं, हाली रख सकते हैं उनके ताल्लुक की चीज है। यानी हाली वह रख सकता है जैसे कोई आदमी फौज में चला गया, फौज में भर्ती हो गया तो वह खेत पर काम करने के लिये कोई आदमी रखेगा, वह मजबूर होकर हाली रखेगा। इसके अलावा किसी के पास ज्यादा पैसे होने की वजह से या ज्यादा जमीन हो जाने की वजह से आदमी को रखते हैं उसको भी हाली प्रथा कहते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में,

Page No.53

(श्री मोहरसिंह)

मेरे ख्याल से ज्यादा तर टिनेन्सी एक्ट के अन्दर प्रावधान किया गया है कि अपाहिज, बेवा आदि जो खुद अपने हाथों से काश्त नहीं कर सकते उनके लिए आदमी को रखना मजबूरी है तो जो वह काम करने के लिए आदमी रखते हैं वही हाली कहलाता है। अतः अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जब हम समाजवाद की ओर कदम उठा चुके, समाजवाद का नारा लगा चुके उसमें शोभा की चीज़ नहीं थी कि ऐसी गुलामी की प्रथा हमारे किसी भी इलाके में विद्यमान रहे। जहां तक मैं इस प्रथा को समझ पाया हूँ कि दो-तीन हजार रुपया देकर गुलामी के लिए आदमियों को रख लेना और किसी आदमी की शादी करके उनसे होने वाली सन्तान को गुलाम बनाये रखना वास्तव में हमारे लिए कलंक है और यह हाली से बिलकुल भिन्न चीज़ है। वास्तव में यह जो सागड़ी प्रथा है इसको खत्म किया जाना बहुत शुभ होगा और जिन लोगों के ऊपर लागू है यह उनके लिए बहुत ही फायदेमन्द रहेगी। अत: इन शब्दों के साथ जो ट्रेजरी बेन्चेज़ की तरफ से बिल रखा गया है मैं इसका समर्थन करता हूँ और यह जल्दी से जल्दी पास हो, इसके लिए मेरी मनोकामना है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सागड़ी प्रथा का बिल सदन में प्रस्तुत है इस बिल को एक प्रवर समिति को देने का प्रस्ताव रखा है, इसके विरोध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल कई मनुष्यों की गुलामी खत्म करने के लिए रखा गया है, यह बहुत देरी से सरकार द्वारा पेश किया गया है। हम तो समझते हैं कि ऐसी प्रथा को खत्म करना सबसे पहले राज्य सरकार का फ़र्ज़ था लेकिन कुछ लोग पिछड़े हुए लोगों के शोषण को समाप्ति करने में हमेशा ही देरी करते रहे और इसको टालते रहे। वे इसको समझ नहीं सके होंगे। इसलिए देरी हुई होगी, लेकिन अभी जो सदन में बिल पेश हुआ है उसको पास करना उचित ही होगा और जो प्रस्ताव प्रवर समिति को देने का है वह खास तौर से भी इस बिल को टालने के लिए रखा गया होगा। यही उनका उद्देश्य होगा, और कोई उद्देश्य नहीं होगा। मैं तो सदन से और माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जिसके हाली प्रथा और सागड़ी प्रथा समझ में नहीं आई है और ऐसे इलाके में जहां लोग सागड़ी हैं और गुलाम हैं, जहां लोग शोषण में पड़े हुए हैं उनको खुद जाकर देखें और समझें। अगर हम यह कहें कि यह तो बहुत उल्टा असर डालेगा जिससे हमारे काश्तकारों की प्रगति को रुकावट आयगी तो यह रुकावट का प्रश्न नहीं है। इस सागड़ी प्रथा को हमने देखा है। आज तक लोग गुलाम हैं और उनको सागड़ी कहते हैं। हमारे उदयपुर डिवीजन, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में सागड़ी को दो, तीन, चार-चार सौ रुपये में आज भी काश्तकर रख लेते हैं। उसकी दो-तीन सौ रुपये लगाकर शादी करवा देते हैं और उसके बाद जिन्दगीभर उनसे खेती करवाते हैं या जो भी काम करवाते हैं। उनकी जो औरत होगी वह ठंडी रोटी या छाछ के बदले में गोबर वगैरह थाप देती है और घर की सफाई करती है और उनकी जो औलाद पैदा होती है वह बीमारी से सड़ सड़ कर मर जाती है उनको कोई देखने वाला नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है सब लोगों को उन्नत करना है, न कि एक बार जिस

(श्री मोगजी भाई)

आदमी को सागड़ी रख लिया उस आदमी को औरत करवा दें और उसकी जो औलाद हो वह उनकी गुलाम रहेगी। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई उधार देने वाला नहीं है, उनके पास कोई जमीन नहीं है। ऐसी सूरत में वह मजदूरी के कारण उसके गुलाम बने रहते हैं। इस तरह से कई लोग कई वर्षों से लोगों के यहां रहते हैं, गिरवी हैं या सागरी प्रथा के अन्दर गुलाम हैं। ऐसे लोगों को राहत देने का और इस शोषण को खत्म करने के लिए जो इस बिल के अन्दर आया है वह साफ है।

जहां हाली रखते हैं लोग खेती के लिए, दो-तीन महीने के काम के लिए रखते हैं और कुछ पैसा देकर रखते हैं और तीन महीने उनसे काम लेता है और उसके बाद काश्तकार उनको छोड़ देता है। काश्तकार के छोड़ने के बाद वह हाली जिसके पास में पैसा नहीं है वह पेट पालने के लिए दूसरी जगह मजदूरी करता है। वह ६-८ महीने तक करता रहता है और फिर बारिश आती है तो उसको थोड़े से पैसे देकर फिर से हाली रख लेते हैं। तीन महीने तक उसको हाली रख लेते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। वह हाली और उसका परिवार भूमि-हीन तो है ही, वह मजदूरी के लिए भटकता रहता है और भूखों मरता है। इस प्रकार से इस बिल में ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है कि जो हाली रखे उसको जिस प्रकार से मजदूर मजदूरी करते हैं, उसको रोजाना मेहनत मिलती है या माहवारी मेहनत मिलती है तो हाली और सागड़ी प्रथा को खत्म करने के लिए माहवारी उनको सदन के द्वारा तय कर दें कि कोई हाली या सागड़ी रखे वह हर महीने इस प्रकार का वेतन के रूप में उसको देकर अपनी खेती-बाड़ी का काम करायेगा। इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं तो वह गुलामी खत्म होगी और जो सागड़ी प्रथा है वह भी खत्म होगी और हमारी खेती-बाड़ी को नुकसान पहुंचने का या काश्तकार को नुकसान पहुंचने का जो अन्देशा है वह हमेशा के लिए दूर हो जायगा और जो मजदूर है वह मजदूरी करता है और १॥) या २) रुपये मिलते हैं वह उसको मिलेंगे। उससे काश्तकार के काम में दिक्कत नहीं आती है और न आयन्दा भी आयेगी।

लेकिन कानूनन इस प्रथा को खत्म करने का जो बिल हमारे सामने है उसको सदन पास करके ऐसे लोगों के शोषण को खत्म करे और राज्य ऐसी कलंकित प्रथा को खत्म करके अपना बड़प्पन दिखाये। जिन माननीय सदस्य ने इस बिल में देरी करने के लिए इसको प्रवर समिति के सामने रखने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं, और माननीय सदस्य और सदन से निवेदन करता हूं कि शीघ्र हो इसको पास करें और ऐसी प्रथा को खत्म करें। जो इसको कायम रखने में श्रेय देते हैं दूसरी तरफ से मोड़कर; जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम देश में और समाज में कलंकित माने जायेंगे। हम अपने आपको प्रगतिवादी कहते हैं और दूसरे लोगों को इस प्रकार हमेशा पिछड़ने के लिये ऐसा बहाना करके इस प्रकार से कानून को प्रगति से और उनकी उन्नति में बाधा नहीं डालें। यह मेरी मान्यता है और माननीय सदस्य सागड़ी प्रथा और हाली प्रथा की दुविधा में नहीं पड़ें। यह एक प्रथा बहुत पुरानी है उसको समाप्त करना जरूरी है।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने सागड़ी प्रथा उन्मूलन विधेयक भी आया, उसके ऊपर श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इसका मैं समर्थन करता हूँ ।

मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार मेरे से पूर्व वक्ता ने अपने विचार बतलाये और इस विधेयक का बहुत बड़ा स्वागत किया और इसके साथ साथ यह भी बताया कि यह सागड़ी प्रथा बहुत ही जल्दी हमारे राज्य से खत्म हो जानी चाहिए; मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी बिल को हम सदन में लेकर इतने जल्दी से निकाल दें कि जिस पर हर सदस्य अपने विचार प्रकट नहीं कर सकें, उसको समानता नहीं दे सके, उसकी कमियों को दूर नहीं कर सके और उसको इतनी जल्दी से जैसा कि कई सदस्यों ने कहा कि इसको प्रवर समिति में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार की १४ साल बाद आँख खुली है वह वापिस मिच न जाय। मैं यह चाहता हूँ कि ऐसे बिल सदन में पारित हों और जनता के सामने जायँ तो जनता उससे लाभ उठाये ।

इस बिल के अन्दर, जो सागड़ी प्रथा उन्मूलन के लिए है, जो कमियाँ हैं उनसे यह मालूम होता है कि इस बिल में जिनको हाली मानते हैं राजस्थान में, जिनको नौकर मानते हैं, जिनको हिस्सेदार मानते हैं उनको लोन पर खरीद लेते हैं और बर्षों तक गुलाम रखते हैं उनको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है । इससे फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं कि यह बिल प्रवर समिति के सामने जाय और लोगों के विचार आयें और कमी पूरी हो, और उसके बाद सदन में आये। जिस प्रकार से राज्य सरकार ने कई बिल और पास किये हैं और उन बिलों के अन्दर हम देखते हैं कि कितनी कमियाँ रह जाती हैं कि हर साल के अन्दर उस बिल के अन्दर १०-५ ऑर्डिनेन्सेज़ निकालते हैं और कमियाँ दूर करने की कोशिश करते हैं,लेकिन वह कमी दूर नहीं कर पाते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि ऐसा बिल कम्प्लीट नहीं होता है, बिल तैयार नहीं होता है उसके पहले ही सदन में लाया जाता है । उसमें इतने टेढ़े-मेढ़े शब्द होते हैं कि जिनके कई बना देते हैं और जिनको असल में फायदा देना चाहते हैं, जिस प्रथा को हम खत्म करना चाहते हैं वह प्रथा खत्म नहीं हो पाती है । दरअसल में उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और जड़ें मज़बूत होने के कारण जिन लोगों को राहत देना चाहते हैं उन लोगों को राहत नहीं मिलती है और उन पर उल्टा वज़न लद जाता है । मैं मिसाल के रूप में बताऊंगा कि और कई बिल राज्य सरकार ने पास किये हैं। एक छूआछूत का बिल पास किया था, उसका न सिर्फ राजस्थान में बल्कि सारे हिन्दुस्तान में जो असर पड़ा है वह आपके सामने है । उस विधेयक से जितनी सारी राजस्थान में परिगणित जाति के लोगों के साथ छूआछूत बरती जाती है उसके लिए कोई सज़ा नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसमें इस प्रकार की गलियां रखी गई हैं। इसी प्रकार से यह विधेयक हमारे सामने है। हम चाहते हैं कि सागड़ी प्रथा खत्म हो लेकिन इसमें गलियां रखी गई हैं कि वह लोग हाली रख सकेंगे और जो लोग हाली रखते हैं उनको सज़ा नहीं मिलेगी। वह मज़बूर होकर शिकायत नहीं करेगा क्योंकि फलाँ आदमी ने शिकायत

(श्री लादूराम सुलाणियां)

की थी फलाँ आदमी के खिलाफ कि वह सागड़ी नहीं रखना चाहते हैं जो लोन या कर्जा उसको दिया है उसके बदले में, लेकिन उसकी परिभाषा ऐसी रखी है कि सरकार उसको मदद करेगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कानून में ऐसी गलियां रखी हुई है इस विधेयक के अन्दर कि वह सजा नहीं पा सकता है। दूसरे सागड़ी लोग, हाली लोग कम्प्लेन्ट नहीं करेंगे। वे सरकार के सामने मुद्दा नहीं लायेंगे और वह अपने जीवन भर गुलामी से बंधा रहेगा और इस विधेयक से उसका मसला हल नहीं हो पायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार चाहती है कि सागड़ी प्रथा खत्म हो तो साफ शब्दों में वह लिख देते कि जो हाली रखेगा कर्जा देकर, किसी प्रकार का लोन देकर किसी आदमी से ८ घन्टे से ज्यादा मेहनत लेता है उसको रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बिल में अंकित कर दिया जाय कि जो भी ऐसा करेगा उसको उचित दण्ड देंगे उसकी कम्प्लेन्ट पर ही और उसमें गलियां और दरवाजे नहीं रखेंगे जिससे कि वह जुर्म करने वाले लोग बच सकें, और उसका उपभोग सही तौर पर हो सके। अगर ऐसा विधेयक हो तो मैं उसका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ।

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान के अन्दर जो बिल आये हैं उन बिलों के बारे में विचार करें। मिसाल के रूप में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले जो बिल थे उनके अन्दर एक प्रथा थी कि लोग अपनी भूमि को इतनी सीमित रखें यानी सीलिंग बिल आया उसके अन्दर स्टेन्डर्ड ३० एकड़ से अधिक नहीं रखें। और सन् से लेकर अब तक जो काम हुए हैं सारे राजस्थान में उनके बारे में इस सदन में कई प्रश्न प्रस्तुत किये गये और राज्य सरकार से उनके उत्तर मिले, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उनसे खास लोगों को फायदा नहीं हुआ।

आज आप भूमि वितरण करते हैं, भूमिहीन लोगों को भूमि देने की कोशिश करते हैं, वह भूमि टीबों में या नदियों, नालों के कटाव या बहाव की होती है, ऐसी भूमि वितरण करते हैं। जिन १०० आदमियों को आप भूमि अलॉट करते हैं अलॉटमेन्ट कमेटी की मीटिंग में उसी कमेटी की अगली मीटिंग में, उन १०० में से ८० आदमियों की वापिस दरख्वास्तें आती हैं कि वह भूमि उपजाऊ नहीं है इसलिये कैंसिल कर दी जाय नहीं तो नाजायज़ लगान देना पड़ेगा। जब उनसे पूछते हैं कि कौन से नंबरों की भूमि तुमको अलाॅट की जाय और उत्तर में वे नंबर बताते हैं तो कहते हैं कि उस पर तो दूसरों का कब्जा है। इस तरह से वे लोग वंचित रह जाते हैं और उनको भूमि नहीं मिलती है। इसलिये सागड़ी उन्मूलन से, हालीपने से हटने का लाभ लोग नहीं उठा सकते और वे लोग गुलाम ही रहेंगे। सरकार की नीति ऐसी मालूम होती है कि वह हाली रखना चाहती है। यदि हाली नहीं रखना चाहते तो स्पष्ट क्यों नहीं अंकित करते कि यदि कोई हाली रखेंगे तो जुर्म के भागी बनेंगे और उनको सजा दी जायगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार की नीति है कि देश में गुलामी रहे; हाली, नौकर और सागडी रहें। सरकार की नीति है कि ये लोग सरमायेदारों के नौकर बने रहें.......

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह किसकी नीति है ?

श्री ल.दूराम सुलाणिया : राज्य सरकार की नीति है । राज्य सरकार की नीति के अनुसार ही सारा बिल बनता है । मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राज्य सरकार की नीति यह नहीं होनी चाहिये, उसकी नीति समानता की होनी चाहिये । इस प्रकार का बिल होना चाहिये जिससे लोगों को राहत मिले, जिससे सागड़ीपन, हालीपन और नौकरपन मिट सके और उनको उनका असली धंधा मिल सके । लोग चुनाव के समय गांवों में जाकर लोगों को आश्वासन देते हैं कि तुमको समानता देंगे, तुमको भूमि देंगे, तुम किसी के मातहत नहीं रहोगे, आजादी मिली है, स्वतंत्रता का उपभोग करोगे, लेकिन वह नायाब नहीं मिलता है उसका मुख्य कारण यह है कि कानून में कमियां रहती है इस कारण से उन लोगों को फायदा नहीं मिलता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सागड़ी प्रथा को खत्म करने से पहले कम से कम एक बात का सही दृष्टि से विचार करें कि राजस्थान में किस कौम के लोग अधिक संख्या में सागड़ी मिलते हैं । मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हुआ निवेदन करूँगा कि ५० पर्सेन्ट लोग हाली रहते हैं तो उनमें से ४० पर्सेन्ट लोग परिगणित जाति के मिलेंगे । राजस्थान सरकार इन लोगों का उत्थान करने के लिये, उनको जागृत करने के लिये और बराबर के दर्जे पर लाने के लिये और कमियों को दूर करने के लिये सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है लेकिन वे रुपये उनके पास नहीं पहुंचते हैं और बीच में ही खर्च हो जाते हैं । यदि सागड़ीपन मिटाना है तो यह बिल इसी सदन में पास हो और इसमें जो कमियां हैं वे प्रवर समिति में जाकर दुरुस्त हों और सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखें कि परिगणित जाति के लोगों को सागड़ी रखेंगे तो विशेष दंड मिलेगा क्योंकि उनको गुलाम रख कर दूसरे देशों के सामने हमारा सिर झुक जाता है, इसलिये उनका जल्दी से जल्दी उत्थान करना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि हमारे देश में कोई परिगणित नहीं है बल्कि समान लोग रहते हैं । मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों की जातियों को उठाना है जिनसे सिर नीचा होता है तो मैं अधिक स्वागत करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बिल आते हैं उनमें इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है कि हमारे देश में जितने पिछड़े हुए लोग हैं उनको समानता का दर्जा देने की बात कहते हैं, लेकिन देते नहीं हैं । मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल में स्पेशल क्लॉज यह हो कि जितने परिगणित लोग हाली या सागड़ी हैं वे इस कानून के बाद न रहें, तो उनको जमीन दी जाय जिस पर खुद काश्त करें और हाली न रहें । इस कानून को पास करने से पहले राज्य सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि हाली न रहेंगे तो करेंगे क्या ? इससे पहले व्यवस्था करें यदि तुम इस हाली प्रथा से वंचित रहते हो तो इस बात का इन्तजाम है कि यह जमीन तुमको दी जाती है, इस पर काश्त करके अपने बाल बच्चों की परवरिश करें, इस पर काश्त करें, अनाज उपजावें और हमारे देश में जो अनाज की कमी है उसे पूरा करें । आज हम इस बात का दावा करते हैं कि एक काश्तकार के पास ५०० बीघा भूमि है, १०० बीघा इस नंबर पर इस साल हल चलाता है अगले साल दूसरे नंबर पर हल चलाता है और तीन-चार साल में पूरी जमीन पर हल चलाकर गश्त गिरदावरी प्राप्त करता है और जमीन से वंचित नहीं होता है। मैं अर्ज करूंगा कि जिस प्रकार से सीलिंग बिल खड्डे में पड़ा है

(श्री लादूराम सुलाणिया)

इसी प्रकार से यह सागड़ी बिल भी खड्डे में नहीं पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि जल्दी उत्थान हो तो मैं निवेदन करूंगा कि उत्थान तभी कर सकेंगे जब कि कानून का अमल जल्दी से जल्दी हो, इसकी व्यवस्था की जाय और इसको अमल में लाने के लिये विशेष प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जाय। आज अदालतों में जितने केसेज़ जाते हैं उनमें कानून को तोड़-फोड़ देते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले राज्य सरकार से इस बात की व्यवस्था हुई थी और ऑर्डिनेन्स जारी हुआ था और कहा गया था कि ६ महीने से अधिक रहेंगे तो विवरण बतायेंगे। लेकिन आज एक एक इन्द्राज दुरुस्ती के केस जिस पर कि दूसरे लोग काबिज हैं उनकी दुरुस्ती कराने में ५-५ साल लग जाते हैं और इन्द्राजों की दुरुस्ती नहीं होती। संवत् २०११ से लेकर २०१८ तक कोई दुरुस्ती नहीं होती। सरकार ने आंख मींच रखी है, देखती नहीं है कि क्यों ेरी हुई जितने पिछड़े हुए लोग हैं उनको जल्दी फायदा मिलना चाहिये इस ओर राज्य सरकार की नजर नहीं है।

मैं अर्ज करूंगा कि हम अच्छे से अच्छा बिल लावें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। कोई हाली नहीं रख सकेंगे, सागड़ी या नौकर नहीं रख सकेंगे और गुलाम नहीं रख सकेंगे। उन लोगों को छुटकारा मिले, आजादी मिले यह हम सब चाहते हैं कि उनको फायदा हो. लेकिन अध्यक्ष महोदय, फायदा उनको मिलता नहीं है, लोगों की हालत आज भी दयनीय है। जब बाजार से निकलते हैं, तब सड़कों पर लिखा मिलता है कि रोटी दो और काम लो।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ये क्या कहना चाहते हैं ?

श्री लादूराम सुलाणिया : (जारी) हम जो व्यवस्था करते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हमारी व्यवस्था में कोई कमी न रहे, त्रुटि न रहे। पिछले अधिवेशन में एक बिल पेश किया था भिक्षा-वृत्ति के बारे में और वह बिल प्रवर समिति से सदन के सामने आने वाला है। लोगों के सामने इसका आधार बताया, लेकिन मैं सदन को निवेदन करूंगा कि कमी की पूर्ति नहीं होगी, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको प्रवर समिति में भेजें और वहां इस पर अच्छी तरह से विचार करें और एक विशेष क्लॉज यह रखें कि परिगणित जाति के लोगों को हाली या सागड़ी न रखें और राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा जमीन देकर लोगों को रोज-गार दे। इन शब्दों के साथ मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

२ म. प.

और श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हुए सदस्य महानुभावों के भाषणों को सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर यह विधेयक कुछ समय के लिए एक प्रवर समिति के सुपुर्द करके, इसमें कुछ ऐसी गलतफहमियां जो इसके अमल में आने में हो सकती हैं, उनको दूर

करा दिया जाय तो अच्छा ही है। खास तौर से जो ये शब्द 'सागड़ी' और 'हाली' आये हैं, इन दोनों के जो भिन्न भिन्न अर्थ हैं और जिस प्रकार इनका अमल व्यवहार में हो रहा है, उन पर शायद एक ही कानून का प्रहार होगा तो उससे मुझे भय है कि शायद उसका कुछ दुरुपयोग हो। जो कुप्रथा, सागड़ी प्रथा को बतलाया है, मुझे भी अपने इलाके में उसका अनुभव हैं और बहुत कटु अनुभव है। वास्तव में वह गुलामी से भी बुरी प्रथा रही है। मुझे मालूम है कि हमारे गांव के अन्दर एक बाप कर्जा लेता है, चाहे वह विवाह-शादी के लिए हो, या किसी नुक्ते के लिए हो, या और किसी ऐसे काम के लिए हो, वह २०० रुपये बोहरे से लेता है और उस बोहरे को अपना लड़का, आठ साल, दस साल, बारह साल का लड़का एक तरह से बन्धक रख देता है, उसको वह गिरवी रख देता है और मुझे अनुभव है अपने गांव का भी कि वह २०० रुपये को जीवन भर में, वह बच्चे से जवान हो जाता है और बूढ़ा भी हो जाता है, उस बोहरे के भी लड़का हो जाता है, चुका नही पाता। क्योंकि ऐसी प्रथा में न जाने किस तरह की वृद्धि ब्याज लगाते हैं कि वह २०० रुपया पूरा नहीं हो पाता और आजीवन वह क्रीतदास होकर रहता है। इसमें सन्देह नहीं, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बतलाया कि जो बन्धक रखे जाते हैं उनके अन्दर अनुसूचित और परिगणित जाति के बच्चे ज्यादातर अब तक बन्धक होते रहे हैं। जिस प्रकार की प्रथा को हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि इंगलैंड ने मिटाया, अमेरिका ने मिटाया, फ्रांस में जिसको "hewers of wood and drawers of water"

(श्री निरंजननाथ आचार्य, (उपाध्यक्ष, पदासीन) कहते हैं उन लोगों के ऊपर से इस गुलामी की प्रथा को हटाया। वहां हमारे देश में, जब कि हमारा देश सब प्रकार से स्वतंत्र हो चुका है, अगर वह प्रथा आज भी उसी रूप में जारी है, तो मैं चाहूंगा, कि उसके लिए और भी कड़ा दंड विधान का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो 'हाली' शब्द इसमें जोड़ा है, मैं समझता नहीं कि दूसरी जगह 'हाली' का अर्थ क्या होता है, लेकिन हाली को कम से कम, जिस इलाके से मैं आया हूं, वहां इस रूप में नहीं लेते। हाली वहां पर एक मजदूर होता है पेड मजदूर, वैतनिक मजदूर होता है और वह 'हाली' शब्द इस अर्थ में वहां प्रयोग होता है। मैं समझता हूं कि हल से हाली शब्द बना है यानी जो ज्यादातर दैनिक वृत्ति पर, मासिक वृत्ति पर हल जोतता है और हल जोतने के साथ साथ किसानपन के काम करता है, वह आम तौर पर हाली कहलाता है और उनको दैनिक रूप में पैसा मिलता है, कहीं मासिक रूप में मिलता है, कहीं वार्षिक रूप में देने का कायदा है, कहीं पर फसल पर देने का कायदा है, कई तरह का कायदा है। उस-हाली में और जिस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग उस इलाके में होता है और इस तरह के लोगों में, जिसमें बाप-बेटे को गिरवी रख देता है और बेटा गिरवी बना हुआ रहता है, उन दोनों में अन्तर है। तो हमारी प्रवर समिति इस अन्तर को देखते हुए विचार करे कि जो दंड विधान है, कहीं ऐसा न हो कि जो नित्य प्रति मजदूरी पाने वाले हैं, मासिक पाने वाले हैं, जिनकी जीविका का साधन वही है, उन पर यह दंड विधान लागू न हो। अभी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जैसा माननीय सदस्य ने बतलाया कि इस प्रथा का उन्मूलन कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कदम है। इसका सभी ओर से स्वागत होगा। लेकिन जो हट्टे-कट्टे लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनका कोई और धन्धा या व्यापार नहीं चलता है, जिनके पास और कोई जीविका का साधन नहीं है; उनके लिए सरकार क्या प्रावधान करेगी इस विधेयक के अन्दर, अगर उनको मजदूरी से हटा दिया जाता है? वे किसान लोग, जिनमें कुछ महिलायें होती हैं, या अल्पवयस्क लोग, या फौजी लोग जो बाहर चले जाते हैं, अपनी सहायता के लिए किसी भी तरह से कुछ मजदूरों से खेती करवाते हैं; ऐसे उन मजदूरों पर अगर यह लागू होता है, तो उनके सामने बड़ी दिक्कत आ जायेगी। तो इसको कुछ इस प्रकार से स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि एक जांच समिति उसके लिए हो जिसके द्वारा कई प्रकार की जांच कराई जाय, चाहे वह तहसील के मार्फत हो, चाहे किसी दूसरे महकमे के मार्फत हो। जहां ऐसे लोग हैं, जिन्हें खरीदे हुए हैं, गिरवी रखे हुए हैं, मुलाजिम रखे हुए हैं, उनको सबसे पहले मुक्त किया जाय बल्कि जो कुछ भी कर्जा है या कुछ और चीज है, जिसका उसने इतना फायदा उठा लिया है, इतना शारीरिक श्रम ले लिया है, जिसका कई गुना वह वसूल कर चुका है, उसको खत्म किया जाय। उसके लिए दण्ड भी निश्चित किया जाय तो कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी प्रथा को मिटाने के लिए कुछ दण्ड होना चाहिए। लेकिन उनके साथ ही साथ मजदूरी के तौर पर जिनका धन्धा है, मजदूरी आजीविका का साधन है, शायद उनके ऊपर इस विधेयक का असर पड़ता है, तो थोड़ी सोचने की बात है। इस चीज को, मैं समझता हूँ, इसमें स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो वैतनिक मजदूर के रूप में हैं, जैसा मैंने बतलाया कहीं कहीं पर उनको दैनिक रूप में मिलता है। आम तौर पर मासिक रूप में मिलता है, लेकिन कहते हैं कि गांवों में ऐसी प्रथा है, जिन्हें फसल के मौके पर मिलता है जो अनाज वे पैदा करते हैं, उसमें से कुछ भाग उन्हें दिया जाता है, उनको भी उसी तरह का मजदूर माना जाता है, कि उन मजदूरों की श्रेणी में आने वाले लोग हैं। कहीं उनको कोई इस प्रकार का कानूनी सलाहकार सलाह दे दे कि तुम्हारे ऊपर बड़ा जुर्म हो रहा है, तुमको इतनी कम मजदूरी देकर तुमसे काम करा रहे हैं, इसलिए तुम भी कह दो कि मुझे सागड़ी बना कर रखा है। तो इस प्रकार कानून का दुरुपयोग हो सकता है। तो एक तो इसमें दोनों की पृथक पृथक व्याख्या हो जानी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में व्याख्या हो जानी चाहिए। इसकी जांच हो जानी चाहिए कि कौन कौन लोग इसमें आते हैं, जो उनके खरीदे हुए दास हैं, कौन से ऐसे हैं जो स्वेच्छा से शारीरिक श्रम करते हैं अपनी जीविका कमाने के लिए और उसके साथ-साथ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो इस प्रथा के इस कानून से प्रभावित होते हैं, लेकिन उनकी जीविका का कोई साधन नहीं है। तो सरकार को इस प्रथा के उन्मूलन को अमल में लाने से पहले उन साधनों की ओर देखना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रथा का उन्मूलन करने के बाद आप उन्हें इस दासता से मुक्त कर देंगे, लेकिन उदर की पीड़ा उसको सतायेगी, उसका अपना पेट और उसके बाल-बच्चों का पेट यह चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि हमको खाने के लिए पैसा चाहिये और पैसे के लिए कोई धन्धा चाहिए। वह धन्धा आप दे सकते हैं या नहीं? तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत अहम सवाल

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

है और इस सवाल को खाली इस तरह से नहीं कर सकते। एक मानवता की दृष्टि से तो यह कानून बहुत पहले आना चाहिए था क्योंकि हमारे देश की स्वतंत्रता के माथे पर कलंक लगा है, उसको देखते हुए यह बहुत पहले आना चाहिए। लेकिन खैर, देर से आने पर भी इसको हम ऐसे शुद्ध रूप में लायें, इसको ऐसे सब प्रकार से निर्दोष रूप में लायें कि इसका कहीं दुरुपयोग न हो कहीं लोगों की जीविका न छिन जाय, कहीं जो क्रीतदास और मजदूरी से काम करने वाले हैं, वे दोनों एक श्रेणी में न आयें, इन सारी चीजों को देखने के लिए मैं आवश्यक समझता हूँ कि इस पर पुनर्विचार कर लिया जाय। इस दृष्टि से चाहे थोड़े समय के लिए ही इसको प्रवर समिति में भेज दें तो अपना प्रतिवेदन शीघ्र ही सदन के समक्ष रख दें। यह करने से ही इसकी खामियां हैं वे दूर हो सकेंगी। इसलिए मैं, यह जो प्रस्ताव रखा है प्रवर समिति को सुपुर्द करने का, उसे इस दृष्टि से देखता हूँ।

(श्री नाथूराम के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, सागरी विधेयक........

श्री उपाध्यक्ष : No, Hon'ble Member on my right. (श्री नाथूराम से) आप शुरू करें। Mr. Laxmichand, you will have next chance.

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में सागरी प्रथा खत्म करने के लिए जो विधेयक आज विचारार्थ सदन के सामने है, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर डिवीजन में हजारों की तादाद में आदिवासी लोग आज भी सागड़ी प्रथा के कारण गुलामी में फंसे हुए हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने यह बिल पेश किया है, इसके लिये हमें बहुत खुशी है पर यह बिल और भी जल्दी आता तो कई लोगों का भला होता, जो सागड़ी प्रथा के कारण आज गुलामी में फंसे हुए हैं। इस सागड़ी प्रथा को कई स्थानों पर तो सागड़ी कहते हैं और कई स्थानों पर हाली कहते हैं। बिल में बताया है कि दोनों एक ही चीज है। मैं भी मानता हूँ कि दोनों एक ही चीज है। कोई सागड़ी रहता है तो उसको कुछ रुपये दे देते हैं, वह ब्याज पेटे काम करता रहता है, मूल धन ज्यों का त्यों रहता है. और थोड़ा बहुत उसको खाने को दे देते हैं। हाली प्रथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों के आदिवासियों में फैली हुई है, यहां सागड़ी को हाली ही कहते हैं, कुछ रुपया दे देते हैं और कुछ अनाज दे देते हैं और उसके ब्याज पेटे काम लेते हैं, हाली से काम बहुत सख्त से सख्त लिया जाता है, ये दोनों चीजें खराब हैं, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि सागड़ी प्रथा जल्दी से खत्म कर देनी चाहिये।

आदिवासियों में ऐसा है कि एक रिश्तेदार के पास हाली रहता है, एक कृषक के पास दो-तीन बीघा जमीन है या बिल्कुल ही जमीन नहीं है तो वह दूसरे रिश्तेदार के वहां

Page No.62

(श्री नाथूराम)

पर हाली बनकर जायगा और उसका काम करेगा, वहां हाली का काम करेगा और उसके बैलों की मदद से अपनी खेती-बाड़ी का काम भी कर लेगा, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक बीघा, दो-बीघा जमीन है, दूसरों के यहां हाली रह कर काम चला लेते हैं तो सरकार की तरफ से यह कानून पास हो जाता है तो इसका अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिये। देखा जाता है कि बिल पास हो जाते हैं पर हमारे यहां उनका प्रचार नहीं होता है। टिनेन्सी एक्ट में बहुत सी अच्छी अच्छी धाराएं पास हुईं, कई अच्छे अच्छे संशोधन हुए हैं, पर आज हजारों की तादाद में लोग उनको जानते तक नहीं हैं। जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ उस समय ही यह बिल आ जाना चाहिये था। यह जितना लेट हुआ है उतना ही अब जल्दी से जल्दी पास हो जाना चाहिये और उसका प्रचार भी होना चाहिये। यह कानून पास होकर केवल गजट में ही नहीं रह जाय नहीं तो बहुत से जानेंगे ही नहीं। इस सागड़ी प्रथा के कारण बहुत से कृषक अपनी जिन्दगी के कीमती दिन यों ही व्यर्थ गमा रहे हैं, उनके परिवार नष्ट हो रहे हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का हिस्सा शिड्यूल एरिया है, उस शिड्यूल एरिया के आदिवासियों में यह प्रथा चल रही है, इस प्रथा को अविलम्ब ही खत्म कर देना चाहिये। मेरा यह भी निवेदन है कि प्रवर समिति में भेजने का जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, उसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। कई वर्षों के बाद यह बिल हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से इसे पास करना चाहिये। हजारों की तादाद में लोग गुलाम हैं, आजादी के समय में भी यह प्रथा रहे तो हमारे लिये दुख की बात होगी। कई स्थानों पर ऐसा भी है कि लोगों के पास जमीनें नहीं हैं, वे हाली का काम करते हैं तो इसमें संशोधन ऐसा होना चाहिये कि उनको काश्त के लिये जमीनें मिल जायं, नहीं तो ऐसा नहीं हो जाय कि उन लोगों को हाली प्रथा समाप्ति में नुकसान हो जाय। समाज कल्याण विभाग की तरफ से जाँच की जानी चाहिये कि जिनके पास एक बीघा, दो बीघा जमीनें हैं तो उनको काश्त के लिये जमीनें दिलानी चाहिये। यह बिल पास होगा और हजारों पर इसका असर पड़ेगा। जो लोग दूसरों के यहां पर हाली हैं उनको इस कानून के पास होते ही लोग छोड़ देंगे, उनके लिये सरकार की तरफ से आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिये। अगर सरकार की तरफ से उनके लिये ठीक व्यवस्था नहीं होगी तो उन लोगों को भूखों मरना पड़ेगा। मैं तो पुनः यह निवेदन करना चाहूँगा कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से ही शीघ्र जांच होनी चाहिये, चूंकि सर्वे भी अच्छी तरह से नहीं हुई है, हजारों की तादाद में पिछड़ी जाति के भूमिहीन लोगों के पास जमीनें नहीं हैं। अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जहां पिछड़ी जाति के आदिवासी हरिजन लोग हैं और जहां यह रिवाज़ चल रहा है वहां जांच करके जल्दी से जल्दी उचित व्यवस्था करनी चाहिये। मेरा अन्तिम निवेदन है कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास कर देना चाहिये प्रवर समिति में इस बिल को भेजने का जो प्रस्ताव है उसका मैं सख्त विरोध करता हूँ।

श्री लक्ष्मीचन्द जैन (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सागड़ी प्रथा (उन्मू-

(श्री लक्ष्मीचन्द जैन)

लन) विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस बिल को पास करने से पहले हमें इस बात पर विचार करना होगा कि लोग सागड़ी, हाली रहते क्यों हैं, इसके कारण क्या हैं ? सागड़ी, हाली वे ही लोग रहेंगे जिनके पास अपनी कमाई के लिये साधन नहीं हैं या इसके जरिये वे अपने साधन जुटाना चाहते हैं। वह चाहता है कि मैं दूसरे के यहां पर रह कर अपने कुटुम्ब का और अपना स्वयं का भरण-पोषण करूं। अगर हमको हाली रखने की प्रथा को खत्म करना है तो ऐसा करने से पहले हमको उनकी जरूरतों के सभी साधन जुटाने होंगे केवल कानून के बन्धन से, कानून पास करने से उनकी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। हमने कानून में व्यवस्था की है कि फोर्थ क्लास सर्वेन्ट से सरकारी अफसर घर का काम नहीं लें, पर आज सभी अफसर उनसे काम लेते हैं। तो केवल कानून बनाने से राहत नहीं मिलेगी, कानून बनाने से पहले सोचना पड़ेगा कि आदमी के खाने के लिये अन्न और पहनने के लिये कपड़ा आदि की जरूरत है। ये साधन उसे उपलब्ध हो जाते हैं तो कोई आदमी सागड़ी, हाली रहना पसन्द नहीं करेगा। कोई आदमी नहीं चाहता कि वह गुलाम रहे, पर परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो उसे सागड़ी, हाली रहने को मजबूर करती हैं। आपने कह दिया कि सहकारी समितियों से हम पैसे देते हैं, पर टाइम पर किसी को पैसा उपलब्ध नहीं होता है. तो मजबूर होकर उसको हाली, सागड़ी रहना पड़ता है।

एक आदमी ने तय किया कि कल-परसों मेरे लड़के की शादी करनी है, या फलां फलां मेरा त्यौहार है, उसे मनाना है, उसके मनाने में पैसा खर्च करना है तो यदि वह सरकार के पास प्रार्थनापत्र देगा तो साल भर पहले उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जरूरत के वक्त पैसा नहीं मिलेगा तो मजबूर होकर उसे अपनी जरूरत की चीजें जुटाने के लिये अपने आपको किसी का हाली या सागड़ी घोषित करना पड़ेगा। आज राजस्थान इस पोजीशन में नहीं है, राजस्थान के काश्तकारों का, राजस्थान सरकार का स्तर ऐसा ऊंचा नहीं है कि सरकार सागड़ी कानून पास करने से पहले ऐसी मशीन पैदा कर दे कि उस मशीन के हाथ लगाते ही उसको सब जरूरत की चीजें अन्न, रुपया, वस्त्र आदि मिल जायं। इन लोगों के लिये समुचित साधन जुटाने से पहले ही यदि आप इस प्रकार का कानून पास कर देंगे तो इससे लोगों को नुकसान होगा।

आज ५० प्रतिशत काश्तकार सागड़ी रख कर काश्त करवाते हैं। इस प्रकार का कानून पास करने से ५० प्रतिशत लोग बेकार और बेरोजगार हो जायेंगे और ५० प्रतिशत जमीन पड़ी रहेगी, उसमें अनाज पैदा नहीं हो सकेगा और इस तरह अनाज की कमी आ जायेगी। तो इस कानून को पास करने से पहले इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये जो उनकी जरूरतों और परिस्थितियों को देखें।

कई कानून आपके बड़े दुखदायक होते हैं। लेबर कानून में ऐसी व्यवस्था रखी है कि ८ घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिये। एक मजदूर खेत में काम करने गया, ८ घंटे पूरे होते ही वह काम बन्द कर देगा, ६वां घन्टा हुआ और मान लें को टिड्डी आ गई। अगर उसको यह कहा जावेगा कि रुक कर काम करे तो वह नहीं करेगा और वह चला जावेगा। इसलिये हर एक जगह कानून को लागू करने से पहले उसकी लोकल कन्डीशन्स

Page No.64

(श्री लक्ष्मीचन्द जैन)

को देखना होगा और वे देखेंगे कौन। इस पर सिलेक्ट कमेटी विचार करेगी। जब तक इस पर सिलेक्ट कमेटी विचार नहीं कर ले कि हाली प्रथा क्या है, इस पर पूरी तरह जांच नहीं करा लें, इससे पहले इस कानून को एप्लाई करेंगे तो यह समस्या सुलझने के बजाय उलझ जावेगी और उसको सुलझाना मुश्किल हो जावेगा। इसलिये जब तक हमारी भावनाओं का स्तर ऊंचा नहीं होगा कानून बनाने से कोई स्तर ऊंचा नहीं आ सकता। भारतवर्ष के नागरिक इस बात को महसूस करेंगे तभी यह हो सकता है और कानून के जरिये कुछ नहीं हो सकता।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रवर समिति को इस बिल को भेजने का प्रस्ताव आया है उसको स्वीकार करें और इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जावे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सागड़ी प्रथा] उन्मूलन विधेयक, १६६१ जो सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है और जिसके लिये श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मैं, सागड़ी प्रथा के इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे इससे पहले राजस्थान में काश्तकारी में काम करनेवाले जितने प्रकार के मजदूर हैं, थोड़ा सा उनकी परिस्थिति पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में काश्तकारों के पास जितने मजदूर काम करते हैं उनको भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है और उनके लिये भिन्न भिन्न स्थानों पर उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। जहां तक इस बिल में सागड़ी की परिभाषा दी है और इसके उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है और जैसा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि यहां पर ऐसा है कि जो परिभाषा दी गई है वहां के सागड़ी की हालत उससे मेल खाती है, वहां अग्रिम रकम उनको एडवान्स के रूप में दे दी जाती है और वह रकम उधार दी जाती है लेकिन वह व्यक्ति उसके पास जब तक काम करता रहेगा जब तक मूल रकम नहीं चुका देता है और उसके काम करने का मूल्य इतना ही है कि वह उससे ब्याज नहीं लेंगे। यह सागड़ी प्रथा उदयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताई। लेकिन मुझे एक और माननीय सदस्य ने बताया कि दूसरी जगह वे जितना एडवान्स उनको देते हैं वह उसके साल भर काम करने की कीमत है और वह रकम जो उसको दी जाती है वह उससे वापिस नहीं ली जाती है उसको भी सागड़ी कहते हैं। मेरे यहां पर भी जैसा कि कहा गया है, हाली प्रथा प्रचलित है लेकिन जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने सागड़ी व्यक्तियों की दुर्दशा और उनकी दयनीय स्थिति का चित्रण किया। जब हम हमारे यहां हाली की स्थिति को देखते हैं तो हमारे यहां पर इस प्रकार के कानून को लागू करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। हमारे यहां पर हाली को ४००) या ५००) रुपये उधार दिये जाते हैं। वह उधार चलता है उससे ब्याज नहीं लिया जाता और जिस समय खुद काश्त की फसल होती है उसमें से उसको ६टा या ७वां हिस्सा उसके काम करने का मिलता है और वह उससे संतोष अनुभव करता है हालांकि वह उसके सारे परिवार के लिये पूरा तो नहीं हो सकता

(श्री दयाकृष्ण विजय)

और यह नहीं कह सकते कि उसके परिवार का अच्छी तरह से गुजारा हो सकता है, मगर फिर भी वह संतुष्ट होता है। उसको हमारे यहां हाली कहा जाता है।

इस विधेयक में जो सबसे बड़ी कमी है और जिसकी वजह से माननीय सदस्य के मस्तिष्क में भ्रम पैदा हो गया है और उस कारण से इसे प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता हुई है वह यह है कि इसके भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम हैं उनको आपने हाली और सागड़ी ले लिया है। हालियों के अपवाद को सम्मिलित नहीं करना चाहिये। आपने वह अपवाद कहीं नहीं लिखा है। हाली शब्द का प्रयोग कहां होगा, किस पर लागू हो जावेगा ? आप कहते हैं कि परिभाषा में कहीं यह नहीं दिया हुआ है कि हार्ड लेबर नहीं रखा जावे। लेकिन परिभाषा तीन–चार भागों में है और वह इतनी विस्तृत है कि कहीं न कहीं लागू हो जावेगा। हमारे कोटा में जैसा हमारे माननीय मन्त्री जानते हैं और वे खुद उसको स्वीकार करेंगे कि वहां पर प्रथा में संशोधन नहीं करना चाहिये जैसा वे कहते हैं। इस प्रकार का कोई एग्जेम्पशन कि यह हालियों पर लागू नहीं होता है, प्रतीत नहीं होता इसलिये इसको प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। हमारे यहां राजस्थान में गलत-सलत चल रहा है। उसको नवीनीकरण करना चाहिये।

हमारे यहां सबसे पहले राजस्थान में काश्तकारों के सुधार के लिये राजस्थान सरकार ने कानून बनाये और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जितने कानून इनके हित के लिये बनाये दूसरे कहीं नहीं बनाये गये। लेकिन फिर भी आज हम उनकी सारी समस्याओं को हल नहीं कर पाये हैं और मैं समझता हूं कि आज जितने ज्यादा कानून बनाये हैं उतनी ही उनकी समस्या कठिन होती गई है और काश्तकारों के सामने कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं। जहां तक भूमिहीन किसानों को भूमि देने का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने और विधान सभा में सीलिंग बिल लाया गया था कि जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनसे लेकर दूसरे भूमिहीनों को दिलाई जावे। दूसरे लोगों के पास जिनके पास ज्यादा जमीन है और जो हाली रख कर काम करते हैं उनसे जमीन लेकर उनको दी जावेगी जो अपना जीवन बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। इसलिये हमने कानून बनाया और मैं समझता हूं कि राजस्थान विधान सभा ने सीलींग बिल को पास कर दिया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी राजस्थान सरकार ने उसको अभी तक लागू नहीं किया। उनको इस बात का डर है कि अगर वे इसको लागू कर देंगे तो उनको आने वाले चुनावों में वोट नहीं मिलेंगे। और मेरा खुला आरोप है कि वे इस प्रकार की स्थिति में नहीं हैं कि वे सीलींग को लागू कर दें। यह उनकी उदारता नहीं बल्कि मजबूरी है। अगर वे किसानों और भूमिहीनों का हित देखते तो उनको सीलिंग जो पास हो चुका है उसको लागू करते। पहले तो आपने इस प्रकार का वातावरण पैदा किया कि सीलिंग बिल आना चाहिये लेकिन जब वह पास हो गया तो आप उसको लागू नहीं कर सकते। यही कारण है कि भूमिहीन लोगों की समस्या हल नहीं होती। मेरे पूर्व वक्ता ने भूमि वितरण की कठिनाइयां आती हैं उनको बताया जिससे वे उन लोगों की समस्या को सुलझा नहीं पाते। मैं यह कहूंगा कि आज लोगों के पास भूमि दबी पड़ी है।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बिल पास हुआ उसमें भी १।१७६ हिस्सा है। लेकिन जितने बड़े बड़े फार्मर्स हैं वे दबे रहेंगे तो इसका कोई समस्यापूर्ण समाधान नहीं कह सकते हैं। मैं मानता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिये ताकि सरकार को इस प्रकार के विधेयकों को लाने की जरूरत न पड़े। लेकिन एक ओर इस प्रकार की समस्या पैदा होती है कि हम गुलामी की प्रथा का उन्मूलन करते हैं। आज का युग जिसको हम प्रतिशील कहते हैं जिसमें हर एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो शोषण और गुलामी को मन्जूर करता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दूसरे व्यक्ति के श्रम का फायदा उठावे। इसलिये हर व्यक्ति यह चाहता है कि हर एक व्यक्ति को ऊंचा उठने का मौका मिले। हमारे संविधान में इस प्रकार की गारन्टी दी है और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा हमारे संविधान में क्या गारन्टी दी जा सकती है। इसके बावजूद भी प्रथाओं के उन्मूलन से काम नहीं चल सकता। आज शिक्षा का प्रचार होना जरूरी है। हमारे दिमाग में आज आता है कि किस प्रकार से पिछड़े हुए लोगों में फैली अशिक्षा को दूर करें। वैसे तो मध्य भारत सरकार ने ६ वर्ष से ११ वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा कर दी है। लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो शिक्षा मंत्री हैं के मध्य प्रदेश का मुकाबिला नहीं कर सके और इस मामले में हम लोग इस बात की घोषणा नहीं कर सके कि ६ से ११ वर्ष के बालकों के लिए, जब कि संविधान में तो १३ वर्ष तक के बालकों के लिए कहा गया है, कम्पलसरी एजुकेशन लागू कर देंगे। हम लागू नहीं कर सके। राजस्थान बनने के बाद १४ वर्षों में यदि सोचा होता, यदि शिक्षा की अनिवार्यता पिछड़ी हुई जातियों के लिए स्वीकार की होती उनके लिए छात्रवृति घोषित की होती, उनके लिए कोई सुविधा दी होती तो आने वाली पिछड़ी जातियों के विकास के लिए आगे बढ़ते और सामाजिक क्रान्ति के लिए वे आज खड़ी हुई होतीं। आज गांवों में हमको कोई क्रान्ति करने वाले लोगों का समूह नहीं दिखाई देता है। आज १४ वर्ष के बाद भी गांवों में जाते हैं तो वही पिछड़े हुए, दबे हुए, पिसे हुए लोग दिखाई देते हैं। इसके लिए कानून एक माध्यम हो सकता है, लेकिन वह एक ऐसा पिछड़ा हुआ तरीका है कि जिससे बड़ी धीरे रूप में तरक्की कर सकते हैं। तरक्की का जो रास्ता है उसके लिए तो पहले अशिक्षा को दूर करते। दूसरा आर्थिक साधन उन लोगों के लिए जुटाये जाते जो कि पिछड़े हुए हैं, उनकी ओर ध्यान देते। वे सारी बातें भूल गये। जिस सीलिंग बिल और भूमि वितरण की बातें कीं वे ही केवल आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए पूरक नहीं हैं। छोटे छोटे उद्योगों की ओर भी ध्यान देते, लेकिन आज तो बड़े बड़े उद्योग, इन्डस्ट्रीज और बड़े बड़े इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने की ओर ध्यान देते हैं। इससे तो जो करोड़ पति हैं उनको और अधिक करोड़पति, अरबपति बनाने की कोशिश करते हैं।

दिल्ली में एक प्रश्न आया करोड़ों रुपयों की योजनायें बन रही हैं, १० हजार करोड़ रुपयों की तृतीय योजना बनी। ४३ प्रतिशत स्तर जीवन का बढ़ा, यह कहते हैं। जब यह प्रश्न आया तो जिन्होंने इसका जबाब दिया उन्होंने वापिस बताया कि यह जो जीवन-स्तर बढ़ा हुआ दिखाया गया है वह आम जनता तक नहीं पहुंचा है। ५-६ जो कुछ गिने-चुने केपेटलिस्ट्स हैं देश में उनकी जेबों में ही यह

(श्री दयाकृष्ण विजय)

गया है। आम जनता की आर्थिक स्थिति को और गिरा हुआ पाते हैं, यह सबसे बड़ी कमजोरी है अर्थ नीति की। इस प्रकार से आज हम चल रहे हैं और इन्डस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढते रहे हैं और नतीजा यह हो रहा है कि जो कुछ पूंजीपति देश में हैं वे अधिक पूंजीपति होते जा रहे हैं और आम जनता तक कोई राहत उन उद्योगों के द्वारा नहीं पहुंच रही है। वास्तव में हिन्दुस्तान में तरक्की करना चाहते हैं, हिन्दुस्तान की परिस्थितियां जो कुछ बनी हुई हैं, गाँवों में बसने वाले लोग ज्यादा हैं, शहरों में बसने वाले लोग कम हैं, गांवों के लोग खेती-बाड़ी और छोटे छोटे उद्योगों पर निर्भर रहते हैं, जिनको हम कुटीर उद्योग कह सकते हैं, ग्रामोद्योग कह सकते हैं, ऐसे उद्योग को आज देश में अधिक चलाने की आवश्यकता है, उनसे उत्पादन अधिक करें, गांवों तक बिजली पहुंचाने की आवश्यकता है, जो नहीं पहुंच पायी है आज १४ वर्ष के काल में भी। जापानी ढंग की छोटी छोटी मशीनरी लाते, लेकिन नहीं, पश्चिमी तरीके की, रूसी तरीके की बड़ी बड़ी मशीनरी ले आये हैं, उन पर करोड़ों रुपया लगा रहे हैं। सागड़ी लोग और इस प्रकार के जो दूसरे लोग हैं उनके लिए कोई पूरक उद्योग नहीं दे पाये और आम जनता आज भी पिछड़ी हुई है।

कांग्रेस के लोग बड़ी आवाज में कहते हैं कि हमने समाजवादी ढंग अपना लिया है। लेकिन आज जो अर्थ नीति चल रही है उससे तो सारे लोगों की विकास नहीं हो सकता। जितने बड़े बड़े उद्योग बढ़ते जावेंगे, बड़े बड़े कारखाने खुलते जावेंगे तो ज्यादातर लोग मजदूर होते जावेंगे, पैसा उनकी जेब में अधिक आया यह बात भी नहीं है, आज भी सीमित आय में लोग मजदूरी करते हुए मिलेंगे। हमारा उद्देश्य देश में मजदूर बनाने का नहीं होना चाहिये। हो सकता है कुछ रास्ते ऐसे हों। हो सकता है कि साम्यवादी तरीके से समाजवाद लायें। मैं साम्यवाद का पक्षपाती नहीं हूं। मैं इसका पक्षपाती इसलिए नहीं हूं कि मजदूर रहें, क्योंकि इस व्यवस्था में एक व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है, उसका जो स्वतन्त्र चिन्तन है,उसमें उसका विकास नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से सागड़ी प्रथा में दबे हुए चल कर, एक मजदूर बन कर चलता चले, राज्य का गुलाम बन कर चलने से एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता, उसके स्वतन्त्र चिन्तन का विकास कुंठित हो जाता है और विकास नहीं हो पाता है। मैं इस विषय में अधिक नहीं जाना चाहता। मैं केवल जहां तक सागड़ी प्रथा का सम्बन्ध है उसके लिए कहना चाहता हूं।

इसके उद्देश्य और कारणों में जो बताया गया है वह स्पष्ट तरीका बताया गया है लेकिन इसकी परिभाषा की गई है उसमें सारी बात उलझ गयी है। इसमें लिखा है किसी ऋणदाता द्वारा उससे ऋण लेने वाले व्यक्ति को इस शर्त पर रुपया उधार दिया जाता है कि जब तक कि उक्त ऋण का उस पर देय ब्याज सहित पूरा प्रति भुगतान न कर दिया जाय, तब तक उक्त ऋणी या उसके परिवार का कोई सदस्य ऋणदाता या उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के लिए, मजदूरी या व्यक्तिगत सेवा करेगा। जहां तक उद्देश्य और कारणों में यह विवरण दिया गया है और जो यह बात दी हुई है, उसके लिए कोई भी समझदार आदमी इस प्रकार के वेतन का समर्थन नहीं कर सकता, इस प्रथा का भी समर्थन नहीं कर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सकता है और इसका उन्मूलन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उन्मूलन होना चाहिये। इतने बड़े राजस्थान में तरह तरह की प्रथायें हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, इससे एक भ्रम पैदा हो गया है उनमें जो अपवाद चाहते थे उसका इसमें उल्लेख न होने से विवाद खड़ा हो गया है और इसी को दूर करने के लिए इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बाद में, या यहां पर इसको पास करने के बाद में भी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ऐसे लोग जो सर्विस करते हैं, कार्य करते हैं, चाहे अग्रिम रुपया लेकर काम करते हैं, चाहे ब्याज पर लेकर काम करते हैं लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो सागड़ी प्रथा में रह कर चलते हैं, उनकी संख्या मंत्री महोदय को मालूम नहीं, उन्होंने उनकी संख्या नहीं गिनी होगी। जब सागड़ी प्रथा उन्मूलन विधेयक पास होगा तो कितने लोग बेकार हो जावेंगे उनकी संख्या का अनुमान नहीं हो सकता और ऐसे बेकार होने वाले लोग भविष्य में कैसे जीवन चलायेंगे उनके लिए क्या सुविधाएं प्रदान कर दी है, क्या पहले से इसके लिए कदम उठाये हैं वह अब तक भी इसमें कहीं नहीं सुझाया गया है, कोई बात जो वर्षों से जमी हुई है उसको उखाड़ना तो बिलकुल सरल है, लेकिन उसके लिए दूसरा जमाने का मार्ग सोचना तो चाहिये था, १४ वर्षों में उनको उखाड़ा जा सकता था यह भी बहुत लेट है। माननीय मंत्रीजी को बहुत देर में जाकर यह सूझ आयी, लेकिन जो उखड़ने वाले लोग हैं उनको कहां पर बसायेंगे, उनकी रोजी और रोटी का प्रबन्ध है, जब तक इस पर नहीं सोचा जाता है तो यह विधेयक हमेशा ही अधूरा रहने वाला है। जो लोग ब्याज में काम चलाते हैं, ऐसा कहते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे भी ज्यादा होते हैं, तो जो बड़े २ ऐसे परिवार हैं उनको अपना जीवन चलाने के लिए इस विधेयक द्वारा क्या निर्देश देंगे, यह इस विधेयक में कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इससे कोई भी व्यक्ति उनको सागड़ी या हाली के तौर पर नहीं रखेगा।

आज हम देखते हैं कि हमारी दूसरी योजना के समाप्त होने के बाद भी सारे हिन्दुस्तान में ६० लाख आदमियों को काम नहीं दे सके और जैसा कि तीसरी योजना बनाने वालों का कहना है कि तीसरी योजना के समाप्त होने के बाद भी दूसरी योजना के जो बेकार हैं वे तो उसी प्रकार रहेंगे और उसमें वृद्धि होकर के उनकी संख्या ८० लाख तक पहुंच जायगी। जब हमारी योजनाओं का आधार इस प्रकार का है उसमें बेकारों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ेगी। इन बेकारों में वे लोग ही शामिल हों जो दूसरों के यहां मजदूरी करते हों यह बात नहीं इनमें शिक्षित बेकार हैं। आज हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के दफ्तर के सामने देखते हैं, शिक्षित बेकारों की कतारें खड़ी रहती हैं। एक एक स्थान के लिये दो सौ, तीन सौ दरख्वास्तें आपको मिलेंगी। किसी भी जगह के इन्टरव्यू के लिये सैकड़ों व्यक्ति आपको कतार में खड़े हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार की हालत को सुखदायी हालत नहीं कहा जा सकता। आज हमारे यहां बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है और जहां हम सागड़ी और हाली प्रथा को समाप्त करने जा रहे हैं तो इससे भी हजारों की संख्या में लोग ऐसे होंगे जो इस प्रकार के निकलेंगे। सागड़ी प्रथा को खत्म किया तो इस प्रकार से

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सागड़ी और हाली बेकार हो जायेंगे, ये आदमी कहीं भी नौकरी नहीं कर सकेंगे। इस विधेयक में मुझे यह भी नजर नहीं आता कि इस प्रकार के लोगों के लिये राज्य द्वारा कुछ प्रबन्ध किया गया हो। अमेरिका में इस प्रकार का सिस्टम है कि जिनको राज्य नौकरी नहीं दे पाता उनको बैठे बैठे राज्य पैसा देता है ताकि वे अपना जीवन चला सके। आज हिन्दुस्तान की यह हालत नहीं और उसमें राजस्थान की इस प्रकार की हालत होना तो मुश्किल है।

राजस्थान में हमने सीलिंग का कानून पास किया, जिस तरह से उस जमीन में से हम हरिजन पिछड़ी जाति के लोगों को देंगे अगर उनके साथ सागड़ी और हाली प्रथा से बेकार हुए लोगों को भी दें और उनके लिये शिक्षा अनिवार्य कर दें तो उनको राहत मिल सकती है और इस प्रकार से ये लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों का उल्लेख होना आवश्यक हैं। यह विधेयक जहां उन लोगों को उजाड़ना चाहता है वहां मेरा यह निवेदन है, इस विधेयक में जो 'हाली' शब्द का प्रयोग किया गया है उसको हटा दीजिये, इससे यह भ्रम उत्पन्न हो रहा है और हमें इस पर गंभीरता से सोचना चाहिये। इनके लिये ऑल्टर्नेटिव उद्योग-धन्धे या सर्विस देने का उल्लेख होना चाहिये। इस बात के लिये मैं समझता हूँ इस बिल को प्रवर समिति में भेज कर दो-चार दिन इस पर विचार-विनिमय के लिये लगा भी दिये जायं तो कोई वज्र-प्रहार होने वाला नहीं है। जहां हमने १४ साल गुजार दिये, वहां दो-चार दिन के लिये हम विश्वास कर सकते हैं इससे कोई बड़ा अनर्थ होने वाला नहीं है। आज हम देखते हैं कि जहां हमने सीलिंग बिल पास किया लेकिन अभी तक वह लागू नहीं हो पाया है। हो सकता है, उसी प्रकार इस बिल को भी हम पास कर दें फिर भी लागू नहीं हो तो हम क्या कर लेंगे? ऐसी हालत में चार-पांच रोज के लिये इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो कोई बहुत बड़ा बवन्डर होने वाला नहीं, इसलिये मैं कहना चाहूँगा कि यह कानून जहां हम बनाने जा रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाने जा रहे हैं, इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है इसको मनन करने की आवश्यकता है इसलिये इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीमाधोपुर और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सागड़ी प्रथा उत्सादन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं मेरे ख्याल से इसके सिद्धान्त से हर माननीय सदस्य सहमत है और सभी ने यह भावना व्यक्त की है कि यह जो प्रथा है वह वास्तव में व्यक्तित्व को हनन करने वाली प्रथा है इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाना चाहिये। इसके साथ साथ सरकार पर यह भी दोषारोपण किया है कि सरकार ने इस बिल को लाने में १४ साल का समय लगा दिया है, लेकिन मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे फिर इसमें और समय लगाकर विलम्ब क्यों करना चाहते हैं? जब आप इस सिद्धान्त को मानते हैं, दरअसल में जो यह मानव के शोषण की प्रथा है, जो हमारे यहां आज प्रचलित है, जो राजस्थान के प्रत्येक जिले में सागड़ी प्रथा है, हाली प्रथा है, जो ऋण के ऊपर नौकर रखने की प्रथा है

(श्री तेजमल आपना)

यह प्रथा हर जिले में विद्यमान है। सैकड़ों, हजारों किसान मजदूर केवल कुछ पैसे का ऋण लेकर अपना जीवन ही नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों तक अपना जीवन बलिदान कर चुके हैं। सौ, दौ सौ, पचास रुपये किसी को दे दिये उस पैसे का मूल तो वैसा का वैसा ही रहेगा केवल व्याज के एवज में अपने जीवन भर श्रम देना पड़ता है। हमने यह कानून बनाया है राजस्थान में एक हजार वर्षों से जिनकी हुकूमत चली आ रही थी उस हुकूमत ने नागरिक स्वतंत्रता का एक तरह से खात्मा सा कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमने अपने अधिकार संभाले हैं जहां मजदूरों का शोषण होता था कुछ पैसा मजदूरी देकर के १२ घंटे, १४ घंटे की जिनसे सेवायें ली जाती थीं उनमें हमने सुधार किया है। किसान अगर वह एक मन पैदा करता है तो उसका तीन हिस्सा जागीरदार को देने की जो प्रथा हमारे यहां थी, हमने उसको समाप्त किया है। दरअसल जब हमने यह सिद्धान्त रूप में महसूस कर लिया है, दरअसल में यह सागड़ी और हाली प्रथा है यह मानव जीवन की शोषण करने वाली है; तो जो इसके उन्मूलन के लिये सरकार द्वारा बिल लाया गया है उसको पास करने में क्यों विलम्ब करते हैं ?

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी बतलाया कि इसके उन्मूलन से हजारों व्यक्ति बेकार हो जायेंगे, मुझे उनकी यह अनोलोजी समझ में आई नहीं। वे किस प्रकार से बेकार हो जायेंगे ? एक तरफ यह कहा जाता है कि उद्योग-धन्धे अगर शुरू हो गये तो उसमें हमारी आत्मा का हनन हो जायगा, सब लोग मजदूर हो जायेंगे यह उनकी गलत अनोलोजी है। आज हम भारतवर्ष में समाजवादी समाज की स्थापना करने जा रहे हैं, ऊंच-नीच के भेदभाव को मिटाने जा रहे हैं, मालिक और मजदूर की जो परम्परा है, उसको खतम करने जा रहे हैं, आज प्रत्येक व्यक्ति मजदूर बने, केवल मालिक नहीं बने। मालिक के साथ साथ वह मजदूर भी बने। जब हम इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं हम देश में औद्योगीकरण करना चाहते हैं, बड़े छोटे मालिक और मजदूर की भावना को समाप्त करने जा रहे हैं, वहां बेकारी का प्रश्न ही नहीं आता सागड़ी प्रथा से दरअसल जो काम करते आ रहे हैं वे अपना काम छोड़ देंगे, यह बात नहीं है। लेकिन दरअसल में इस प्रथा के कारण जो मानव का शोषण कर रहे हैं, जो उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं वह समाप्त हो जायगा और उनको उनकी सेवा वे श्रम का उचित मूल्य सेवा लेने वाले को देना होगा। कई सदस्यों ने यह भी बतलाया है कि इस बिल में जो डेफीनिशन है वह स्पष्ट नहीं है। डेफीनिशन में जो बातें बतलाई गई हैं, उनका मूलभूत आधार यह है कि जो कुछ पैसा ऋण के तौर पर देकर मूल तो उसी प्रकार सुरक्षित रहे और उसके ब्याज के एवज में उससे सेवायें लेता रहे वह सागड़ी प्रथा है उसका उन्मूलन किया है इस बिल में, जो कि आपके सामने विचारार्थ रखा गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हम चाहे इस विधेयक को आज पास कर दें इसमें सरकार कुछ देर लगा सकती है जैसा कि सीलिंग बिल के लिये किया गया है। मैं यह मानता हूँ कि दरअसल में जब सीलिंग बिल पास हो गया वह जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिये लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि किसी कारण उसमें देरी हो रही है जिसके कारण वह बिल आज तक लागू नहीं

(श्री तेजमल बापना)

हो पाया वह इस बिल में भी होगा यह मानना ठीक नहीं है । इसके साथ-साथ शिक्षा के बारे में भी कहा गया....

श्री उपाध्यक्ष : Well, that was not a relevant point and you will not devolve upon it.

श्री तेजमल बापना : जो बात यह कही गई कि इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, यह बात उचित नहीं है । इसमें जो परिभाषा दी हुई है वह काफी विस्तृत और व्या क है । आ । इस प्र । से प्रान्त में हजारों व्यक्ति पीड़ित हैं । हम यदि इसमें विलम्ब करते हैं तो उनको पीड़ित करने में सहयोग देते ह । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल को प्रवर समिति में न भेजकर तुरन्त पारित किया जाय ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सागड़ी प्रथा का उन्मूलन करने सम्बन्धी बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसको प्रवर समिति में भेजे जाने का जो प्रस्ताव है, मैं ऐसा मानता हूँ, कि वह सभ्यता के विकास के इस चरण में स्वयं में एक प्रतिक्रियावादी प्रस्ताव है ।

मैं मान लेता हूँ उनकी यह बात कि इस प्रकार का बिल लाने में देर हुई है, पर इसके भी उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास में भारी कारण हैं । वृहत् राजस्थान के बनने से और आज दिन तक जब कि हमने तीसरी पंचवर्षीय आयोजना शुरू की है, यदि हम ध्यान से देखें तो राजस्थान के सामन्ती समाज को और अर्थ-व्यवस्था को बदलने के नकारात्मक अन्तर को ही हमने अब तक छूआ है यह स्पष्ट विदित होगा । मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगा कि हमने जिन बिचौले व्यक्तियों के द्वारा या इस प्रकार की सामन्ती सामाजिक तरणियों द्वारा शोषण चल रहा था, उसको समाप्त किया । लोग यह समझते हैं कि जागीरदारी उन्मूलन और उसके परिणाम स्वरूप छोटी मोटी प्रथाओं का उन्मूलन का प्रयास हमारा मामूली था । मैं इसको मामूली नहीं मानता, इसीलिये यही वजह है कि यह बिल जो आया है, देर से आ पाया, पर इसमें अधिक देर करने के लिये एक प्रस्ताव सदन में फिर लाया गया है । हमें फिर इसका मुकाबला करना है ।

सच तो यह है कि जिन जिन प्रथाओं से और जिन जिन अवस्थाओं और आर्थिक श्रेणियों से जनता का निरन्तर शोषण होता था उनको धीरे धीरे कानून के जरिये ही नहीं पर जनमत के बल पर भी दूर किया गया है ।

मैं पूछना चाहूँगा कि आज राजस्थान में जो एक नया वातावरण है, जो पंचायती जो राज्य चलने लगा है क्या उसके मुकाबले में राज्य व्यवस्था छुट-पुट रूप में यहां थी, उसके मुकाबले में यह पंचायती राज का कोई विकास का क्रम नहीं है । जैसा कहा गया हमने पिछड़ी जातियों में शिक्षा का प्रसार नहीं किया, यह नहीं किया वह नहीं किया । ये तो वे दलीलें हैं जो हर जगह लगाई जा सकती हैं । पर देखने की बात यह है कि जो सैकड़ों वर्षों से एक बर्बर प्रथा चली आ रही है उसे अब एक दिन के लिये भी अधिक जारी नहीं रक्खें । इसी भावना से प्रेरित होकर यह बिल सदन में लाया गया है । मैं इस सागड़ी प्रथा को एक बर्बर प्रथा ही मानता हूँ । जो सागड़ी

(श्री जनार्दनराय नागर)

प्रथा के उन्मूलन सम्बन्धी शंकाएं यहां प्रकट की गईं, उससे मुझे तो ऐसा लगा कि वे इस प्रथा के मूल में गये ही नहीं हैं।

सवाल सीधा है। यदि कोई ऋण लेता है और उसके बदले में उसे गुलाम बना लिया जाता है, उसे ही नहीं, उसके बीबी-बच्चे और आने वाली पीढ़ियों तक गुलाम बना ली जाती हैं तो यह क्या है? मैं शोषण में और गुलामी में अन्तर मानता हूँ। अब सागड़ी प्रथा अगर एक पल के लिये भी जारी रहती है तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि गुलामी जारी रख रहे हैं।

आज राजस्थान में नये जनतन्त्री समाज का विकास इस सीमा तक हो चुका है कि आज समय आ गया है कि यह जो ऐसी प्रथा राजस्थान में जारी है उसे शीघ्रातिशीघ्र अब दूर कर दिया जावे। प्रवर समिति में उस बिल को भेजना चाहिये जिसमें बहुत सोचने विचारने की आवश्यकता हो। मुझे समझ में नहीं आता कि एक ऐसी बर्बर प्रथा के उन्मूलन के लिये क्या सोच-विचार की बात है।

हमें अमेरिका की बात कही गई। वहां बेकार को राज्य की तरफ से सपोर्ट के तौर पर कुछ मिलता है। अगर उसकी तुलना भारत वर्ष में हम आज करने लग जावें तो यह आप भी मानेंगे कि आज इसके लिये समय नहीं है। आज अमेरिका को इस रूप में विकसित होने में सदियां लगी हैं जब कि हमारे को एक युग भी नहीं लगा है। हमारा भी लक्ष्य यही है कि हम धीरे धीरे अपने यहां समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का प्रचलन करें और इसके लिये जरूरी है कि हम इस प्रकार के बर्बर शोषण के तरीके और तौर को समाप्त करें। मैं इस सागड़ी प्रथा को तो शोषण की प्रथा नहीं, बल्कि दास प्रथा के नाम से पुकारना चाहूँगा। एक गरीब आदमी जिसके पास आर्थिक साधन नहीं हैं, वह किसी से कर्ज लेता है तो उसके एवज में उसको और उसकी आने वाली पीढ़ियों को ऋणदाता की गुलामी करनी पड़ती है, इसको शोषण कह का शोषण शब्द का अपमान नहीं करना चाहता यह तो एक तरह से गुलाम बनाना है, शोषण तो इससे हल्की चीज है। शोषण प्रथाएं तो आज भी नाना रूप में जारी हैं। पर वे आज हमें इतनी कटु नहीं मालूम होतीं जितनी यह सागड़ी प्रथा। भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को राजनैतिक, समाजिक और आर्थिक समानता के अधिकार दिये हैं और धीरे धीरे हम एक अर्थ व्यवस्था से हठकर समाजवादी अर्थ व्यवस्था का आधार उत्पन्न करने जा रहे हैं। ऐसी हालत में हम केवल संकल्प शक्ति के बल के ऊपर इस दास प्रथा को समाप्त कर सकते हैं तो जल्दी समाप्त करना चाहिये।

मैं यह मान लेता हूँ कि यह विधेयक आज से भी काफी पहले आना चाहिये था। पर नहीं आ पाया इसका कारण जो मुझे अब तक मालूम हो पाया है यही है कि हम अब तक सामन्तवादी शोषण को अथवा इसकी दूसरी ऐसी ही प्रथाओं को समाप्त करने में लग रहे थे।

यह भी कहा गया है कि सीलिंग का बिल भी पास हो गया पर लागू नहीं हुआ है उसी तरह अगर यह भी पास हो गया तो शायद है लागू न हो। अब सीलिंग का बिल क्यों नहीं हो पाया है इसके कारण का मुझे ज्ञान

(श्री जनार्दनराय नागर)

नहीं है पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सीलिंग बिल के पास करने तक यदि यह सदन में पहुंचा है तो मैं यह मानता हूँ कि यह निश्चय ही अत्यन्त आवश्यक है और समय का तकाजा है कि सैंकड़ों वर्षों से चली आ रही इस सागड़ी की दास-प्रथा को जल्दी से जल्दी विदा कर दें।

इस प्रथा का दर्द हम और आपको मालूम नहीं हो सकता। यह तो उसी को हो सकता है जो इसके शिकार हैं। यह भ्रम है कि इस कानून के बनने पर वे दासपने से तो छुटकारा पा जावेंगे पर बेकार हो जावेंगे। सही बात तो यह कि लोग काम करते हैं, चाहे हाली हो, चाहे मजदूर हो, चाहे उसके पास जमीन हो या नहीं हो पर लोग जो इस प्रथा के शिकार हैं उनके पास काम है। वैसे बेकारी की समस्या तो सारे हिन्दुस्तान की समस्या है। इस विशाल समस्या को इस दास प्रथा के साथ मिलाकर देखेंगे तो वास्तविकता हमारे सामने आ जावेगी और यह हमारा भ्रम भी दूर हो जावेगा। उनका जो सामाजिक या आर्थिक महत्व है, हम उसको भी भूला बैठेंगे। आज किसान अगर काम करना चाहता है तो उसको ऋण प्राप्त करने के आजकल बहुत आधुनिक साधन भी मिल गये हैं जो बड़े वैज्ञानिक ढंग से कायम किये गये हैं, सहकारी बैंक के रूप में या कोऑपरेटिव सोसाइटियों आदि के रूप में और भी अनेकों इस तरह के तरीके हैं। राज्य स्वयं भी काफी मात्रा में ऋण देता है। ऐसी अवस्था में देखना यह है कि इस सैंकड़ों वर्षों पुरानी दास-प्रथा को दूर करें या नहीं। प्रवर समिति में आप इस पर किस आधार पर विचार करेंगे। क्या इस पर विचार करेंगे कि अभी आर्थिक व्यवस्था चूंकि हमारी समाजवादी नहीं हो पाई है या हम सबको काम नहीं दे पायेंगे इसलिये इस प्रथा को अधिक दिनों तक चलने देना चाहिये? आखिर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि प्रवर समिति में भेजकर क्या करना चाहते हैं। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि शोषण को दूर करने के लिये हमें धीरे धीरे व्यावसायिक और औद्योगिक क्रान्ति करनी पड़ेगी। पर इस दास-प्रथा को बनाये रखने के लिये सागड़ी प्रथा को टिकाये रखने की आवश्यकता नहीं है।

मैं मेरे मित्रों की यह बात मानता हूँ कि हमारी कई मानों में गति धीमी है। हमें संकोच आ जाता है। तेजी से कोई बात लाने में कहीं ऐसा न हो कि विषमता आ जावे। पर जहां तक इस गुलाम प्रथा का सवाल है उसे तो हमें शीघ्र समाप्त कर देना चाहिये। आप कल्पना तो करिये। किसी ने २००) लिये तो उसके एवज में उसके लड़के को, लड़की को, पत्नी को, लड़के की पत्नी को, लड़की को सबको कई सालों तक गुलामी में पिलना पड़ता है। इसलिये आर्थिक परिणाम चाहे उसमें भी हो, उनके पुनर्वास की समस्या भी भले ही हो तो इससे घबराना नहीं चाहिये। ऐसा नहीं है कि इससे जो भी समस्या पैदा होगी, राज्य और हम और आप उसका हल नहीं निकाल पायेंगे।

(३ म. प.)

यह तो अपने ही विश्वास की कमी है जो हमें बार बार इस बात के लिए भयभीत करती है कि हम इसको और थोड़े दिन के लिए टिकने दें। मेरी एक ही माँग है कि आज दिन तक यह दासत्व प्रथा पनपती क्यों

Page No.74

(श्री जनार्दनराय नागर)

रही । हमने जब जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया और उसके साथ ही साथ उसके जो छोटे मोटे परिणाम थे उनको समाप्त किया तो इस प्रथा को तो जल्दी ही समाप्त कर देना चाहिए था । इसलिये मेरे निश्चित मत में है कि इसे प्रवर समिति के सामने रखकर दुनिया को यह कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि दासत्व प्रथा को समाप्त करने में प्रवर समिति के विचार करने की जरूरत पड़ी । गुलामी गुलामी ही है और उसको दूर करना ही उसका हल है इसके अलावा उसका कोई दूसरा हल नहीं है । यदि इसके उन्मूलन में कोई समस्यायें भी उपस्थित होती हैं तो उनका मुकाबिला मैं समझता हूँ कि दूसरे दृष्टिकोणों से, दूसरे मार्गों से करना पड़ेगा । मसलन हमने भूमिहीनों की समस्या को व्यापक आधार पर सुलझाने का प्रयत्न किया है । मैं इसको नहीं मानता कि जो यह कहते हैं कि राजस्थान में भूमिहीन किसानों का हल हुआ ही नहीं है । ठीक बात है कि राजस्थान के जितने भी भूमिहीन हैं उनको तमाम को जमीन नहीं मिली है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अधिकांश लोगों को जमीन मिलती जा रही है; यही हल है भूमिहीन को भूमि दिलवाने का । हमारे सामने भूमिहीनों की ही समस्या नहीं है बल्कि कम भूमिहीनों की भी समस्या है । उसको भी सुलझाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं । ऐसी अवस्था में सागड़ी प्रथा के जो शिकार हैं उनको आर्थिक मदद राज्य की ओर से अगर जरूरत पड़े तो भी मैं समझता हूँ कि राज्य उसके लिए तैयार है । आज हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि हमारी क्षमता है कि हम उनकी मदद करें । इसलिये मैं अपील करूंगा कि इसको शोषण की प्रथा नहीं माना जाये, आर्थिक विकास की कमी की प्रथा को नहीं माना जाये इसको तो गुलामी की प्रथा ही माना जाये और आज भी ऐसे जनतंत्रीय पवित्र विधान के लागू होने के युग में ।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम दासत्व प्रथा को रखने दें तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए शर्म की ही बात नहीं होगी बल्कि कलंक की बात होगी; इसलिए बिना संकोच के और एक प्रकार की संगठित शक्ति के साथ यदि दासता कहीं भी राजस्थान के कोने में बाकी रहती है तो उसको दूर करना चाहिए । कानून के जरिये इस प्रथा को दूर करने में माननीय मित्र ने कहा कि आर्थिक विषमता दूर नहीं होती । मैं मेरे माननीय मित्र से निवेदन करना चाहूँगा कि हम शोषण पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, हम तो आर्थिक विषमताओं से जो चीज उत्पन्न हुई है उस पर आक्रमण करना चाहते हैं । इसलिए जो भी हमारे सामने समस्या उपस्थित है उसका मुकाबिला राजकीय आधार पर करना चाहिए और इसका उन्मूलन कर देना चाहिए । मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी वजनी दलील है जो इसके पक्ष में दी जाये कि जिसकी वजह से प्रवर समिति को भेजा जाये । यह तो जो बिल है न तो वह साम्यवाद को लाने का बिल है, साम्यवाद तो मैं समझता हूँ कि गुलामी के जरिये नहीं लाया जाता है । वह तो कुछ आर्थिक क्षमता को प्राप्त करके ही साम्यवाद लाया जा सकता है । साम्यवाद तो हमारा अन्तिम लक्ष्य हो सकता है, प्रारम्भिक नहीं हो सकता । हमने समाजवाद का लक्ष्य हमारे सामने उपस्थित किया है ।

(श्री जनार्दनराय नागर)

समाजवाद तो आज पूर्ण रूप से चीन में भी नहीं आया है। चीन के नेता कहते हैं कि समाजवाद तो दूर है। हिन्दुस्तान में यह भ्रम हो जाये कि हम समाजवाद को लाये बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि यह निरा भ्रम होगा। सच तो यह है कि आज की जो आर्थिक व्यवस्था है उससे उभर कर एक प्रजातंत्रीय आर्थिक व्यवस्था के अन्दर प्रवेश कर रहे हैं, उसको अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना है। सागड़ी प्रथा भी एक आर्थिक प्रथा है, जैसे जागीरदारी प्रथा थी। इसलिए यह भ्रम होना स्वाभाविक है कि हम इसका महत्व समझें या नहीं समझें, लेकिन हमारे सामने जो लक्ष्य है सामन्ती समाज और आर्थिक व्यवस्था की छोटी से छोटी परम्परा बाकी हो तो उसको समाप्त कर देना चाहिए और वह इसलिए करना चाहिए कि हम जनतंत्र के प्रथम चौराहे पर आ गये हैं। इसलिए मेरे मित्र जल्दी से जल्दी समाजवाद हिन्दुस्तान में देखना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी है। हम समाजवाद लाना चाहते हैं, पर यह हम उनके तरीकों से नहीं लाना चाहते हैं, अपने ही तरीकों से लाना चाहते हैं। हम भारतीय तरीकों से समाजवाद लाना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि समाजवाद को लाने की उनकी आकांक्षा बहुत स्वागतयोग्य है और मैं कहता हूँ कि इस दासत्व प्रथा को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए और इसका उन्मूलन करने में देरी न करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे माननीय मित्र से अपील करूंगा कि जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है उसको वापिस ले लें। यह प्रस्ताव रख कर वह किसी न किसी बहाने, किसी न किसी चिन्ह से इस प्रथा के अन्त करने में इस सदन को देरी करने के लिए कह रहे हैं। इस सदन को शक्तिशाली बनाने की बात वह नहीं कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब यह विधेयक हमारे कार्यक्रम के अन्दर आया तभी मेरे जैसे व्यक्ति के अन्दर प्रतिक्रिया हुई कि इसके आने में बहुत देरी हो गई है। लेकिन यह एक गुलामी प्रथा है उसको दूर करने में जो आवश्यकता से अधिक देरी हुई उसके लिए मैं नेताओं को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ और इसके लिए राज्य के नेताओं से कह सकता हूँ कि आपने गफलत में देरी की लेकिन अब हम यह प्रस्ताव रखें कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाये जब कि हम जानते हैं कि वहां से आने में काफी समय लगेगा, ऐसी मेरी मान्यता है...........

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यदि ५ दिन का समय रख दिया जाये सिलेक्ट कमेटी के लिए तो ठीक रहेगा।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरी विनती यही है कि यह कोई विषम समस्या नहीं है, यह तो निखालिस दासत्व प्रथा को समाप्त करने की जरूरत है। इसके लिए जो हमारे माननीय मित्र का प्रयास है वह प्रयास विद्वतापूर्ण होते हुए भी वह भय में पड़े हुए हैं, उसमें साहस, वह साहस जो गुलामी को दूर करने का साहस होता है वह उनमें नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि इस बिल को प्रवर समिति में न भेजा जाये और इस सदन में ही उसे विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को प्रवर समिति

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

को सुपुर्द करने का जनसंघ के नेता की तरफ से प्रस्ताव आया है, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखते समय, भाषा का उपयोग कुछ भी किया हो, लेकिन स्पष्ट मालूम होता है कि यह जो गैरत प्रथा अपने राजस्थान में है उसका इनडाइरेक्टली सपोर्ट करते हैं.. ....

श्री भैरोंसिंह : हियर, हियर ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसके लिए चाहे प्रवर समिति को ५ दिन का ही समय दें लेकिन वह कहना चाहते हैं कि जिनका अब तक शोषण होता रहा है उनके लिए कुछ कोशिश की । अब इलेक्शन आ रहा है और अब चुनावों में कम से कम वह उनका साथ तो दें । जहां तक प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है........

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य उस समय नहीं थे जब कि वह इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के बारे में कह रहे थे । मैं सिर्फ डेफीनिशन के बारे में बोला था कि आज हाली कहीं भी नहीं हैं और इसकी जनरल डेफीनिशन न करें । आप जो कह रहे हैं मैं इसके लिए कह सकता हूँ कि मैं उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : उनको यह ख्याल नहीं था कि आप भी बोले थे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अभी तो मैं उनके बारे में कह रहा हूँ । आप जरा धीरज रखें, आपकी बात पर भी अभी आता हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि जहां तक रस्मी तौर पर इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने का सवाल है और जो विचार रखने की बात है उन्होंने जो मौका दिया सब लोगों को अपने अपने विचार रखने का उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं और वह रस्म अब खत्म हुई । इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज संक्रान्ति-काल में हम जो हैं एक सामाजिक क्रान्ति की तरफ बढ़ रहे हैं । समाज के अन्दर शोषणविहीन समाज की तरफ बढ़ने के लिए आज सरकार प्रयत्नशील है । किसी भी काम को करने के लिए आप ले लें पहले वह दिमाग में विचार आना चाहिए । तो सरकार महसूस करती है कि इस तरह के शोषण को खत्म करने के लिए राजस्थान में यह आवश्यक है कि हम एक कानून की शक्ल उसको दें जिससे लोग इस तरफ देखें कि समाज की यह प्रथा खराब है और प्रथा को खत्म कर देना चाहिए । जब विचार में यह बात आ गई तो जो लोग फायदा उठाते हैं, इनका शोषण करते हैं उन लोगों को भी पता चलेगा कि अब वे दिन लद चुके हैं कि कोई भी खूनाचूसी वे कर सकते हैं । वह राजाओं और जागीरदारों का वक्त खत्म हो गया है यह चीज महसूस करना चाहते हैं इसलिए वह कानून·······

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अब तो न राजा हैं और न जागीरदार हैं और मामूली काश्तकार के तरीके से ३० एकड़ की जमीन का सवाल है ।

श्री भैरोंसिंह : जो राजा और जागीरदार हैं वे गवर्नमेंट में चले गये हैं ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : पुरानी इस रीति को क्यों गाया जाता है ? पता नहीं इस बात का क्या है ? इस तरह से देखा जाय तो

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

जाट और दूसरे काश्तकारों का सवाल है। इनके लिए लोग करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं राजा साहब से बड़े अदब से अर्ज करूंगा....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं राजा साहब नहीं हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं रावल साहब से अर्ज करना चाहता हूँ कि यह बात सही कांग्रेस ने कर दी। आपके दिल के दर्द को हम समझते हैं। दर्द के साथ साथ हम यह उम्मीद करते हैं कि बदले हुए जमाने के साथ आज के इस संक्रान्ति–काल को दूर करने के लिए जिस लक्ष्य से हकूक लिये हैं उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें भी आप इसी तरह से साथ देंगे।

तो मैं अर्ज कर रहा था इस सिलसिले में कि इस तरह के छोटे छोटे कानून आ रहे हैं उनको सदन को पूर्ण समर्थन प्राप्त होना चाहिए, या जो पार्टियां या जो व्यक्ति इन चीजों में रोड़े अटकाना चाहते हैं उनको स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिये जिससे वहां के किसानों और हालियों और उदयपुर वालों ने और नाम रखा है।

एक माननीय सदस्य : मवाली।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जहां जहां यह प्रथा फैली हुई है उनको सही तौर से सारी स्थिति मालूम हो जाय कि कांग्रेस क्या चाहती है? जनसंघ क्या चाहता है और स्वतन्त्र लोग क्या चाहते हैं? अपनी अपनी शक्ल साफ लेकर आयें। कांग्रेस इस प्रथा को खत्म करने की तरफ थी और आप लोग टन्टा करके टालना चाहते हैं। क्यों टालना चाहते हैं, क्योंकि साफ तौर से मुद्दा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज चुनाव आगे बढ़ रहा है, उस सिलसिले में सामने रखते हैं समाज की इस तरह की गड़बड़ झाला को....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह स्टन्ट कांग्रेस की ओर से तो है ही।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): स्टन्ट नहीं मंत्र है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसके अन्दर जितने भी सम्मानीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन सबने दूसरी तरफ से नाक पकड़ने की कोशिश की है, खाने के दांत और दिखाने के दांत और इस तरह की कोशिश की बातों को सुनने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय. आप भी कनविन्स हो गये होंगे कि हर आदमी चाहता है कि गुलामी की प्रथा खत्म कर दी जाए।

उसके बाद प्रवर समिति का जहां तक ताल्लुक है तो प्रवर समिति का प्रस्ताव इन विचारों के बाद जबकि विचार सबके सामने आ चुके हैं, एमेन्डमेंट मूव हो चुके हैं, मौका मिल चुका है इसलिए प्रवर समिति के सुपुर्द करने का कोई भी महत्व या उस पर और कुछ कहा जा सकेगा, मैं ऐसा नहीं मानता।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि इस कानून को एक राय से समर्थन प्राप्त होना चाहिए और एक मर्तबा फिर रस्मी तौर से मौका दे दिया कि प्रवर समिति का यहां पर

Page No.78

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

काम हो जाय उसके लिए प्रवर समिति को सुपुर्द करने वाले सम्मानीय सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि प्रवर समिति के इस प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री **लच्छूराम** (मंडावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उक्त विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष रखने का जो प्रस्ताव किया है, मेरी विचारधारा उसके प्रतिकूल है। जब से सदन में आज २-३ घन्टे के दौरान में मैं बैठा हूँ और जो बहस मैंने सुनी है तो किसी भी माननीय सदस्य ने इस प्रकार का प्रस्ताव, इस प्रकार के विचार व्यक्त नहीं किये हैं कि यह सागड़ी प्रथा समाज के लिए अनुकूल है। सब की मन्शा यही है कि इस प्रथा को खत्म किया जाय, परन्तु इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने से यही जाहिर होता है कि इसमें कुछ ढिले करने की मन्शा कुछ माननीय सदस्यों की है। इसी प्रकार के लोग ही हमारे सामने कुछ प्रोग्रेसिव विधेयक लाये हैं उनमें हमेशा से इस प्रकार का टन्टा हमारे सामने करते रहे हैं। सबसे पहले हमारे सदन के सामने कुछ अर्से पहले सीलिंग का कानून आया। उस सीलिंग के कानून में भी इसी प्रकार की ढिले की गई और आज तक उसकी यही हालत है कि राजस्थान में सीलिंग का कानून लागू नहीं कर सके हैं और इसी प्रकार से दूसरे विधेयक भी जो प्रोग्रेसिव हैं वे या तो आये ही नहीं अगर आये हैं और पास हो गये हैं तो लागू नहीं हुए हैं। इसी प्रकार से वही नमूना या व्यवहार इस बिल के साथ में किया जा रहा है। वे स्पष्टतः मन्जूर करते हैं कि सागड़ी प्रथा समाज के प्रतिकूल है। इससे शोषण होता है समाज का तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय? लेकिन बहानेबाजी दूसरी है कि इसको डेफिनिशन के अन्दर कुछ खामियां हैं, इसके अन्दर हाली आ जाता है या दूसरी कुछ खामियां हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य है कि सागड़ी प्रथा को बन्द किया जाय। यह भी मानना पड़ेगा कि इस बिल को आज से १० साल पहले लाना चाहिए था और आज क्यों लाया जा रहा है इस में हमारे उधर बैठने वाले जो साथी है, जो माननीय सदस्य हैं उनकी भी मन्शा कुछ अच्छी नहीं है। आज चुनाव के २, ४, ५ महीने पहले इस प्रकार की प्रथा का उन्मूलन करने के लिए बिल पेश हुआ तो ४ साल पहले भी हो सकता था। सीलिंग के आने से पहले इस प्रकार का बिल हमारे सामने आना चाहिए था, परन्तु आखिर में अब जब वह आया तो वह ठीक है। इस बिल का इस प्रकार से विरोध करना कि कांग्रेस चुनाव प्रचार के लिए इस बिल को सामने ला रही है तो भी चिन्ता नहीं है। अगर चुनाव प्रचार के बहाने समाज का भला होता है, शोषण खत्म होता है तो इस प्रकार के बिल को मन्जूर कर सकते हैं। परन्तु इस प्रकार की विचारधारा जैसी कि कुछ हमारे माननीय सदस्यों की है कि विरोध के लिए ही विरोध करना, मेरी विचारधारा उसके प्रतिकूल है। कोई भी प्रोग्रेसिव कानून हमारे सामने आता है तो उसमें टन्टेबाजी या बखेड़ाबाज़ी डालने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार के पहले भी कई बिल आये हैं। हमारे सामने दहेज प्रथा का बिल था उसको भी इसी प्रकार से कानूनी खामियां बताकर रद्द करवा दिया। मतलब कहने का यह है कि इस प्रकार से प्रोग्रेसिव

(श्री लच्छूराम)

बिल हमारे सामने आते हैं तो कोई भी कानूनी खामियां बताकर उसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर देते हैं, दूसरा टंटा, बखेड़ा कर देते हैं जिससे डिले हो जाती है और जनता के सामने अपनी जो दरअसल में मन्शा है वह भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की डिले करके उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए मेरी मन्शा यह है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की जरूरत नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बिल ५ साल पहले ही पास होना चाहिए था। अब इसमें डिले नहीं करना चाहिए और आज ही ५-७ मिनिट में ही पास करना चाहिए। मुझे इस बात का अफसोस है कि इस प्रकार के बिल आते हैं उनका विरोध किया जाता है। आने के साथ ही उनका समर्थन करके पास कर दिया जाना चाहिए।

इसके साथ साथ दूसरी दलीलें दी जाती हैं कि इससे काश्तकारी कानून में जो सुविधाएं दी गई हैं खुदकाश्त के लिए, माइनर्स, अपाहिज और बेवाओं को वे खुदकाश्त नहीं करवा सकेंगे। उनको भूमि पर काम करने वाला लेबर नहीं मिलेगा अगर यह प्रथा खत्म हो गई तो। मैं कहता हूँ कि लेबर ज्यादा मिलेगा। इस प्रकार से सागड़ी प्रथा में या हाली वगैरह हैं उनको कुछ पैसा देकर रख लेते हैं। हमारी शेखावाटी में भोगलिया कहलाते हैं यह प्रथा सब जगह है। इसका असर राजस्थान में ही नहीं है, मैं कहता हूँ कि सब जगह है। कहीं पर इसका नाम सागड़ी प्रथा है और कहीं पर हाली प्रथा है और कहीं पर भोगलिया है और कहीं कुछ है। इस प्रकार से जो काश्तकार कानून के सहारे लाये जाते हैं, उधर खुदकाश्त की प्रथा माइनर्स आदि के लिये रखी है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उनको ज्यादा मजदूरी मिलेगी और ज्यादा सहूलियत मिलेगी। दूसरी ओर इससे गरीबों को राहत मिलेगी। जब सागड़ी प्रथा खत्म होगी तो वे अपनी इच्छानुसार मजदूरी लेंगे। मान लीजिये इससे मदद मिलती है तो खुदकाश्त की परिभाषा में भी कमी है। जो खुदकाश्त नहीं करता है दूसरों से काश्त कराता है, सवाल है माइनर्स और अपाहिजों का, लेकिन साथ ही साथ जो लोग दूसरा काम करते हैं, खेती करना जिनका पेशा नहीं है वे दूसरों के श्रम से फायदा उठाते हैं और शोषण करते हैं समाज का उनको रोकना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि खुदकाश्त से दूसरों से काश्त करवाई जा सकती है तो सागड़ी प्रथा खत्म नहीं की जाय। एक बार गलती करते हैं तो दूसरी बार भी गलती करें, यह जरूरी नहीं है। हमने काश्तकारी कानून में कमी रख दी तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम इसको पास न करें। मैं निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी पास करना चाहिये क्योंकि कमेटी का सवाल नहीं रहता।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री उपाध्यक्ष : You want to reply ? Yet there are so many members to speak.

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी समय तक सुनता रहा कि यह गुलामी की प्रथा है, ऐसी प्रथा है, वैसी

(श्री मूलचन्द डागा)

प्रथा है और नयी नयी बातें सुनता रहा। मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि किस प्रकार से यह गुलामी की प्रथा है, दोषी प्रथा है, इस पर आप अपनी भाषा में बड़े अच्छे ढंग से, साहित्यिक ढंग से कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचने के दो पहलू हैं। मैं अब तक समझ नहीं सका कि यह सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा. है क्या ? सवाल यह है कि हमारे यहां बहुत पुराने जमाने में काम करने का एक तरीका था। हम मानते है कि आज सामाजिक क्रान्ति लाने के लिये या आर्थिक क्रान्ति लाने के लिये कुछ कदम उठाना चाहिये।

अभी हमें राजनैतिक आजादी मिली, अब हम समाज के पुराने ढांचे में परिवर्तन या संशोधन करना चाहते हैं. लेकिन इस संशोधन के लिये अब तक मजबूत कदम नहीं उठा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि एक दम मनुष्य मनुष्य के बीच में जो आर्थिक बाधा है उसको मिटाया जाय या समाजवाद के ढंग से समाज बनाना चाहते हैं तो मजबूती के साथ, एक झटके से यह हुक्म निकालना चाहिए था कि आज तक जो सागड़ी थे, नौकर थे उनमें जो रकम बकाया है वह वसूल नहीं कर सकते। आपने क्या किया कि नया फॉर्मूला यह लागू किया कि डेट रिलीफ में दावा कर सकेंगे। मैंने किसी आदमी को ५०० रुपये दिये और वह काम करने लगा। अब आपने यह प्रथा खत्म कर दी तो वह व्यक्ति अपने धन के लिए क्लेम कर सकता है। मैं चाहता हूँ या कांग्रेस चाहती है कि हाली प्रथा बुरी प्रथा है इसको खत्म किया जाय। मैं समझता हूँ इस पुरानी प्रथा में कुछ बातें अच्छी हैं। जो पहले सिस्टम था उसमें कमियां हैं। लेकिन सिस्टम खराब नहीं है। आप इसका उन्मूलन करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप यह अधिकार देते हैं कि पार्टी दावा कर सकती है। यदि कोई दावा करेगा हाली पर तो उसको कानूनी मदद के लिये वकील करना होगा या आगे जाना होगा। मैं आपकी इस बात का स्वागत करना चाहता हूँ कि आप एक तरह के शोषण को खत्म करना चाहते हैं लेकिन दूसरी ओर आपको कानून से सख्त कदम उठाना चाहिये और वह यह कि सागड़ी प्रथा में जो पैसा उसको दिया गया है वह उस सागड़ी को वापिस नहीं देना पड़ेगा। यदि आप यह कदम उठाते तो मैं समझता कि आप उसको आर्थिक लाभ भी पहुँचा सकते हैं, लेकिन आप दूसरी ओर यह मौका देते हैं कि वह कानून के जरिये पैसा वसूल कर सकता है। तो मैं समझ नहीं पाया कि आप कहां तक क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहते हैं। वसूली का जो तरीका रखा है उससे कोई फायदा उठा सकेगा या नहीं इसका जवाब मंत्रीजी देंगे।

एक बात और है, सागड़ी सिस्टम आपने लिया है उसमें यह था कि एक आदमी को नौकर रखने का तरीका था उसके अनुसार यह कहा जाता था कि दो-चार साल के लिये इतनी रकम देते हैं, आप काम करेंगे। जो कोई अपने यहां हाली या सागड़ी रखते थे वे हाली या सागड़ी आगे चलकर घर के एक सदस्य बन जाते थे और हम यह नहीं समझते कि वह हमारा हाली या नौकर है लेकिन हम उसको घर का एक सदस्य ही समझते हैं। और काश्तकारों में तो यहां तक है कि कई वर्षों तक हाली रखने के बाद मालिक उससे अपनी लड़की की शादी कर देता है। हाली के रूप में रहते रहते उसके चाल-चलन और

(श्री मूलचन्द डागा)

अच्छे व्यवहार को देखकर मालिक अपनी लड़की की शादी उससे कर देता था और वह घरजंवाई के रूप में रहता था। इस प्रथा में कुछ खराबियां आईं उनको आप मिटाना चाहते हैं तो यह ठीक कदम है, लेकिन जो तरीका हाली रखने का था उसमें रहता हुआ वह घर के सदस्य के तौर पर रहता है। आप क्या चाहते हैं ? जो कर्जा दिया हुआ होता है उसको वसूल करना चाहते हैं कोर्ट के जरिये ? एम्प्लोयर और एम्पलोयी में एक तरह का रिश्ता होता है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने हुक्म निकाला कि अपने यहां के चपरासी को चपरासी न कहकर साथी कहो। यह बात चलने लगी। साथी कहने के साथ भावना बदली, लेकिन शोषण थोड़े ही बदला ? आज आप शोषण खत्म करना चाहते हैं तो एक झटके से हुक्म पास करिये कि इस पर जो कर्जा है वह खत्म कर दिया जायगा। एक कदम उठाया कि सागड़ी का कर्जा खत्म हो गया। लेकिन आपने यह किया कि कोर्ट में जावे। वहां उसकी जांच होगी, बारीकी से जांच होगी। लेकिन श्रीमान् जांच करायेगा कहां से ? उसको कानूनी मदद लेनी होगी और कानूनी मदद एक मकड़ी के जाल के समान है जिसमें गरीब फंस जाता है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ कानून से छुट्टी देना चाहते हैं, हालियों को मुक्त करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि कोर्ट में जाकर हक प्राप्त करें, तो वह कानून नहीं है। आप १४ साल के बाद एक कदम उठाना चाहते हैं जिसकी खबर अखबारों में निकलेगी कि राजस्थान में सागड़ी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया लेकिन उसके साथ ही जो पैसा वसूल किया जायगा वह भी एक झटके से खत्म होना चाहिये। वह खत्म कर दिया गया तो लोग महसूस करेंगे कि कोई कदम उठाया है, नहीं तो एक खत्म कर दिया और दूसरा खोल दिया। मैं मानता हूँ कि यह एक सख्त कदम है। लेकिन मानव मानव में सम्बन्ध है। कोई कहेगा कि नौकर है, कोई समझता है कि हमारा नौकर नहीं है। यह सागड़ी प्रथा नौकर की प्रथा या गुलामी की प्रथा, न तो गुलामी की प्रथा है न पहले थी, उसको ३०० रुपये एडवान्स दिये जाते हैं और कहा जाता है कि तुम अपने घर में आराम से रहो, हमारे घर में खाना खाओ। लेकिन उस मनुष्य में जब शैतान बस जाता है, तो वह मानव न रह कर शैतान बनने के बाद हावी हो जाता है। आपने उस प्रथा को इस रूप में समझा है कि आदमी का श्रम खरीदा जाता है, श्रम तो आज भी खरीदा जाता है, पर मानव श्रम के साथ सागड़ी प्रथा में मन और मोहब्बत भी खरीदी जाती है और मन और मोहब्बत के कारण अपने घर का ही काम समझ कर वह करता है। मैंने देखा है कि सागड़ी प्रथा से खेतों में अच्छी खेती हुई है। अब इस सागड़ी प्रथा को खत्म करने की बात आई है, वह क्यों आई है ? इस सागड़ी प्रथा को खत्म करने के लिए जो मंत्री महोदय ने ऑब्जेक्ट रखा है, उसमें एक बात यह और होनी चाहिए, एक अमेंडमेंट एक झटके के साथ उसमें आना चाहिए कि जो पैसा या रकम बकाया होगी सागड़ियों में, वह खत्म की जाती है। मैं समझता हूँ इससे चार चांद लग जायेंगे आपके बिल में, सोने में सुहागा हो जायगा—कमाल कर दिया धारीवाल जी ने, एक बिल पास करके सागड़ी की जो कुप्रथा थी वह खत्म कर दी, उसका उन्मूलन हो गया। हां, उपाध्यक्ष महोदय, नाम से

(श्री मूलचन्द डागा)

उन्मूलन हो जायगा, लेकिन जो पैसे की रिकवरी है, बकाया रिकवरी है, उसका रास्ता खुला रखा है, तो झख मार कर उसको काम करना पड़ेगा। एक तरफ कानून उसको मदद देगा कि उन्मुक्त कर दिया गया है सागड़ी प्रथा को, दूसरी तरफ रिकवरी का रास्ता खुला हुआ है। उस रास्ते से मजबूर होकर, लाचार होकर उसको काम न करना पड़े, यह मेरे दिमाग में है, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member from the Opposition.

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सागड़ी उन्मूलन विधेयक जो राजस्थान सरकार की तरफ से माननीय धारीवाल जी ने विधान सभा में पेश किया है उसके बारे में माननीय श्रीमाधोपुर से आने वाले सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। अब से पहले, उपाध्यक्ष महोदय, अब तक माननीय सदस्य सागड़ी प्रथा के बारे में इस सदन में बोल चुके हैं, उनको देखते हुए और सुनते हुए मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। कुछ माननीय सदस्य इसके पक्ष में बोले हैं, कुछ इसके विरोध में भी बोले हैं और मैं समझता हूँ कि अपने अपने विचारों के अनुसार सभी लोग अपने तरीके और अपने ढंग से उचित बोले हैं। लेकिन कोई भी कानून जो बनता है, उस कानून को सदन में लाकर कौन रखता है, उसका ड्राफ्ट कौन बनाता है, कहां से रिपोर्ट इकट्ठी होकर सरकार के पास आती है, यह तो मैं कह नहीं सकता। सागड़ी प्रथा को हमारे बीकानेर डिवीजन में हाली प्रथा कहते हैं, जोधपुर में भी हाली प्रथा कहते होंगे, शेखावाटी में हाली, भोगलिया कहते हैं, लेकिन इन पांच वर्षों के अर्से में मैं इस चीज को देख रहा हूँ और कम से कम बोलता हूँ, और कभी कभी तो बोलने का नम्बर भी नहीं आता, पर जहां तक मैंने देखा है, जनता के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कानून का बोझ बढ़ा करके रखा है और उसके बढ़ाने से, मैं समझता हूँ, मनुष्य का जन-जीवन है, वह सुरक्षित नहीं रह सका है। जितना उसके ऊपर कम से कम कानून का बोझ बना कर रख सकें, उतना अच्छा है। आदमी तो, मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन हाथ का होता है। पुरानी कहावत चली आई है कि आदमी साढ़े तीन हाथ लम्बा होता है। होते होते आदमियों के लिए इतने कानून बनाये गये हैं कि उनकी लम्बाई नापी जाय, तो विशेष तौर पर गरीब किसान, गरीब मजदूर और हरिजन लोगों को भी बचा नहीं सकते, हरएक आदमी कानून के हर पेज से ढका हुआ नजर आयेगा। उसका क्या होगा, क्या नहीं होगा, वह आदमी है या भूत बन गया है। इस तरह आये दिन कानून बनते हैं, पर वे कानून गरीब को लाभ नहीं पहुँचा सकते। यहां सदन में कानून हम बनाते हैं और बहस होती है लेकिन जब हम गांवों में जाते हैं, जनता के साथ रहते हैं–मैं तो जनता के साथ रहा हूँ, वहां की हालत देख चुका हूँ, वहीं की पैदाइश है–कि यह जो कानून बनते हैं, वे आगे जाकर गरीबों के लिए किस तरह के हो जाते हैं, उसका नतीजा किस तरह भोगते हैं, वह देख कर आया हूँ। हाली, भोगलिया, सागड़ी प्रथा है, इसके बारे में लोगों ने विभिन्न प्रकार के मत प्रकट किये लेकिन मेरा मत जो है, वह है कि माननीय सदस्य जो

(श्री किशनाराम)

नसीराबाद से आने वाले हैं, ने तो यहां तक कह दिया कि विरोधी लोग जो हैं, वे यह चाहते हैं कि किसी तरह से इस तरह का काम हो जाय कि इनको कुछ रुपया देने वाले हाली मिल जायं; ऐसी बात, मैं समझता हूँ, नहीं है। ऐसी बात नजर में नहीं आती है। यह बात ऐसी नहीं है, जैसी यहां हाली प्रथा चली हुई थी, उसके बारे में डागा साहब ने जो कहा, इनके विचार से मेरे विचार मेल खाते हैं। जो रिवाज-पीछे से पड़ी हुई है, यह जबरदस्ती डाली हुई नहीं है। इच्छानुसार पड़ी हुई है। दोनों तरफ का मन मिलता है, तासीर मिलती है, तब जाकर यह चीज बनती है। किसी के ऊपर किसी का दबाव नहीं है कि जबरदस्ती हाली रख लिया और जबरदस्ती दबाते चले जायं। हाली अपनी इच्छा से रहते हैं, हाली पर लोग विश्वास रखते हैं। हाली रखने वाले लोग उसके बदले में पैसा देते हैं, उसके लिए सुविधा जुटाते हैं, उसको एक तरह का परिवार का मेम्बर समझ कर रखते हैं। उस पर पूर्ण विश्वास होता है। वे जितना काम मालिक के घर में करते हैं, उसे अपने घर का समझ कर करते हैं, बाप का काम समझ कर करते हैं, कुटुम्ब का काम समझ कर करते हैं। वे कभी यह नहीं समझते हैं कि हाली हैं या अकेले ही काम करते हैं, इसलिए काम में चोरी करें। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह एक पवित्र प्रथा है, जिसको आप कानूनी रूप दे रहे हैं चौदह वर्ष में। मैं कहता हूं कि चौदह वर्ष तक राजस्थान सरकार ने क्या किया ? कौन सा आज मंत्री महोदय के सामने डेपूटेशन आया था ? इस कानून को बनाने से पहले मंत्री महोदय ने कौन सा दौरा किया था, जहां झुंड के झुंड लोगों ने आकर उनके सामने मांग पेश की थी कि सब हाली लोग हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई रिपोर्ट आपके पास आई जिससे इस तरह की चीज जल्दी से लाकर रखी है। मैं समझता हूँ कि कानून जितने ज्यादा बनाये जाते हैं, अभी एक प्रवर समिति में बिल चल रहा है साहूकार विधेयक। इस तरह के कानून बनाये जा रहे हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन लाइसेन्स देगा, कैसे देगा ? कोई झोंपड़े खरीदता है, कोई चार गज कपड़ा खरीदता है, कुछ न कुछ ब्याज लगता है। इस तरह के कानून बनाते जाते हैं कि कोई आदमी बचने वाला नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण बताऊं कि एक कानून बना दिया कि दुकान नौ बजे तक न खोलें। ऐसा कानून बनाया था। उसके अन्दर इन्सपेक्टर लगा देते हैं। और हम तो मावली लोग हैं, हम बैठे बैठे देखते रहते हैं। आपको कोई जानता होगा, हमें कोई जानता नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत सम्माननीय हैं, माननीय सदस्य होने के नाते। मावली कैसे कह सकते हैं ?

श्री किशनाराम : उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं देखता हूँ कि इन्सपेक्टर साहब आते हैं, ऐ, टाइम कितना हुआ। हुजूर, टाइम पौने नौ हुए हैं। कहते हैं-- मेरी घड़ी में नौ हुए हैं, चलो इधर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ. उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को मौका दिया जाय, तो मैं मौके की जांच करवा सकता हूँ। हर इन्सपेक्टर चाहे जयपुर का हो; चाहे कहीं और का हो, हर इन्सपेक्टर ने दुकान से बांध रखा है। हम विचार करते हैं, बैठ कर देखते हैं कि ऐसा कानून क्यों बनाया जाय। ऐसा कानून बना कर जनता को कितने दुख देते

(श्री किशनाराम)

हैं । लोग गांव से आते हैं, चार बजे शहर में पहुँचते हैं, नमक, मिर्च, लकड़ियां वगैरह खरीदते हैं । सूरज निकले पहले वे सामान लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये कानून उन्हें वंचित करते रहते हैं । कानून से उन्हें क्या फायदा है ? मैं समझता हूँ कि कानून के अन्दर जो आदमी काम करने वाले हैं, दो-चार को फायदा मिल गया है । अगर सौ दुकान हैं, उनमें चार आदमी नौकर हैं, उनको फायदा मिलेगा और जो हजारों गांव वाले बाजार में आने वाले हैं, वे धूप में जलेंगे । कानून जो बनाते हैं, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय को यह कानून बनाने से पहले सारी बातों को सोचना चाहिए कि इस कानून के बनने से जनता पर क्या असर पड़ेगा । लेकिन कानून बनता है, वह छप जाता है, उसकी तामील होती है दूसरे आदमियों के द्वारा । उनकी मर्जी की बात है । हम चैक नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते, कह नहीं सकते । अगर शिकायत करते हैं आपके पास कि इन्सपेक्टर कानून हमारी आंखों के सामने तोड़ता रहता है । हम कह नहीं सकते । अगर कहें तो वह कहेगा कि कानून इस तरह का है । हम आखों से देखते हैं । मैं समझता हूँ कि इसका इलाज क्या है ?

तो मेरा निवेदन करना यह है कि माननीय भैरोंसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति मे भेज दिया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूँ, इसको प्रवर समिति में भेज कर इस पर विचार किया जाय । तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का कानून ही नहीं आना चाहिये । कोई किसी को जबरदस्ती तो रखता नहीं है । हाली रखने वाले की मर्जी से और हाली रहने वाले की मर्जी से, दोनों की राजी खुशी से ही कोई हाली रहता है । जैसा कि भैरोंसिंहजी ने कहा कि कोई लावारिस है, अपंग है, विधवा है या मिलिटरी के सोल्जर्स हैं, उनके घरों में हाली नहीं रखेंगे तो कौन काम करेगा ? हो सकता है कि मेरी औरत भी विधवा हो सकती है, मेरा लड़का फौज में जा सकता है; तो फिर हाली नहीं रख सकेंगे तो कौन काम करेगा ? तो यह कानून उचित नहीं है, अगर उचित है तो इसमें कुछ सुधार करने चाहिये । अभी मूलचन्दजी ने कहा कि सारा कर्जा माफ कर देना चाहिये, क्यों ? क्या कोई खैरात बांटी थी क्या ? सर छोटूरामजी बन जाओ, अच्छा है आपका भी नाम हो जायगा । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि सागड़ी प्रथा है इसके लिये ऐसा कानून बनाते हैं तो हमारे हाली उतने गरीब नहीं हैं जितने कि राजस्थान सरकार के सिपाही और फोर्थ क्लास चपरासी वगैरह हैं, फोर्थ क्लास के चपरासी और सिपाही क्या हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं । सड़क पर ५० हजार रुपया खर्च करते हैं, उनमें से ०५ हजार ठेकेदार ले जाता है पर सिपाही चने चाब कर दिन निकालता है, पटवारी के रहने के लिये मकान नहीं है । मैन्युअल इस तरह का बना हुआ है कि पटवारी के बराबर किसी और अधिकारी के जिम्मे इतना काम नहीं है, दुनियाँ भर की फाइलें और काम लिये वह चलता है, हम तो यहां तक कहते हैं कि पटवारी के फैसले को कोई बदल नहीं सकता पर पब्लिक के लिये वह अच्छा तरीका नहीं है । तो इस तरह का कानून बनाने से पहले सोचना चाहिये । मैं तो कहता हूँ कि अव्वल तो यह कानून बनना ही नहीं चाहिये । आज चौदह वर्ष हुए हमें आजाद हुए आपने कितनी सिपाहियों की तनख्वाह बढ़ाई ? रात को गलियों मे पहरा देते फिरते हैं चोर, जुआरी और डाकुओं के

(श्री किशनाराम)

पीछे भागते फिरते हैं। उनको सोने को टाइम नहीं मिलता। तनख्वाह उनकी ऐसी हैं कि मिर्ची रोटी खाते हैं और अपने बाल-बच्चों के लिये मुश्किल से बचा कर भेज पाते हैं। वे भी तो हमारे ही देश के नागरिक हैं। रुपया किसी को दिया गया है तो खाने के लिये थोड़ा ही दिया गया है, कानून बनाओ तो इस तरह का बनाओ जो उचित हो, अचानक कानून पास कर के रुपये खा जाना उचित नहीं। कानून ऐसा होना चाहिये कि जिससे ज्यादा आदमियों को लाभ हो और नुकसान कम से कम लोगों को हो। इससे कुछ हालियों को शायद फायदा पहुँचेगा, पर ज्यादा लोगों को और ज्यादा हालियों को नुकसान होगा। यह तो अनुभव की बात है कि जिसके घर में कम आदमी होते हैं और खेती करने वाला नहीं होता है, ज्यादा जमीन होती है तो जिसके घर में ज्यादा आदमी होते हैं या जिनके पास जमीन नहीं होती है वे लोग हाली रहते हैं, इसमें तो राजी खुशी का सौदा है- मियां-बीबी वाला राजी-खुशी का सौदा है। उसमें ही कानून बनाना शुरू कर दिया। मैं तो इस प्रकार के कानून का बिलकुल विरोधी हूँ। इतने माननीय सदस्य हैं उनमें से किसी ने इस कानून का इस तरह से विरोध नहीं किया कि यह कानून होना ही नहीं चाहिये, मैं तो इसका विरोध करता हूँ कि इस प्रकार का कानून बनाना ही नहीं चाहिये। कानून ऐसा होना चाहिये कि कम से कम लोग उस कानून से दुखी हों, ज्यादा से ज्यादा लोग सुखी हों; पर आप इससे उल्टा कर रहे हैं। राजी; खुशी का सौदा है, जबरदस्ती कोई किसी से काम लेता नहीं, किसी ने देखा कि यह आदमी अच्छा है इसकी शादी कर देंगे, वह इस पर राजी हो गया और हमारे यहां पर हल चला दिया। ज्यादा क्या कहूँ इस बिल के बारे में ? यह सागड़ी प्रथा को मिटाने का बिल है, इस पर भैरोंसिंहजी का अमेंडमेंट है, उसका समर्थन करता हूँ, जो राजी-खुशी से काम करता है, राजी-खुशी से हिन्दुओं में शादियाँ होती हैं, उनको पवित्र समझते हैं तो फिर इसके लिये बिल क्यों पास किया जा रहा है। इतना ही कह कर बैठता हूँ और इसको प्रवर समिति में रखने का अमेंडमेंट रखा है उसका खूब जोरों से समर्थन करता हूँ।

(अनेक मा. सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर मैं सुबह से बहस सुन रहा हूँ। मैंने जहां तक देखा है इस बिल पर जो भी बहस हो रही है वह इमोशनल दलीलों पर ज्यादा हो रही है, पर आज इस बिल को पास नहीं करके क्यों प्रवर समिति में देना चाहिये, इसके लिये कोई कॉन्क्रीट दलील एक के सिवाय और नहीं आई है, एक ही दलील दी है। एक के सिवाय सारे माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है कि सागड़ी प्रथा अनुचित प्रथा है इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। इसमें सिवाय एक माननीय सदस्य के जिन्होंने अभी भाषण दिया, उनके अलावा सारे माननीय सदस्य एकमत हैं। पर एक कॉन्क्रीट पॉइन्ट रेज किया है, वह यह है कि इस बिल के पास हो जाने की वजह से जो हायर्ड लेबर है, जो काश्तकार हायर्ड लेबर, हाली रखते हैं वह रखने का अधिकार खत्म हो जायगा उनको शक है कि इस कानून के मातहत कोई हायर्ड लेबर नहीं रख पायेगा। मैं समझता हूँ कि

(श्री पी. के. चौधरी)

सिर्फ इस दलील से इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने पर जोर दिया है। दलील भी यह दी है कि उनको शक है इस बिल के पास हो जाने से कोई हायर्ड लेबर नहीं रख सकेगा और इससे काश्तकारों को दिक्कत होगी। उनकी सिर्फ यही दलील है और यह भी डाउटफुल दलील उनके दिमाग में है। मैं समझता हूँ इस बिल को बगैर प्रवर समिति के सुपुर्द किये भी सागड़ी प्रथा की जो डेफिनिशन दी है, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। कोई भी माननीय सदस्य मंत्री महोदय को बता सकते हैं कि यह डेफिनिशन है, इसके अनुसार कोई भी हायर्ड लेबर, सागड़ी, हाली नहीं रख सकेगा, इस तरह यदि कोई माननीय सदस्य मंत्री महोदय को कन्विन्स्ड कर दें तो इस डेफिनिशन में अमेंडमेंट, संशोधन किया जा सकता है। मिनिस्टर-इन्चार्ज को यदि इस तरह कन्विन्स कर दिया जाय तो डेफिनिशन में इस तरह का संशोधन किया जा सकता है, सूटेबली अमेंड किया जा सकता है।

मैं तो यह कहता हूँ कि सागड़ी सिस्टम अनार्किज्म की देन है। जैसा पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक समय समाज का ऐसा सिस्टम था जिससे सागड़ी सिस्टम इवोल्व हुआ, डेवलप हुआ। उस जमाने के आर्थिक ढांचे को देखते हुए वह सिस्टम ठीक बैठता था, लेकिन आज के इकोनोमिक एटमोस्फियर में, जो सामाजिक या आर्थिक हालत है उसमें सागड़ी सिस्टम मेल नहीं खाता है। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि इस बिल को जल्दी से पास किया जाए, इस बिल को डिले नहीं किया जाए। प्रवर समिति में भेजने से इसमें डिले हो सकती है। वाकई में यदि कोई माननीय सदस्य यह समझते हैं कि इसमें किसी प्रकार की गलती है या डेफिनिशन में कोई गलती रह गई है तो वर्बल एमेंडमेंट के द्वारा मिनिस्टर महोदय से बात करके तय कर लें। यह बात सही है कि हर एक काश्तकार को सोइंग के समय पर हायर्ड लेबर रखना पड़ता है और एडवान्स पेमेंट करना होता है, लेकिन एडवान्स देना किसी भी कानून में गैरकानूनी नहीं हो सकता। मैंने इस बिल को पढ़ा है। इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि एडवान्स पेमेंट नहीं दिया जाए। सागड़ी सिस्टम इसलिये गलत था कि एडवान्स या लोन दिया जाता था, उससे एग्रीमेंट लिखाया जाता था और it was a very petty amount जो उसको दिया जाता था और उससे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता था जिसको हम समझते हैं कि गलत सिस्टम है। मैं समझता हूँ कि कोई भी काश्तकार नोमिनल अमाउन्ट देकर लेबरर को बन्धेज में रखे तो उसे मानने को कोई तैयार नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको मेन्टल स्लेवरी में रखना चाहते हैं और वे लोग इसके सिकार बन जाते हैं। इस मेन्टल स्लेवरी को खत्म करने के लिये कानून बनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई ६ महीने का एडवान्स दे तो वह सागड़ी सिस्टम में आता है, ऐसा मुझे इस बिल में कहीं नजर नहीं आया। हो सकता है कि जो लोग पैसा खर्च करते हैं वे एडवान्स नहीं देकर कर्जा देते हैं। कर्जे का नाम लेकर कर्जे की शर्तें नहीं रखते। इसलिये इसे क्लियर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा कि साल भर काम करूंगा और साल के बाद में करूंगा तो नया एग्रीमेंट होगा। मैं समझता हूँ कि यह कानून किसी प्रकार अग्रिम पैसा देकर काम कराने में या विडोज या मिलिटरी पर्सोनल्स

(श्री पी. के. चौधरी)

या फोर अवर एग्रीकल्चरिस्ट के कार्य में कोई रुकावट डाल सकता है। लेकिन शायद आज लोन के नाम से रुपया देते हैं, पांच साल का किसी से एग्रीमेंट कराते हैं और उसको एपोइन्ट करते हैं। गजटेड ऑफिसर और दूसरे लोगों को हम रखते हैं तो उनके साथ ५ साल या २ साल का एग्रीमेंट होता है और उनका एपोइन्टमेंट होता है। तो यह इस कानून के मातहत नहीं आवेगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि इसको प्रवर समिति में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है वे माननीय मंत्री से मिल कर वर्बल अमेंडमेंट रखें तो ठीक हो सकता है। उनकी स्वयं की अभी तक इसको सिलेक्ट कमेटी में देने के बारे में सिर्फ एक ही दलील है कि इससे हायर्ड लेबर रखना खत्म हो जावेगा। मैं समझता हूँ कि उनकी आशंका या शंका है, वह निराधार है। इसका प्रोपर अमेंडमेंट डेफिनिशन में ला सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में इसे देने का जो प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble the Minister -in- charge of the Bill please make a reply.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सागड़ी एबोलिशन बिल पर सदन के माननीय सदस्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार के विचार रखे। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए यह बताया कि सरकार ने आज १४ वर्ष के बाद में यह कानून जो एक सागड़ी प्रथा का उन्मूलन का आया है उसका व्यंग्य रूप से स्वागत किया, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन शायद वे इस बात को समझते होंगे कि सागड़ी प्रथा किन कारणों से अभी तक चली आई, इसके पीछे कुछ खास कारण हैं। क्योंकि जैसा अभी कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि हमारे आजाद होने से पहले जो हमारी आर्थिक स्थिति थी उसके परिणामस्वरूप सागड़ी सिस्टम पैदा हुआ और आजादी के बाद में ज्यों २ हमारी आर्थिक अवस्था अच्छी होती गई और होती रही है उसको देखते हुए अब मौका आ गया है कि इसका अन्त किया जाना चाहिये। यह ऐसा है कि जैसा बताया है और कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में कुछ भ्रम पैदा जरूर हुआ है जो 'हाली' का शब्द इसकी डेफिनिशन में दिया गया है उसके आने की वजह से यह समझा गया कि हाली रखने और हाली को किसी प्रकार का एडवान्स देने की वजह से वह सिस्टम सागड़ी में आ जावेगा और कोई काश्तकार किसी को नौकर नहीं रख सकेगा, ऐसा भ्रम पैदा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को सही तौर से देखा जावे और पढ़ा जावे तो इसमें स्पष्ट है कि सागड़ी सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें एक व्यक्ति कर्जा देता है और दूसरा कर्जा लेनेवाला कुछ शर्तें उसके साथ करता है। पहली शर्त यह रखता है कि अमुक रुपया जो कुछ भी लिया है ब्याज देगा या नहीं देगा लेकिन उसका पेमेन्ट अमुक समय तक में उसकी नौकरी करके चुकाएगा, चाहे वह खुद करे, चाहे उसकी फेमिली का कोई मेम्बर करे या किसी दूसरे आदमी को नौकर रख कर करे, तो वह उस पैसे की अदायगी करेगा। हो सकता

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

है कि एक आदमी जरूरतमन्द है और वह यह कहे कि मैं २००) कर्जा लेना चाहता हूँ। वह यह शर्त करे कि वह एक वर्ष में नौकरी करके रुपया चुका देगा। क्या आप यह समझते हैं कि ऐसी प्रथा को चलाना उचित होगा मैं यह मानता हूँ कि एक आदमी अगर एक हजार रुपया कर्जा लेता है, उसको माहवारी नौकरी में १००) या ५०) रुपये या ६०) रुपये माहवार के माहवार अदा करूंगा, यह हो तो यह दूसरी चीज है। यह सागड़ी सिस्टम नहीं है जो हमारे राजस्थान में सागड़ी या हाली के नाम से, चाहे किसी दूसरे नाम से पुकारा जावे, तो हमेशा गुलाम रखना चाहते हैं जो उसे नौकर रख कर जो कुछ भी एक कॉन्ट्रेक्ट कर लेता है रुपये देने का, उसकी अदायगी का जरिया वह समझता है कि वह वहीं जाकर नौकरी करे और नौकरी के जरिये ही उन रुपयों की अदायगी कर सकता है। यह ऐसी प्रथा हमारी मानवता के खिलाफ है और आज के युग के विपरीत है और इसको ज्यादा अर्से तक चलाया रखना आज की बदलती हुई स्थिति में और बदलते हुए युग में और राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था में फिट इन नहीं होगा। हो सकता है कि पुराने राजस्थान में, जैसा कि उसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, चला लेकिन ज्यों ज्यों हमारे साधन सिंचाई के उपलब्ध होते जाते हैं ज्यों ज्यों हम भूमिहीन आदमियों को जमीन देने की व्यवस्था करते हैं।

हमने जागीरी प्रथा को समाप्त किया। जागीरदारों के पास बहुत बड़ी तादाद में जमीन थी उसको लेकर भूमिहीन किसानों और मजदूर लोगों को दिये जाने की व्यवस्था थी।

(४ म. प.)

सीलिंग के जरिये भूमि लेकर उसका वितरण करना चाहते हैं। ये सारे इस प्रकार के कारण हैं जिनसे सरकार यह महसूस करती है कि अब इस सागड़ी प्रथा को कायम रखना उचित नहीं है। हमें इस बात का अफसोस है कि जहां बहुत अर्से पहले इस प्रथा को कानून के जरिये से खत्म कर देना चाहिये था, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण थे जैसा कि मैंने अभी आपको निवेदन किया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सागड़ी एबोलिशन बिल इस प्रकार का बिल है जो शीघ्र पास हो जाना चाहिये था। माननीय सदस्यों ने भी इस विषय में अपनी राय जाहिर की है और वे काफी इसके हक में हैं। ऐसी प्रथा जो मानव को दासता में बँधा हुआ रखे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए रखे आज आजाद हिन्दुस्तान में यह कायम रहे यह कोई उपयुक्त नहीं है और कायम रखना कोई माने भी नहीं रखता है। इसको प्रवर समिति में रखा जाय इससे प्रस्तावक महोदय की मंशा शायद यह है कि इसमें उनको कोई शंका है और कान्ट्रेक्ट के द्वारा मेहनत देकर अपने कर्ज को अदा करे। इसकी डेफिनिशन में जैसा बताया है, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह तो एक प्रथा है लेकिन इस विधेयक से कहीं भी कोई यह मंशा नहीं है कि कोई भी हाली नहीं रख सकेगा। मजदूर मिलते हैं, रख सकते हैं, किसी को काम दे सकते हैं और करा सकते हैं। सवाल तो यह है कि अगर किसी से दबाव के साथ काम लिया जाय, गरज के कारण लिया जाय, क्योंकि गरजबन्द आदमी होता है वह किसी दूसरे आदमी के पास जब जाता है जो कि कर्जा देने की हैसियत में होता है, कहता है कि लड़की की शादी है आप इतना

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

रुपया दे दीजिये; २००), ३००) रुपया दे दीजिये। वह कहता है कि यह काम करना पड़ेगा तो इस प्रकार से दबाव में आकर वह कॉन्ट्रेक्ट कर लेता है उस रकम में जो कि उसके जीवन के निर्वाह के लिए काफी नहीं है और उस वक्त की जरूरियात को पूरा करने के लिए गुलाम की तरह रह कर उस व्यक्ति का हमेशा के लिए काम करता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी प्रथा का उन्मूलन होना आवश्यक है।

यह भी कहा गया कि उनके लिए दूसरी व्यवस्था होनी चाहिये, लोग-बाग ऐसे लोगों को कर्जा नहीं देंगे, उन लोगों को रिहेबिलि-टेट करने के लिए कोशिश की जानी चाहिये। मुझे इस बात को सुनकर बड़ा अफसोस है उन माननीय सदस्य से जो कि छबड़ा से आये हैं और जो सागड़ियों की स्थिति को काफी अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी वे यह बात कहते हैं। इससे अफसोस होता है। सागड़ी प्रथा अधिकतर बांसवाड़ा या डूंगरपुर क्षेत्र की ओर है। वहां लोगों का, जो भूखे और नंगे हैं, इस प्रथा से कितना शोषण हो रहा है, वे शायद नहीं जानते? जमींदार लोग हैं, हाली रख कर इस प्रकार से एग्रीमेन्ट कराते हैं उनके साथ में। सरकार ने उनको बसाने के लिए २० हजार बीघा के करीब जमीन दी है और ऐसे आदमियों को दी है। तकावी के लिए लोन दिया है। ऑल्टर्नेटिव ओक्युपेशन के लिए तरीका सोचा है। ऐसा नहीं है कि इस प्रथा को खत्म करने के बाद में ऐसे लोगों के लिए नहीं सोचा जायगा जो इस प्रथा के शिकार हैं, उनके बारे में नहीं सोचा जावेगा और उनको रिहेबिलिटेट करने की, बसाने की कोशिश नहीं की जावेगी। कोई अगर ऐसी समस्या आवेगी भी तो उसका हल भी निकाला जायगा। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सागड़ी प्रथा के द्वारा दी गई कोई भी रकम इस कानून के बन जाने के बाद तो नहीं देगा और न ही इस प्रकार का कॉन्ट्रेक्ट करेगा, लेकिन कानून बन जाने तक जो रकम बाकी होगी तो वह कोर्ट में मारा मारा फिरेगा, इसलिए इसमें ऐसा प्रावधान हो जाना चाहिये जिससे कि आज तक दी हुई रकम खत्म हो जाय। विधान के अंतर्गत ऐसा नहीं कर सकते हैं। कर्जा दिया है और जब तक अलग कानून न हो तब तक महरूम नहीं कर सकते हैं। इसमें कानूनी अड़चनें हैं। कानून यह बनाया है कि क्रेडिटर जो ऋण देने वाला है वह खुद जायगा कोर्ट में। किसी के खिलाफ मुकदमा दायर है तो वह आगे नहीं चलेगा और एग्रीकल्चर इन्डेटेडनेस एक्ट के अन्तर्गत दरख्वास्त करनी पड़ेगी। डेटर (debtor) को नहीं जाना पड़ेगा। क्रेडिटर चाहता है कि कर्जा लेने वाले के खिलाफ नालिश दायर करे तो अदालत में जाकर कर सकता है। लेकिन समेरी प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है। उसकी जांच हो जावेगी और जो रिलीफ मिलने वाला है वह मिल जावेगा। इस कानून के बन जाने के बाद में सागरी प्रथा के शिकार हुए व्यक्ति को उस एक्ट के तहत राहत मिल जाती है। ऐसा करना मुश्किल था जिसके लिए यह कहा जाय कि एक दम ऐसा कानून बना दिया जाय कि जो कुछ रुपया इस कानून के बनने तक बाकी है वह सब खत्म हो जाय।

इसके बाद सदस्य महोदय ने बताया कि लिस्ट बननी चाहिये कि कौन कौन व्यक्ति हैं। लिस्ट पहले बन जाय और फिर उस पर

Page No.90

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

विचार किया जाय। मैं यह कहना चाहूँगा कि डेफिनिशन साफ है और स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि ऐसा मुहायदा जैसा मैंने अभी निवेदन किया, जो रकम कर्जा ले और जिसके लिए समय निर्धारित हो कि उस वक्त तक नौकरी करके अदा करेगा तो वह उस प्रथा में आवेगा, चाहें वह हाली के नाम से हो, चाहे वह सागड़ी के नाम से हो, चाहे राजस्थान में किसी जगह भी और किसी नाम से पुकारी जाती हो। सब-क्लॉज (२), जिसमें डेफिनिशन दी हुई है, उसमें साफ तौर पर वर्डिंग्स भी ये लिखे हुए हैं :

"...system of advance of loans prevailing in any part of the State, by whatsoever name it may locally be called, of which the rendering of labour or personal service is an ingredient." तो मैंने निवेदन किया था कि केवल हाली का लब्ज आ जाने की वजह से ही माननीय सदस्यों को कुछ भ्रम हुआ है। या तो भ्रम स्वाभाविक था या पैदा किया गया तो मैं नहीं कह सकता। मैं स्पष्ट तौर पर यह कह देना चाहता हूँ कि इस कानून को, कुछ हिस्सों में लोगों का शोषण हो रहा है, उस शोषण को खत्म करने के लिए लागू किया गया है। इसको प्रवर समिति में रखने की आवश्यकता नहीं है। सिम्पल बात है। जो फेक्ट्स हैं, जो हमारे सामने मौजूद हैं, इस केटेगरी में जो कोई शख्स आवेगा वह सागड़ी प्रथा का शिकार माना जावेगा और उसका इस प्रकार से शोषण नहीं किया जावेगा। मैं समझता हूँ कि प्रस्तावक महोदय अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन विधेयक, १९६१ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्लॉज २ पर अमेन्डमेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : There is an amendment under clause 2 before me. I would like to know whether the Minister-in-charge accepts the amendment.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग-मंत्री) : It is not acceptable to me. This was never circulated.

श्री भैरोंसिंह : यह बात सही है कि वह अमेन्डमेंट सक्युलेट नहीं किया गया है लेकिन चेयर को अधिकार है कि इस पर भी इसको अलाउ कर दे। जो कन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, भ्रम पैदा हुआ है; उसका निराकरण हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I can consider the waiving of notice, provided the Hon'ble Minister-in-charge also accepts the proposal.

श्री भैरोंसिंह : आपके ऊपर ही है।

Page No.91

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry, I cannot waive the element of time.

श्री भैरोंसिंह : Then I will oppose Clause 2.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं इस क्लॉज में संशोधन मूव करना चाहता था जिस संशोधन की मन्शा यह थी, "providend that this will not affect the provisions of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, with regard to clarification of hired labour.

अगर यह संशोधन मूव करने की इजाजत दी जाती तो जिस प्रकार का भ्रम सदन के माननीय सदस्यों ने व्यक्त किया है उस भ्रम का निराकरण हो सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने इसका स्पष्टीकरण किया और उसके बाद जिन माननीय मंत्री महोदय ने इस बिल को प्रस्तुत किया है उन्होंने भी स्पष्टीकरण करने की चेष्टा की और इस बात का आश्वासन दिलाया है कि हायर्ड लेबर नाम की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में इस कानून का कतई असर नहीं होगा। लेकिन कानून के अन्दर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट और इसके अलावा दूसरे कानूनों में हायर्ड लेबर की परिभाषा नहीं दी हुई है और जहां इस बात की परिभाषा नहीं वहां हायर्ड लेबर को जैसा कि कानून के अन्दर अपन एडजस्ट करना चाहते हैं आसानी से एडजस्ट कर लिया जायगा। जैसा कि इस विधेयक के क्लॉज २ में लिखा है :

"सागड़ी प्रथा जैसी कि ऊपर परिभाषित है, को राज्य के कुछ भागों में प्रचलित हाली प्रथा भी कहते हैं एवं वह सागड़ी प्रथा में सम्मिलित भी है और ऋण उधार देने की राज्य के किसी भी भाग में प्रचलित तत्सदृश कोई अन्य प्रथा, चाहे उसका स्थानीय नाम कुछ भी हो, जिसका एक मुख्य अंग मजदूरी या व्यक्तिगत सेवा करना हो शामिल है।"

अब इसका एक अंग तो यह है कि रुपया दिया जाय। दूसरा अंग यह है, उस रुपये के एवज में उस आदमी से श्रम लिया जाय। माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि इससे हायर्ड लेबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब कि हायर्ड लेबर की परिभाषा नहीं है, वैसी स्थिति में मोटे रूप में एक सिद्धान्त को सामने रखकर चलना पड़ेगा, किसी भी रकम के भुगतान में जहां कम्पल्शन आता है उसको हम गुलामी प्रथा कहते हैं। इसी प्रकार से जो लोग मनी लेन्डिग करते हैं वह व्यक्ति को उधार देकर उस उधार की एवज में अपने परिवार को पीढ़ियों तक उसके यहां काम करने के लिए एग्रीमेंट कर लेंगे, जब तक रुपये का भुगतान नहीं होता है वह अपना श्रम देता रहेगा। दूसरे, गुलाम वे हैं जहां कम्पल्शन आता है, वहां हायर्ड लेबर में कम्पल्शन आता है। गांवों में जाकर आप वास्तविक स्थिति को देखें, केवल भावना के आधार पर कुछ न करें। गांवों में जाकर जो स्थिति का वास्तविक रूप है जो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं उससे मालूम होता है, सीजन के ऊपर काश्त के काम के लिये जो हाली रखते हैं वहां हाली से एग्रीमेन्ट करवा लेते हैं। आजकल गांवों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि वहां सीजनल लेबर की आवश्यकता होती है, लेबर वहां कम मिलता है इसलिए लोग वहां खुद रुपया नहीं मांगते हैं जिनसे लेबर लेना होता है उनको एडवान्स में पेमेन्ट करते

(श्री भैरोंसिंह)

हैं, वह इसलिये करते हैं कि जिस वक्त रुपया दिया जाता है उस वक्त यह कहकर दिया जाता है कि जिस वक्त काम हो वह काम पर आ जाय। वह रुपया एडवान्स में इसलिये देते हैं कि उनको फिर किसी के भरोसे न रहना पड़े, उनका उसके बिना किसी प्रकार भी काम न रुक जाय, वहां कम्पलशन नहीं। वह आदमी कर्जा देता है, ऋण देता है वह वॉलिन्टियरिली लेबर अपने आप काम पर आ जाता है, उस समय वह पेमेन्ट करके उसको पुख्ता कर लेते हैं अपने यहाँ काम के लिये, जिस समय भी उसके यहां काम की आवश्यकता होगी उसे काम करना पड़ेगा। यह इसलिये भी होता है, किसी ने उसे ज्यादा रुपया दे दिया और वह दूसरे के यहां न चला जाय इसलिये उसको कुछ एडवान्स देकर काम करने के लिये पक्का कर लिया जाता है। इस प्रकार का कम्पलशन गुलामी में भी होता है रुपया देकर मजबूत किया जाता है। अब हायर्ड लेबर को आप गांवों में जाकर देखिये, जहां गांवों में आपको मजदूर नहीं मिलेंगे ऐसे जो सुबह काम पर जांय और शाम को घर आ जायं और उनका काम खत्म हो गया। वहां काम करने से पहले जब तक वह आदमी उसको पेमेन्ट नहीं करेगा मजदूर काम पर नहीं जाता। चाहे वह एक महीने के लिये हो, चाहे दस महीने के लिये हो, कम्पलशन गुलामी में है, उस गुलामी को हमें डिसकरेज करना है, यह कानून हायर्ड लेबर को इफेक्ट करेगा, जहां कम्पलशन का सवाल नहीं। आज सागड़ी प्रथा जो एक प्रकार से गुलामों की प्रथा है देश के कई भागों में चल रही है, चाहे वह किसी नाम से हो, इस प्रथा को हमारी सरकार १४ वर्ष तक चलाती आयी है। हम कोई भी इस प्रथा के उन्मूलन में विरोध नहीं करते, हम तो यह चाहते हैं कि इस प्रकार का कानून बहुत पहले ही बन जाना चाहिये था। सरकार ने इस कानून को बनाने में १४ वर्ष का समय गुजार दिया, उसके लिये सरकार के पास जवाब नहीं। आज कानून बनाया जा रहा है और उसको पास करने में तकाजा किया जा रहा है, क्योंकि शाहबाद तहसील में शहरिया प्रथा है वह उजड़ जायगा, वहां जो कॉन्स्टीटयूएन्सी बनायी गई है उसके मत प्राप्त नहीं हो सकेंगे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इसी प्रकार की प्रथा है उसको भी समाप्त करना है, लेकिन मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि वे इस प्रथा की समाप्ति के लिये १४ वर्ष तक क्यों सोते रहे ? आज कहा जाता है कि प्रतिक्रियवादी तत्व इस प्रकार के विधेयक को पास करने देना नहीं चाहते, लेकिन आपने तो इसको १४ साल तक प्रोत्साहन दिया है, १४ वर्ष तक इस प्रथा को प्रोत्साहन देकर आपने यह स्वीकार कर लिया है, अब आप सागड़ी प्रथा को समाप्त करने का कानून बना रहे हैं हम उसका विरोध नहीं करते लेकिन इसमें निश्चित रूप से यह सवाल आता है जो कम्पलशन गुलामी में है वह हायर्ड लेबर में आता है। जो टिनेन्सी एक्ट का प्रोविजन है, टिनेन्ट की परिभाषा में हायर्ड लेबर को शामिल किया वहां कठिनाई पैदा हो जायगी। आप हाली प्रथा को समाप्त करें, सागड़ी प्रथा को समाप्त करें; जिसके अन्दर गुलामी की भावना हो उस प्रथा को समाप्त करें, लेकिन टिनेन्सी एक्ट में काश्त करने की दृष्टि से हायर्ड लेबर का जो प्रोविजन रखा है उस पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होना चाहिये।

तो मैं समझता हूँ कि इस हाली प्रथा

(श्री भैरोंसिंह)

के बिल के पास होने में मुझे आपत्ति नहीं है और इस सदन में यह निवेदन करूंगा कि बिना बहस के ही इस बिल को पास कर लिया जावे यह मेरी मंशा है, अगरचे मेरा जो संशोधन है उसे आप स्वीकार कर लें। जैसा राजस्व मन्त्री ने कहा है ठीक है, पर सदन में कहना कानूनी नहीं है और हायर्ड लेबर की परिभाषा की बात को लेकर तो अदालत में बहस होगी और यह निश्चित रूप से वहां सवाल आवेगा ऐसा मेरा मानना है तो एलीमेन्ट ऑफ कम्पल्शन को डिस्करेज करना चाहते थे तो इसका उल्लेख होना जरूरी है। इसके बिना हायर्ड लेबर से काश्त नहीं करा सकेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि अपाहिज, बेवा या सरकारी कर्मचारी के बारे में जहां आपने टिनेन्सी एक्ट में यह प्रोविजन रखा है वह व्यक्ति यदि किसी आदमी से यह तय करके मिलिटरी में जाता है कि मैं तुमको पांच सौ रुपया देता हूँ और एक साल बाद में वापिस आऊंगा तबतक तुमको मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। अब यह एलीमेन्ट कम्पल्शन का पांच सौ रुपयों से आया है। पर ज्यों ही पांच सौ रुपये दिये कम्पल्शन का एलीमेन्ट काम कर गया। वह हायर्ड लेबर में आता है। अगर इसमें हायर्ड लेबर के नाम से व्यवस्था की है तो उसको इस कानून के द्वारा निरस्त करना चाहते हैं, यह नहीं होना चाहिये। वर्ना सारा सिस्टम आप रखिये। हाली, सागड़ी या बाकी के जितने तमाम नाम होते हों जिनमें गुलामी के भाव आते हैं उन सबको आप समाप्त करिये, इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, पर टिनेन्सी एक्ट में जो आपने प्रोविजन रक्खा है उसको इफेक्ट करते हुए नहीं होना चाहिये, इतना ही मेरा निवेदन करने का अर्थ है। इसके लिये मैंने अपने संशोधन में एक व्यवस्था का सुझाव दिया है। इस व्यवस्था के बाद कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। आप उसे मान लीजिये। फिर यह भी कोई नहीं कहेगा कि कोई इस प्रथा को प्रोत्साहन देना चाहता है। यहां तक कहा गया है कि जो हम यह संशोधन लाये हैं वे इसमें कोई रोड़ा अटकाने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यह रोड़े अटकाने की बात नहीं है। सिर्फ इसलिये रखा है कि इसकी आड़ में पहले जो आपने प्रोविजन किया है हायर्ड लेबर का वह तो डिफीट नहीं हो रहा है। इस सारी बात पर अधिक अच्छी तरह से विचार करने की दृष्टि से प्रवर समिति की बात कही गई है फिर यह भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो जो मैं कह रहा हूँ वह सदन मान ही ले, पर कहना यह चाह रहा हूँ कि अगर विचार करने के बाद नतीजा यह निकलता है कि यह हाली या सागड़ी में कम्पल्शन का एलीमेन्ट एग्जेम्प्ट रखा गया है तो समिति इस पर अपना निर्णय ले। यह कम्पल्शन का एलीमेन्ट सर्विसेज़ में भी आता है, मजदूर वे रखते हैं तो उसमें भी आता है। गांवों में कोई काम नहीं आता जिसमें एडवान्स पेमेन्ट नहीं आता। फिर मैंने यह भी कहा है कि पांच दिन के अन्दर अन्दर समिति अपना निर्णय ले ले। अब जो गांवों में एडवान्स पेमेन्ट देते हैं उसके लिये कहा भी जा सकता है कि एडवान्स पेमेन्ट ऋण नहीं है। पर मैं ऐसा नहीं मानता, लोग जब पांच सौ रुपये देते हैं तो लिखावट लिखाते हैं कि मेरे यहां हाली रखने के लिये पांच सौ रुपये दिये। अब

(श्री भैरोंसिंह)

इसके दो हिस्से करते हैं। फर्स्ट इन्सटॉलमेन्ट तो दिया जाता है एडवान्स के तौर पर, छः महीने बाद दूसरा इन्स्टॉलमेन्ट और दे देते हैं ढाई-ढाई सौ रुपये का। दूसरा इन्स्टॉलमेन्ट ढाई सौ रुपये का कब देता है; तो साल के आखीर में जाकर देता है। इस पर कोई इन्टरेस्ट नहीं होता। पर किसान या मजदूर जो भी रुपया लेना चाहेगा वह एक मुश्त लेना चाहेगा, किश्तों में लेना नहीं चाहेगा क्योंकि एक मुश्त मिल जावेगा तो उसके वह बैल खरीदने में या दूसरे काम को करने में उसका आसानी से उपयोग कर सकेगा। इसलिये दो पेमेन्ट लेता है और वह सारा काम वॉलन्टियरिली होता है। अब व्याज चूंकि नहीं लेते तो उसके एवज में वह हाली रहकर काम करना मंजूर करता है। इसमें गुलामी का सवाल नहीं आता और मालिक भी कोशिश करके रखता है और मजदूर को नौकरी नहीं मिली इसलिये रहता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी गर्ज से इस व्यवस्था में शामिल होते हैं। अब आप कहेंगे कि यह तो पांच सौ रुपये दे दिये, इसलिये इसमें नहीं आता। पर वास्तविक बात कहता हूँ कि लिखावट जो लिखाता है एक साल के लिये हाली रखने की बिगत के साथ लिखाता है और यह भी लिखाता है कि इसके एवज में छः महीने का पेमेन्ट पहले कर रहा हूँ और बाकी का पेमेन्ट साल के आखिर में करूंगा, तो इतने दिन उसे उसके हाली के रूप में काम करना होगा। यह लिखावट हर गांव में होती है। इसमें कोई जागीरदारी का मालिक या मनी लैंडिंग का सवाल नहीं है, हर व्यक्ति इस तरह लिखाता है। उस लिखावट को कानूनी परिभाषा में देखा जावेगा तो निश्चित रूप से यह अर्थ निकालेगा कि यह रुपया इसलिए दिया गया है कि उसकी एवज में पारिश्रमिक लेना चाहता है और इसके लिये एग्रीमेन्ट किया है, इस प्रकार का कॉन्ट्रेक्ट किया है। यह पारिश्रमिक ही हायर्ड लेबर है। सुबह किसी ने मेहनत की और शाम को पेमेन्ट कर दिया, यही नहीं है; या मासिक पेमेन्ट कर दिया। मजदूर इतना सब्र नहीं करता। हमेशा पेमेन्ट हर रोज लेता है और उसी के आधार पर आजीविका अपनी चलाता है। तो इस पर मैं निवेदन करूंगा कि आप इसका प्रोवीजन करते समय उस हायर्ड लेबर पर असर मत डालिये। माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने भी कहा है कि टिनेन्सी एक्ट में हायर्ड लेबर को यह इफेक्ट नहीं करेगा। हालांकि यह क्लॉज अमेन्डेड मूव करने की स्वीकृति मुझे नहीं मिली है पर उसे अगर इस प्रकार स्वीकार कर लिया जाता है तो मुझे ऐतराज नहीं है। इसके बाद आपकी दास-प्रथा, सागड़ी-प्रथा सब समाप्त हो जावेगी, पर वह हायर्ड लेबर या मजदूरी के नाम पर बात आती है वह इफेक्ट नहीं होगी और हायर्ड लेबर करवाता रहेगा; नहीं तो इस हायर्ड के नाम पर कई झगड़े होंगे। या तो लोग मजदूरी करावेंगे नहीं और लेंगे तो दूसरी प्रकार की लिखावट करा सकेंगे; और कुछ नहीं होगा। सरकार कानून बनाती जाएगी और लोग उसका रास्ता निकालते जावेंगे। आज यह लिखाते हैं कि चाकरी के लिये पारिश्रमिक देंगे तो आगे यह लिखावेंगे इस पर इतना व्याज ले लेंगे और वह रकम इस तरह चुकाई जावेगी। पर इसमें मजदूरों को दिक्कत होगी। मेहनत जमा कराने के लिये रोज एन्ट्री करानी पड़ेगी। खर्चा भी ज्यादा होगा। आगे जाकर आप मनीलैंडिंग बिल भी ला रहे हैं, वह एन्ट्री तहसील के द्वारा

(श्री भैरोंसिंह)

उसकी एप्रूवल के द्वारा होगी तो ३०) रु० का मजदूर माहवारी चुकावेगा तो कई प्रकार की इसमें डिफीकल्टी आवेगी। तो सागड़ी प्रथा या जिस किसी भी प्रथा में दासप्रथा का थोड़ा सा भी अंश हो, वह समाप्त होनी चाहिये यह हम भी चाहते हैं, पर व्यवस्था यह करनी पड़ेगी कि इसका असर कभी मजदूर पर न पड़े। तो इन बातों के स्पष्टीकरण के साथ मैंने संशोधन पेश किया है। इस स्पष्टीकरण के साथ इसे स्वीकार कर लिया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो सारा क्लॉज इतना कम्प्लीकेडेट रहेगा कि इसमें कानूनी अनेमोलोजी रहेगी। हालियों के नाम पर मुकद्दमें लड़ेंगे। वकीलों की बन आवेगी, जुरमाने होंगे और सभी परेशान होंगे। ऐसी स्थिति में मैं तो निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करने के बाद स्पष्टीकरण हो तो ज्यादा अच्छा है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं क्लॉज २ का विरोध करता हूँ और वह विरोध इस आधार पर करता हूँ कि यह एम्बीगुअस है। इसमें कुछ अपवाद या इग्जेम्पशन जोड़े जाने चाहिये। जैसे श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने जवाब में कहा है वह ठीक है। उससे टिनेन्सी एक्ट के हायर्ड लेबर पर असर नहीं होगा। इसमे यह निश्चित हो जावेगा कि जो कृषक हैं वे हायर्ड लेबर करके अपनी खेती में सहायता ले सकेंगे।

अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि छबड़ा, शाहबाद में सहरियों का शोषण होता है, इसके प्रति मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। पर बताना चाहता हूँ कि सहरियां का शोषण इस प्रथा से नहीं होता क्योंकि हमारे यहां बांटे की प्रथा है। आठवां बांटा हाली लेता है और बिना ब्याज के साल भर की अपनी जरूरत के लिये चार सौ, पांच सौ रुपये उधार लेता है। यह साधारण प्रथा है। बिना ब्याज के रुपया दिया जाता है, इसके अलावा आठवां बांटा और लेता है।

यही प्रथा शाहबाद में है। मुझे याद है और मैं काश्तकारों के साथ बैठा हूँ वहां की प्रथा है कि वहां वेतन से मजदूर रहने लगे हैं और वहां वेतन तीस-चालीस रुपया महीने जितने भी वहां हाली रखते हैं वह वेतन से रखते हैं। यह बात मैंने वहां के सरपंच श्री अमोलकचन्द से पूछी थी, उसने कहा कि तुम्हारे यहां तो अच्छा तरीका है। मैंने जब अपने गांव में यह प्रथा लागू करनी चाही तो वहां के लोगों ने कहा कि हम तो बांटे में ही रहेंगे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय बताना चाहता हूँ कि शाहबाद में कोई प्रथा नहीं है कि जिससे शोषण होता हो। आज सहरिया निरक्षर हैं। उनके लिए ज्यादा सहायता करने वाले नहीं हैं इसलिए कुछ भी यह बांटा है और आज भी उनको एडवान्स पेमेन्ट होता है। तो यह जो मनी लेन्डिंग की प्रथा है वह खराब हो सकती है, यानी जिसको मजदूरी पर लगाते हैं उनकी खराबी हो सकती है। लेकिन वहां जो प्रथा है वह इसी प्रकार की है। अब प्रश्न यह आता है कि हम निरक्षरता दूर करना नहीं चाहते, यानी हम ऐसा कानून बनाना नहीं चाहते हैं कि कोई भी काश्तकार किसी व्यक्ति को हाली रखता है तो उसको कम से कम इतना वेतन-चाहे एडवान्स में दें चाहे माहवारी दें-यदि इस प्रकार की धारा रख दी जाये तो कोई भी जरूरत नहीं रहती है। जो भी आपका मिनिमम वेजेज का

(श्री दयाकृष्ण)

कानून है उसके अनुसार क्यों नहीं उसको कम से कम उतना मिलता। यह प्रथा ऐसी नहीं है कि जिसका उन्मूलन नहीं हो सकता।

मैं जानता हूँ कि एक आदमी काम करने वाला है और उसकी मिनिमम वेजेज तय हैं और यदि मिनिमम वेजेज की एक लाइन इसमें रख देते हैं कि कोई भी काश्तकार किसी को हाली रखता है तो इतने से कम में न रखे और यदि कम में रखेगा तो उसको सजा मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि काम करने वालों की हालत ठीक हो सकतीहै। इसके लिए एक इफेक्टिव कानून बनाया जाय, तो मैं समझता हूँ कि सागड़ी की या हाली की हालत सुधर सकती है। लेकिन ऐसा कानून लाने से उनका उन्मूलन नहीं हो जाता है क्योंकि वह विवश होकर नौकरी कर रहा है। यदि आज उसके पास जमीन होगी तो वह कभी हाली नहीं बनेगा। यदि उसके पास बैल होंगे, कुआ होगा तो वह अपना धंधा करेगा, अपनी खेती-बाड़ी करेगा। आज हर आदमी स्वाभिमानी है लेकिन आज उसके आर्थिक साधन ऐसे नहीं है कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके इसलिए वह दूसरों के यहां हाली बनकर काम करता है हम प्रथा का उन्मूलन करके उनकी आर्थिक समस्या को सुधार देंगे, ऐसा मैं नहीं मानता बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इससे तो बेकारी ज्यादा बढ़ेगी। मैं इस सदन में कहूँगा कि आज तक हमारा सीलिंग का बिल नहीं लागू होने की वजह से यह समस्या पैदा हो रही है। आज जमीन फालतू नहीं है कि उनको कम से कम जमीन तो मिल जाये। अगर उनको जमीन दी भी जाती है तो उनको ऐसी जमीन बताई जाती है कि जहां खेती-बाड़ी नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि प्रथा का उन्मूलन करके जिनको बेकार बनाया जा रहा है। उनके लिए आप जमीन की व्यवस्था तुरन्त करें ताकि वह अगली साल बेकार न रहे। अगर प्रथा समाप्त हो जायेगी तो भी वह कम से कम दूसरी कोई नौकरी करके दास बनेंगे, नौकर बनेंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सब आर्थिक कारणों से मनुष्य दूसरों का गुलाम बनना पसन्द करता है। यदि आज उनके पास शिक्षा और पैसा दोनों हों तो वह किसी का गुलाम बनने की नहीं सोच सकता। हम नौकरी करने के लिए विवश होते हैं तो पेट के लिए होते हैं।

आज एक चपरासी की शिकायत आती है कि उससे कपड़े धुलवाये जाते हैं, उससे बर्तन साफ करवाये जाते हैं, तो वह फिर भी नौकरी नहीं छोड़ता है क्योंकि अगर वह नौकरी छोड़ देगा तो फिर कहां जायेगा ? हर एक आदमी क्रान्ति चाहता है, हर एक आदमी उन्नति चाहता है और स्वाभिमान का जीवन बिताना चाहता है लेकिन वह क्यों ऐसा करता है ? केवल इसलिए कि उसका पेट चिल्लाता है, उसके बाल-बच्चे भूखों मर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम हायर्ड लेबर को अच्छी तनख्वाह मिले, अच्छा वेतन मिले, उनके लिए एक इन्स-ट्रक्शन निकाल दी जाये कि इतने पैसे कम में किसी को नहीं लगाया जाये और अगर कोई रखेगा तो वह ऑफेन्स बन जायेगा। इससे प्रथा के उन्मूलन की जरूरत नहीं होगी, आप वेतन निर्धारित कीजिए और उसका कड़ाई से पालन करवाइये। मैं समझता हूँ कि इस क्लॉज के अन्दर क्योंकि आज मिलों में भी मजदूर काम करते हैं, हमारे दफ्तरों में चपरासी काम करते हैं वे सब दास हैं,

Page No.97

(श्री भैरोंसिंह)

सेवक हैं । लोग कहते हैं कि जो हल क मूट पकड़ेगा उसी की जमीन । लेकिन एक काश्तकार को भी छोटी-मोटी कटाई के लिए हायर्ड लेबर को लगाना ही पड़ेगा । कभी कभी किसी के पास ज्यादा जमीन होती है तो उसमें भी दो मिलकर काम करते हैं । इसलिए हायर्ड लेबर को इसमें रखा नहीं और कायदे से इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया तो यह हमेशा संदेहास्पद रहेगा । हमारे यहां ऐसी प्रथा नहीं है । इसलिए इसका बहुत ही विस्तृत बनाने के लिए कम से कम इसमें एक एग्जेम्पशन जोड़ दिया जाता जो कि श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाया है कि हायर्ड लेबर जो भी हो वह इससे इफेक्ट नहीं होगा तो यह क्लॉज ठीक हो सकता है । मैं समझता हूँ कि यह जो बात मैंने कही है यह बहुत स्पष्ट है और माननीय मंत्री महोदय ने इसको समझा है और वे इस पर जरूर विचार करेंगे ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लॉज २ पर जो बहस की है उसमें उन्होंने यह कहा है कि टिनेन्सी एक्ट के तहत में जो हायर्ड लेबर है उसका एक प्रोविजो इस प्रकार का बनाने का मूव किया था लेकिन उन्होंने अपनी बात सदन के सामने कही है । मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि सारा कन्फ्यूजन जो कुछ भी माननीय सदस्य के दिमाग में है वह इसकी वजह से है कि यह 'हाली' का शब्द इसमें आ गया है और 'हाली' का शब्द आने की वजह से चूंकि काश्तकार जिसके पास ज्यादा जमीन होती है वह हायर्ड लेबर, जिनको हाली कहते हैं, उसको लगाते हैं और अपनी खेती कराते हैं । कुछ तो अपने हाथ से भी करते हैं और कुछ इस प्रकार से हाली लगाकर भी कराते है । इसकी वजह से यह बात उनके दिमाग में है कि यदि इस प्रकार सागड़ी की डेफिनिशन है इसमें 'हाल' का शब्द आ जाने की वजह से यह सारा का सारा कन्फ्यूजन हुआ है तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इसके अन्दर इन्सर्ट कराना चाहते हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता ।

लेकिन इस प्रकार की कोई बात हो तो, क्योंकि सब-क्लॉज (२) के अन्दर, "is also called, and includes, the Hali system prevailing in some parts of the State and"

यहां तक के शब्द डिलीट करने के लिए तैयार हूँ और उसकी वजह से यह हो जायेगा

"The Sagri system, as defined above, includes any other like system of advance of loans prevailing in any part of the State, by whatsoever name it may locally be called, of which the rendering of labour or personal service is an ingredient."

श्री भैरोंसिंह : It makes no difference.

श्री श्रीभानसिंह : It does clarify the definition.

श्री भैरोंसिंह : सागड़ी को भी कई स्थानों में हाली कहते हैं । उनको जयपुर और शेखावाटी में हाली कहेंगे, लेकिन दूसरे स्थानों पर उनको हाली नहीं कह सकते; बल्कि उनको भी सागड़ी कहते हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने यह ओपीनियन दी कि इसमें अगर यह डिलीट हो जाता है तो जो भ्रम आप समझते हैं, हाली 'लफ्ज़' की वजह से अगर कोई पैदा होता है तो वह हटाया जा सकता है और मैं समझता हूँ कि इसमें और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती, क्योंकि डेफिनिशन के अन्दर बिल्कुल स्पष्ट दर्ज है कि जो कुछ भी रुपया एडवान्स किया गया है उसको एक स्पेसिफाइड टाइम के अन्दर अपने खुद का लेबर देकर, चाहे दूसरे को हायर्ड कराकर, चाहे किसी फेमिली के मेम्बर का लेबर देकर वह कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह सिस्टम जो कि थोड़ा सा रुपया एडवान्स करके जरूरतमन्द को जरूरत की वजह से रुपया देकर हमेशा के लिए एक कम्पल्सरी उनके लेबर के जरिये से पेमेंट करना चाहते हैं, यह सिस्टम खराब है। यह मन्जूर नहीं किया जा सकता है। आप यह कहें कि हायर्ड लेबर के विरुद्ध है, वह ठीक है कि आप किसी आदमी को कहें कि तुम नौकरी करो तो तनख्वाह देंगे वह इसमें नहीं आता है। इस सिस्टम में...........

श्री भैरोंसिंह : ऐसा नहीं कहा है। वह एडवान्स पेमेंट चाहता है....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एडवान्स पेमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ी देर के लिए एडवान्स कर दें और अगर माहवारी तनख्वाह मुकर्रर करते हैं कि माहवारी तनख्वाह यह है उस हिसाब से मिलता जायगा, वह इस एडवान्स में नहीं आता है।

श्री भैरोंसिंह : वह एडवान्स पेमेंट जो लिया जाता है उसका पेमेंट माहवारी तनख्वाह के आधार पर होगा, यह व्यवस्था होती है उसमें। वह आदमी सागड़ी या हाली की प्रथा में कम्पल्शन है, क्योंकि पैसा देना है इसलिए काम करना पड़ेगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसके अन्दर ऐसा है, बहुत सारे केसेज में देखा गया है जिनमें साफ तौर पर लिखा है कि तुमको २००) रु० कर्ज के लिये दिये गये हैं और साल भर तक हाली का काम करोगे; इसमें बिल्कुल ऐसा कम्पल्शन हो गया है। वह २००) रु० के अन्दर साल भर तक गुलाम बन कर रहता है। यह ऐसी बात नहीं है। इन सारे केसेज को अच्छी तरह से एग्जामिन किया गया है, बल्कि जिन लोगों के यहां बही चोपड़ों के अन्दर शर्तें लिखी हैं उनको देखा गया है और देखने के बाद सारी बातों को देखकर यह सोचा गया है कि इस प्रकार का कम्पल्शन करते हैं, इस प्रकार की गुलामी करते हैं यह बिल्कुल गलत है, और एक तरह से स्लेवरी के रूप से, अपने दास के रूप में रुपया एडवान्स करने के लालच से वह इस प्रकार से नौकरी कराते हैं तो यह सिस्टम ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे माफ करें, एक पॉइन्ट पर क्लेरिफिकेशन करा लूं। अमुक आदमी ने अमुक लेबर को ५००) रु० दे दिये और उसे देने के अगेन्स्ट में माहवारी पेमेंट होगा, उसके बारे में वह यह तो लिखेगा कि ५००) रु० इस व्यक्ति को दिये। माहवारी तनख्वाह के हिसाब से वसूल किया जायगा। यह व्यक्ति माहवारी नौकर रहेगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह एडवान्स में नहीं आता है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि....

श्री भैरोंसिंह : आता है । उसको एडवान्स दिया गया है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एडवान्स जो कुछ भी उसने लिया है इस सिस्टम में आप पेमेंट उसका माहवारी तनख्वाह जो कुछ भी है वह नहीं टेकर कर रहे हैं । माहवारी तनख्वाह आप देंगे उससे काट लेंगे; that dose not come.

श्री भैरोंसिंह : दूसरे हाली सिस्टम को इस सिस्टम में एम्प्लॉई कहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : So you have now concluded your reply. I presume, the amendment is under clause 2, sub-clause (2). Omit 'is also called and includes the Hali system prevailing in some parts of the State and" It is under sub clause (2)—"The Sagri system, as defined above..."

श्री भैरोंसिंह : आगे जब इस प्रकार के नाम और रखे गये हैं इन नामों को हटाया या नहीं, ये सारे सुपरफ्लुअस हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : So I put it to vote now.

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज (२) के अन्दर;

"Omit is also called and includes, the Hali system prevailing in some parts of the State and "

यह संशोधन स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज (२) संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ३ से ७....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज ५ पर बोलना है । मैं इसका विरोध करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ३ और ४ विधेयक के अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ और ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

Do you want to oppose clau se5

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं क्लॉज़ ५ का विरोध करता हूँ । मेरा विरोध उसी बात से सम्बन्धित है जिस बात को माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है । माननीय मन्त्रीजी भी इस स्थिति में अवश्य आ गये कि हाली का नाम रखने के कारण वह जो एलिमेन्ट है कम्पल्शन का हायर्ड लेबर के अन्दर जो आता है वह कम्पल्शन का एलिमेन्ट यदि हाली का नाम रखा जाता है तो कम्पल्शन का एलिमेन्ट होते हुए भी उसको स्वीकार कर लेंगे तो टिनेन्सी एक्ट के प्रोविजन के अगेन्स्ट में जायगा । इसलिए 'हाली' शब्द को हटा

(श्री भैरोंसिंह)

दिया जाय। अब 'हाली' शब्द को हटा देने और उस हटाने के अन्दर सरकार ने स्वीकार किया है एलिमेन्ट ऑफ कम्पल्शन यदि एडवान्स के रूप में या लेबर के रूप में या सीज़नल लेबर के रूप में आता है तो उसके ऊपर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, तो उसके कारण से कुछ डिफिकल्टीज़ पैदा हो सकती हैं और एक नई डिफिकल्टी क्रिएट की गई है। उस डिफिकल्टी का मतलब क्या है? कोई भी आदमी किसी आदमी को लेबर एन्गेज करता है हायर्ड लेबर, तो जैसा कि मैंने पहले निवेदन कर दिया कि हायर्ड लेबर की परिभाषा में नहीं है और जहां वह परिभाषा नहीं है तो हायर्ड लेबर को किसी भी नाम से कहें वह दिमाग के अन्दर नहीं आ सकता है; सागड़ी कहें, हाली कहें, मजदूर कहें, किसी भी रूप में कहें, उस सिस्टम के नाम पर हाली की संज्ञा दी जा सकती है। कौन हाली है, कौन आदमी एडवान्स पेमेन्ट लेकर अपनी सर्विसेज़ दे रहा है, किस आदमी के सामने एलिमेन्ट ऑफ कम्पल्शन वह हुआ है, किस आदमी ने मजबूरी के कारण दासता या गुलामी स्वीकार की है, यह सारा काम जो रुपया देता है तो रुपया देने वाले को साबित करना पड़ेगा कि कम्पल्शन का कोई एलिमेंट नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है: मैं बम्बई हाई कोर्ट का एक रूलिंग प्रस्तुत कर सकता हूँ, जिस बम्बई हाई कोर्ट के रूलिंग के अन्दर किसी एक केस के अन्दर यह नहीं कहा है कि गिल्ट के बारे में बर्डन ऑफ प्रूफ कि वह आदमी इस प्रकार का अपराधी नहीं है इस बात को साबित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो अपराधी डिक्लेअर करवाने की कोशिश करते हैं उनको साबित करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : This is a common principle of criminal law. There is no controversy in it.

श्री भैरोंसिंह : परन्तु रूलिंग किसी एक केस के बारे में हुई है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक कानून जो बनता है उससे और ज्यादा डिफिकल्टी पैदा नहीं हो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सरकार आपके कहने के अनुसार कि जनरल प्रिन्सिपल ऑफ लॉ है उसके अगेन्स्ट के अन्दर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके अन्दर डालना चाहते हैं जो किसी को एम्प्लॉय या एन्गेज करता है। अब प्रश्न यह आता है कि कोई हाली जिसको रुपया एडवान्स किया है वह कोर्ट में जाकर कहे कि मुझे इस कानून के अनुसार सागड़ी प्रथा पर या हाली प्रथा पर जिसको सरकार ने रोकने की कोशिश की है उसी प्रकार से करता है तो दूसरे आदमी पर बर्डन ऑफ प्रूफ डाला गया है कि जिस आदमी को मैंने लेबर एन्गेज किया है वह लेबर इस प्रकार का नहीं है जिसको इस कानून के कारण से रोका गया है। आवश्यकता इस बात की थी कि जिस पर इस प्रकार को पाबन्दी है कि जिसका पारिश्रमिक खरीदा गया है, दास बनाया गया है वह इस बात को साबित करे कोर्ट में कि अमुक व्यक्ति ने लेबर के रूप में, दास के रूप में, एन्गेज किया है। इसका मतलब यह होगा स्पष्ट रूप से मैं निवेदन करूंगा कि हाली से काम के मामले में झगड़ा हो गया, लेनदेन के मामले में झगड़ा हो गया, काम करने के बारे में झगड़ा हो गया, काम करता है तो अमुक प्रकार से काम नहीं करता है इसी पर

(श्री भैरोंसिंह]

झगड़ा हो गया, पेमेन्ट के बारे में झगड़ा हो गया तो वह आदमी कोर्ट में एप्लीकेशन देगा कि इस कानून के अनुसार उसको दास रखा है। उसने एक एप्लीकेशन दे दी। उस एप्लीकेशन के कारण कोर्ट नोटिस देगा वह इस बात को सिद्ध करेगा कि वह दास नहीं है। सिद्ध करने का जो सारा प्रोसेस कानूनी चलता है वह चलेगा। वह मजदूर निकल गया, पेमेन्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके लिए तो मुसीबत हो गई। ऐसी स्थिति में सरकार से निवेदन करूंगा कि हायर्ड लेबर, दास प्रथा, सागड़ी प्रथा की जो परिभाषा दी है उस परिभाषा के अनुसार कोर्ट का काम है किसी झगड़े में इस पॉइन्ट को इन्टरप्रेट करने का कि हाली प्रथा, दास प्रथा बाकी की चीजें कौनसी हो सकती हैं ? किस प्रकर के व्यक्ति को इस कानून से सागड़ी कहा जा सकता है ? किस प्रकार के व्यक्ति को ऐसा कहा जा सकता है ? किस चीज को सरकार ने रखा है ? वैसी स्थिति में कानून की परिभाषा का इन्टरप्रिटेशन करना कोर्ट का काम है। मैं समझता हूँ कोर्ट के इन्टरप्रिटेशन को धारणा के नाम पर सीमित करना उचित नहीं होगा। कानून न धारणाओं पर बनते हैं, न लेजिस्लेटिव असेम्बली धारणा के आधार पर कानून बनाने की इजाजत दे सकती है। जुर्म हुआ या नहीं this is for the court to interpret and not for the legislative Assembly लेकिन सरकार के न मालूम क्या एप्रिहेन्शन्स हैं जिनको सामने रखकर व्यवस्था करदी। यदि धारणा बनती है तो सिद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार की बात आती है तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार अपनी मंशा को छिपाना चाहती है लेकिन कानून के संबंध में शब्दों के इन्टरप्रिटेशन को लेकर किस प्रकार डिकरेज किया जाय, इसकी मिसाल लाकर सरकार अड़चन पैदा करना चाहती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज को हटाने के बाद ऐसी प्रथा या सागड़ी प्रथा चल नहीं सकती, कानून बनते ही वह समाप्त होगी। कानून बनाया है तो कौन इसमें आता है, कौन नहीं आता है, यह आपकी चिन्ता का विषय नहीं है, कोर्ट इसकी चिन्ता करेगा। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस क्लॉज को हटा दीजिये, नहीं तो कोर्ट का दायरा सीमित होगा, मुकद्दमेबाजी में परेशानी होगी। कानून अमल में आ सकता है, इसमें कॉम्प्लीकेशन नहीं है, इसलिए आप इसको हटा दीजिये। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कॉम्प्लीकेटेड धारा को रखने की आवश्यकता नहीं है, यदि इसको रखेंगे तो इसमें कॉम्प्लीकेशन होगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग-मंत्री) : माननीय सदस्य ने जो विचार प्रकट किये हैं कि क्लॉज ५ को नहीं रखना चाहिये क्योंकि आपका कहना है कि जो कोई शख्स इससे इफेक्टेड होगा उसको जाकर प्रूव करना होगा कि जो कुछ एंगेजमेन्ट ऑफ लेबर है या पर्सनल सर्विस है वह किसी लोन के एडवान्स से अलग है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि क्लॉज ५ नहीं रखा जाता है जिसमें कि स्पष्ट दर्ज है कि जो एडवान्स दी गई रकम है, शायद आपको मतलब समझने में गलतफहमी हुई है, यह इस प्रकार है :

"In relation to every transaction

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

made after the date of the commencement of this Act, whereby a creditor advances loan to a debtor and also engages him or any member or members of his family or his hired servant or labourer or his relations to render any labour or personal service to or for the benefit of himself (the creditor) or any person named by him in this behalf, it shall be presumed that the loan was advanced on the Sagri system unless it is satisfactorily proved that such engagement on labour or personal service was altogether independent of the advance of the loan."

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बार बार प्रेस करना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि जो लोन एडवान्स किया है वह लेबर रेन्डर करने के कारण किया है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोन का एडवान्स सेपरेट ट्रान्जेक्शन है और लेबर सेपरेट ट्रान्जेक्शन है। आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, इससे गलतहफमी होगी। आप बताना चाहते हैं कि काम करने के कारण रुपये देते हैं, लेकिन यह अलग चीज है। हो सकता है कि एग्रीमेंट कर सकता है कि जो कुछ उसे लेबर से मिलेगा उसे लोन में अदा कर देगा। This is a different matter.

श्री भैरोंसिंह : मंत्रीजी ने उल्टा कॉम्प्लीकेशन किया है। आपने बताया कि एडवान्स का पेमेन्ट यदि कोई मजदूरी से करना चाहता है वह शामिल नहीं होगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Transaction must be independent.

अब बात यह आती है कि प्रूव करने के लिये कौन जिम्मेदार है, वही प्रूव करे जिसने रुपये दिये हैं........

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ५, ६ व ७ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ५, ६ और ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन विधेयक, १६६१ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

We now adjourn to meet to-morrow at 11 A. M.

(तदनन्तर ४.५५ म. प. पर सदन की कार्यवाही दिनांक १२ सितम्बर, १६६१ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

Page No.104

वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई :—

1. The Rajasthan Relief Undertakings (special Provisions) Bill, 1961.
2. The Jaipur Matmi Rules (Validation) Bill, 1961.
3. The Rajasthan Government Grants Bill, 1961.
4. The Rajasthan Mo uments, Archaeological Site and Antiquities Bill, 1960.

वे विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई :—

1. The Rajasthan Finance Bill, 1961.
2. The Rajasthan Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 1961.
3. The Rajasthan Agricultural Income tax (Amendment) Bill, 1961.
4. The Marwar Marriage Fund Administration Bill, 1961.
5. The Rajasthan Bhoodan-Yagna (Amending and Extending) Bill, 1961.
6. The Rajasthan Land Revenue (Amendment) Bill, 1961.

३. सदन की मेज पर रखे गये पत्र

निम्नांकित पत्रादि सदन की मेज पर रखे गये :— ५३

(क) अध्यादेश

(१) राजस्थान म्युनिसिपल निर्वाचन (वैधकरण) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या २ सन् १९६१),

(२) राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या ४ सन् १९६१),

(३) राजस्थान आबकारी (संशोधन अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या ३ सन् १९६१) तथा

(४) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या ५ सन् १९६१)

(ख) अधिसूचनायें ५४

(१) होम 'बी' विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १ (७) (१) एच. (बी.जी.आर. १) ५९, दिनांक २९ मई, १९६१, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ के

स्कम्भ

नियम १०८ में संशोधन किया गया है,

(२) होम 'बी' विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १ (१) (६) एच. (बी.जी.आर. १) ६१, दिनांक १० जुलाई, १९६१, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स कर नियम, १९५१ के नियम १६ में संशोधन किया गया है, तथा

(३) आबकारी तथा कर विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ५ (१०५) ई. एण्ड टी. ।६०, दिनांक २८ जून, १९६१, जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ में संशोधन किये गए हैं।

(ग) नियम ५५

(१) राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (जनरल) नियम, १९६१ तथा

(२) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (डिक्लेरेशन ऑफ कृषि निपुण) नियम, १९६१।

(घ) रिपोर्ट ५६

गंगानगर, शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर, के ३० जून, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित डाइरेक्टरों की रिपोर्ट एवं तत्सम्बन्धी लेखों का विवरण

स्कम्भ

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय की वृद्धि ५६

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, के प्रस्ताव पर राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १९६१ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को दिनांक ११ सितम्बर, १९६१ तक बढ़ा दिया गया।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन ५८

(१) श्री भोलानाथ, सभापति, प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ ने शिक्षा विभाग से सम्बन्धित समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया,

(२) श्री चन्दनमल बैद, सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, १९६१-६२ ने समिति के चौथे एवं पांचवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया,

(३) श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री ने राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १९६१ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन किया, तथा

(४) श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि

मन्त्री, राजस्थान राज्य पशु मेला विधेयक, १६६१ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

६––विधायी कार्य

(क) पुरःस्थापित किए गए विधेयक ६५

निम्नांकित विधेयक पुरःस्थापित किए गए :––

(१) राजस्थान म्युनिसिपल निर्वाचक (वैधकरण) विधेयक, १६६१ (अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखा गया),

(२) राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १६६१,

(३) राजस्थान नाटकीय प्रदर्शन तथा मनोरंजन (संशोधन) विधेयक, १६६१,

(४) अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) विधेयक, १६६१ तथा

(५) राजस्थान उद्योगों के लिए राजकीय सहायता विधेयक, १६६१

(ख) विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान सागरी प्रथा उन्मूलन विधेयक, १६६१ ६६

श्री रिखबचन्द धारीवाल, उद्योग मन्त्री, के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये, श्री भैरोंसिंह (४) ने इस आशय का संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस पर किए गए वाद-विवाद में २१ सदस्यों ने भाग लिया। उद्योग मन्त्री के उत्तर के पश्चात् श्री भैरोंसिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाकर, विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

सदन की बैठक ४ बजकर ५५ मिनट पर मंगलवार, दिनांक १२ सितम्बर, १६६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक १२ सितम्बर, १६६१ की कार्य-सूची

१. राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता विधेयक, १६६१ (खण्डशःविचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर देखिये)

क्रमांक	फैक्ट्री का नाम	व्यक्ति का नाम	रकम	विवरण
१	कॉटन जीनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्री, शाहपुरा	मेसर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, शाहपुरा	५२,५०० रु०	अक्टूबर ५७ में बेची गई।
२	काटन जीनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्री, गुलाबपुरा	काटन जीनिंग एवं प्रेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, गुलाबपुरा	२,११,१११ रु०	
३	आइस फैक्ट्री, डूंगरपुर	श्री राजेन्द्रप्रसाद, आगरा	२,५०० रु०	अक्टूबर ५७ में बेची गई थी परन्तु बाकी रकम जमा न होने से अर्नेस्ट मनी फोरफीट कर लिया गया व कार्यवाही जारी है।
४	कॉटन जीनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्री, कपासन	श्री जमकूलाल सोमानी	१,६०,००० रु०	अक्टूबर ५७ में बेची गई।
५	कॉटन जीनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़	पीपुल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, चित्तौड़गढ़	१,८०,००० रु०	दिसम्बर ५७ में बेची गई।

INDUSTRIES AND SUPPLIES DIRECTORATE RAJASTHAN, JAIPUR.

The Government of Rajasthan invite offers from the parties desirous of purchasing the following factories belonging to the Government of Rajasthan :—

S. No.	Name of the factory	Location	Conditions and details of major machinary.
1.	Cotton Ginning and Pressing Factory	Chhotisadri via Neemuch Western Rly. Distt. Chittorgarh.	50 Gins, one press plant, two boilers, Gin and press Engines etc. in working condition.
2.	—do—	Shahpura via Sareri Western Rly. Distt. Bhilwara	38 Gins, one press plant, two boilers gins and press engine etc. in working condition.
3.	Cotton Pressing Factory.	Mandawar, Western Rly. Distt. Sawai-Madhopur.	One Press plant complete with boiler and engine in working condition.
4.	—do—	Pench-ki-baori via Bundi.	One Press plant complet lying closed since last 20 years.
5.	Govt. Cotton Ginning & Pressaing Factory	Kapasin	Details enclosed.
6.	Govt. Cotton Ginning & Pressing Factory.	Chittorgarh	—do—
7.	Govt. Cotton Ginning & Pressing Factory.	Bhilwara	Land and building will no be sold. The machinery installed in the premises will have to be removed.

1	2	3	4
8.	Govt. Cotton Ginning & Pressing Factory	Gulabpura	The portion of the land and building excluding portions wherein machinery has been installed will not be sold as it has been resumed for other purposes.
9.	State Cotton Ginning & Pressing Factory,	Tonk	Details renclosed.
10.	Oil Mill.	Kotah Central Rly.	Plant and machinery only. Land and building will not be sold. The machinery installed will have to be removed.
11.	Ice and Aereated Water Factory.	Bikaner	One complete Ice Plant of two tons capacity with aerated water machine--Land and building w ll not be sold. Machinery installed will have to be removed.
12.	Ice and Aeratcd Water Factory	Dungarpur.	Ice Plant.

Offers may be made for an individual Factory or for all the factories collectively. But the parties sending an offer for all the factories collectively should give their terms and offer for each individual factory also.

The sale of a factory will, except where otherwise stated herein include land and building, Plant machinery and loose tools, minor equipments furniture, wells, tanks other structures and sto es etc. as per statement enclosed. The land and building of the Ice and Aerated Water Factory Bikaner, Cotto Ginning & Pressing Factory, Bhilwara and oiloimill at Kotah and portions of the Gulabpura factory will not be sold, in case in which land and bulinding has not been sold. The purchaser shall have to remove the machinery etc. within one month from the date of acceptance of the offer.

The condition of the factory and machinery can be seen at site where all relevant information and details will be furnished. The following officars should be referred to for the factories mentioned agianst each namely:—

1.	Assistant Director of Industries & Commerce, Udaipur.	Ginning & Pressing Factories Chotisadri and Shahpura, Kapasin Bhilwara, Chittorgarh, Gulabpura and Doongarpur Ice Factory.
2.	Assistant Director of Industries & Commerce, Jaipur.	Cotton Press Mandawar.
3.	Assistant Director, Industries & Commerce, Bharatpur.	Cotton Press pench-ki-baori and Oil Mill Kotah.
4.	Assistant Director Industries & Commerce, Bikaner.	Ice and Aerated Water Factory, Bikaner.

The Government of Rajasthan reserves the right to aceept any or reject all offers without assiging any reason threrefor.

Every offer must be acoompaned by 1/10 of the amount of offer in Bank Draft in favour of the undersigned as earnest money without which the offer will not be considered. This amount will be refunded in case of those whose offers are not accepted and in the case of a person whose offer is accepted this amount will be adjusted towards the amount of sale price. The balance of the purchase price shall be deposited within a week of the acceptance of the offer. Failure to comply with this condition will result in the forefeiture of the earnest money and Govt. will be at liberty to cancel the offer and sell the factory to any other party. No sale shall be complete until proper instruments have been executed to evidence such sale.

The offers should be sent under sealed envelops superscribed with the words, offer for the purchase of Government Factories, and should reach the undersigned on or before 6th Sept., 1957 at 11. A. M.

Offers received in accordance with this notice will be opened on 8th Sept. at 12 noon in the office of the undersigned in the presence of such

parties as have sent offers and choose to remain present either by themselves or thirouga their authorised agents. The detailed lists of the machineries, buildings,land of the factories can be had on application from the office of the Commissioner for Industries, Rajasthan, Jaipur.

Sd. K. N. Mathur
For Cominissinor for Industries.
RAJASTHAN

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर देखिये)

किराए के भवनों की सूची :—

क्रमांक	नाम शाला	तहसील	स्वीकृत रुपया प्रति मास
१.	राजकीय माध्यमिक शाला, मानपुर	जमवा रामगढ़	५ रुपये
२.	राजकीय माध्यमिक शाला, गोविन्दगढ़	आमेर	५ रुपये
३.	राजकीय माध्यमिक शाला, मौजमाबाद	दूदू	७ रुपये
४.	राजकीय माध्यमिक शाला, खेजरोली	आमेर	५ रुपये
५.	राजकीय माध्यमिक शाला, जुमवा रामगढ़	जमवा रामगढ़	१० रुपये
६.	राजकीय माध्यमिक शाला, मनोहरपुर	बैराठ	२० रुपये
७.	राजकीय माध्यमिक शाला, चौमू	आमेर	२५ रुपये
८,	राजकीय माध्यमिक शाला, फागी	फागी	२१.२५ रुपये
९.	राजकीय माध्यमिक शाला, फुलेरा	फुलेरा	४७.५० रुपये
१०.	राजकीय माध्यमिक शाला, चाकसू	चाकसू	३५ रुपये

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर देखिये)

DIRECTORATE OF SOCIAL WEIFARE RAJASTHAN, JAIPUR.

LIST OF SCHEDULED TRIBES, SCHEDULED CASTES AND OTHER BACKWARD CLASSES IN RAJASTHAN

(A) SCHEDULED TRIBES :

I. Throughout the state except Ajmer Distt., Abu Road Taluka of Sirohi Distt. and Sunel Tappa of Jhalawar Distt.

1. Bhil
2. Bhil Mina
3. Damor, Damaria
4. Garasia (excluding Rajput Garasia)
5. Mina
6. Sehria Sahariya.

II In Ajmer Distt :

1. Bhil
2. Bhil Mina

III In Abu Road taluka of Sirohi Distt :--

1. Bharda
2. Bavacha or Bamcha
3. Bhil, including Bhil Grarasia Dholi Bhil Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia Bhil, Pawra, Vasava and Vasave. Bhailala
4. Chodhara
5. Dhanka including Tadvi. Tetaria and Valvi.
6. Dhodia

7. Dubla including Talavia or Halpati.

8. Gamit or Gamta or Gavit including Mavchi, Padvi, Vasava, Vasave and Valvi.

9. Gond or Rajgond.

10. Kathodi or Katkari including Dhor Kathodia or Dhor Katkari & Son Kathodi or Son Katkari.

11. Kukna

12. Koli Dhor, Tokna Koli, Kolcha or Kolgha

13. Naikda or Nayaka including Cholivala Nayaka Kapadia Nayaka Mota Nayaka and Nana Nayaka.

14. Pardhi including Advichincher and Phanse Pardhi

15. Patelia

16. Pomla

17. Rathawa

18. Varli

19. Vitolia, Kotwala or Barodia

IV <u>In Sunel Tappa or Jhalawar. Distt :</u>

1. Gond

2. Korku

3. Seharia

(B) SCHEDULED CASTES

1. Throuhgout the state except Ajmer Distt, Abu Road Taluka of Sirohi Distt. and Sunel Tappea of Jhalawar Distt :—

1. Adi Dharma,
2. Aheri
3. Badi
4. Bagri
5. Bairwa or Berwa
6. Balai
7. Bajgar
8. Bansphor
9. Bargi, Vargi or Bingi
10. Bawaria
11. Bedia or Beria
12. Bhand
13. Bhangi
14. Bidakia
15. Bola
16. Chamar, Bhambhi, Jatav, Jatia Mochi Raidass, Raigar or Ramdasia
17. Chandal
18. Chura
19. Dabgar
20. Dhankia
21. Dheda.
22. Dome
23. Gandia
24. Garancha Mehtaror Gancha Garo,
25. Garura, or Gurda
26. Gavaria
27. Godhi
28. Jingar
29. Kalbelia
30. Kamad or Kamadia
31. Kanjar
32. Kapadia Sansi
33. Khangar
34. Khatik
35. Koli or Kori
36. Kooch Band
37. Koria
38. Kunjar
39. Madari or Bazigar
40. Majhabi
41. Megh or Meghwal
42. Mehar
43. Mehtar
44. Nut

45. Pasi
46. Rawal
47. Salvi
48. Sansi
49. Santia
50. Sarbhangi
51. Sarhara
52. Singiwala
53. Thori or Nayak
54. Tingara
55. Valmiki

I. IN AJMER DISTT.—

1. Aheri
2. Bagri
3. Balai
4. Bambhi
5. Bansphod
6. Baori
7. Bagri
8. Bazigar
9. Bhangi
10. Bidakia
11. Chamar, Jatava, Jatia Mochi or Raigor
12. Dabgar
13. Dhanak
14. Dhed
15. Dhobi
16. Dholi
17. Dom
18. Garoda
19. Gancha.
20. Kabirpanthi
21. Kalbelia
22. Khangar
23. Khatik
24. Koli
25. Koria
26. Kuchband
27. Mahar
28. Meghwal
29. Nat
30. Pasi
31. Rawal
32. Sarbhangi
33. Sargara
34. Satia
35. Thori
36. Tirgar
37. Kanjar
38. Sansi

III IN ABU ROAD TALUKA OF SIROHI DISTRICT—

1. Ager
2. Bakad or Bant
3. Bhambi, Bhambhi, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chamar, Chambhar, Chamagar Haralayya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig, Telegu, Mochi, Kamati, Mochi, Ranigar, Rohidas, Rohit or Samgar.
4. Bhangi, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halakhor, Lalbeg, Balmiki Korar or Zadmalli.
5. Chalvadi or Channayya
6. Chenna Dasar or Holaya Dasar
7. Dhor. Kakkayya
8. Garoda or Garo
9. Halleer.
10. Halsar, Haslar, Hulasvar or Halasvar
11. Holar or Valhar
12. Holaya or Holer
13. Lingader
14. Mahar, Taral or Dhegu Megu
15. Mahyavanshi, Dhed, Vankar or Maru Vankar
16. Mang, Matang or Minimadig
17. Mang-Garudi
18. Meghwal or Menghvar
19. Mukri
20. Nadia or Hadi
21. Pasi
22. Shenva, Chenva, Sedma or Ravat

23. Tirgar or Tirbanda
24. Turi.

IV. IN SUNEL TAPPA OF JAHALAWAR DISTT.—

1. Bagri or Bagdi
2. Balai
3. Banchada
4. Barahar or Basod
5. Bargunda
6. Bedia
7. Bhangi or Mehtar
8. Bhanumati
9. Chamar, Bairwa, Bhambhi, Jatav
10. Chidar
11. Dhanuk
12. Dhed
13. Dom
14. Kanjar
15. Khatik
16. Koli or Kori
17. Kotwal
18. Mahar
19. Mang or Manggarodi
20. Meghwal
21. Nat, Kalbelia or Sapera
22. Pardhi
23. Pasi
24. Sansi
25. Zamral

(C) OTHER BACKWARD CLASSES

1. Throughout the state except Ajmer Distt :

1. Banjare
2. Baori
3. Badera
4. Bagaria
5. Bhat
6. Bhoi (Sagarvanshi Mali)
7. Cheeta
8. Chamta
9. Dakot
10. Damami
11. Daroga
12. Dhandi
13. Dhankas
14. Dhobi
15. Dholi
16. Gaderia
17. Gadia Lohar
18. Ghanacha
19. Ghanchi
20. Hazuree
21. Hela
22. Jogi
23. Julaha
24. Kahar
25. Kalal
26. Kangi
27. Kanvi
28. Khant
29. Kharol
30. Kumbhar
31. Lanana
32. Lakhera
33. Lohar
34. Metat and Mer
35. Mehra
36. Maha Brahmin
37. Miras
38. Merasi
39. Mogia
40. Nagarchee
41. Nai
42. Naik
43. Nairia
44. Ood (Beldar)
45. Patwa (Phadal)
46. Pinjara

47. Rai
48. Raona Rajput
49. Rawat
50. Rebbari
51. Sad
52. Sonsi (Senar)
53. Saitya (Sindhis)
54. Sikligbar
55. Kirkiwala
56. Teli
57. Thatera.

II IN AJMER DISTT—

1. Aheer
2. Banjare
3. Cheeta
4. Daroga
5. Dhakad
6. Gadolia
Gujar
8. Jat
9. Kahar
10. Khati
11. Kumbar
12. Lodha
13. Lohar
14. Mali
15. Mena
16. Merat
17. Nai
18. Nayar
19. Rawat
20. Rehbari
21. Sadhu
22. Teli
23. Scheduled Castes who have enmraced christian religibn

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर देखिये)

CRITERIA

FOR MIDDLE SCHOOLS (BOYS) TO BE UPGRADED TO HIGHER SECONDARY SCHOOLS.

1. The total number of students in the middle schools should be at-least 200 with at-least 74 students in the middle section i-e. class VI to VIII.
2. There should be atleast 5 feeder middle schools within a radius of 20 miles.
3. There should be no High School within a radius of 20 miles.
4. The number of students in class IX should be 25. But in case there exists another High/Higher Secondary School within 6 miles. the number of students should be 40.
5. The public should be held responsible for providing necessary buildin and the recurring and non-recurring expenditure for one year which would be about Rs. 15,000/
6. Tehsil Headquarters having no High school should be given preference.
7. It is necessary that all things beings equal, preference should be given to rural areas over the urban.

शुद्धि-पत्र

(सोमवार ११ सितम्बर, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४	६	श्री भैरोंसि	श्री भैरोंसिंह
६	३	कृपाया	कृपया
७	२	हनकी	इनकी
,,	५	धारोवाल	धारीवाल
११	१४	done the concurre nce	done with the concurrence
,,	२२	thhings.	things
,,	२७	फीर्ग्स	फीगर्स
,,	२८	श्रों रिखबखन्द	श्री रिखबचन्द
१७	१५	उवत	उक्त
२१	१४	नवभारत टाइम्म	नवभारत टाइम्स
२३	२२	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
२४	२३	चेप्टा	चेष्टा
२६	२३	जवाव	जवाब
२८	अन्तिम से ४	रेन्पोन्सिबल	रेस्पोन्सिबल
३१	२	हृपये	रुपये
,,	१५	PiriShads	Parishads
३६	२३	Samitis rules	Samitis
३९	७	सख्या	संख्या
४०	१२	डां०	डॉ०
५०	अन्तिम से २	राजाओं	सेवाओं
५४	१४	1960	1961
५५	१८	सशोधन	संशोधन
५६	शीर्षक	पंचागत नियम	पंचायत नियम
,,	१४-१५	लिमिटेड जयपुर	लिमिटेड, जयपुर

१	२	३	४
५६	२२ व २७	उन्मूलन	उत्सादन
५८	४	अ यक्ष	अध्यक्ष
,,	८	उत्पादन	उत्सादन
,,	६	प्रतवेदन	प्रतिवेदन
,,	१२	उन्मूलन	उत्सादन
,,	२३	एपोइन्ट ऑफ	ए पोइन्ट ऑफ
६१	४	नियभ	नियम
६२	१५	Rules 307	Rule 307
,,	२७	(किशनगढ़)	(नसीराबाद)
६३	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री अध्यक्ष)
,,	६	Articles 180	Article 180
६४	२४	पॉयर्स	पॉवर्स
६५	१	I hbve	I have
६६	शीर्षक	सम्बन्धी औचित्य प्रश्न	पुरः स्थापित विधेयक
,,	११	(अयेडमैंट)	(अमेंडमेंट)
,,	१५	अध्यक्ष महोदय,	**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय,
६७	३	रा स्थान	राजस्थान
७०	१	बेवाओं	बेवाओं
,,	६	हली नहीं	हाली नहीं
७२	२२	पर भो	पर भी
७३	२३–२४	तौर फायदा पर उठाना	तौर पर फायदा उठाना

१	२	३	४
७५	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह	(श्री भैरोंसिंह)
,,	१८	कृपात्र	कृपा पात्र
७८	अन्तिम पंक्ति	पर्सन्ल्स	पर्सोनल्स
७९	२९	अध्यक्ष,सागर सिस्टम अबोलिशन	अध्यक्ष,सागरी सिस्टम एबोलिशन
८१	३–४	यह दें	यह कह दें
८४	२	ओनिनियन	ओपिनियन
८९	१०	toclarify	to clarify
,,	२५	पढ़ें	पढ़ें तो
९०	१२	पर्सनल्स	पर्सोनल्स
९९	८	लैब्रर्स	लेबरर्स
१००	२७–२८	मेल्टिंग इस स्पॉट	मेल्टिंग स्पॉट
१०२	११	लपू खीर	लप्पू खीर
१११	शीर्ष	लादूराग	लादूराम
११८	२	(उपाध्यक्ष, पदासीन)	उपाध्यक्ष, पदासीन)
११८	२६	Hon'b e	Hon'ble
१४२	२२	पंचायती जो राज्य	पंचायती राज्य
१४४	९	का शोषण	कर शोषण
१४७	२०	ठीक बात दै	यह ठीक बात है
१५७	२३	नही निलेगा	नहीं मिलेगा
१६७	२२	तौड़ता	तोड़ता
१७२	३१	क्लियर	क्लियर

१	२	३	४
१८६	१२	कम्लीकेडेट	कॉम्प्लीकेटेड
,,	१२-१३	अनेमोलीजी	एनेमोली
,,	२३	इग्जेम्पशन	एग्जेम्पशन
१६४	५	इसमें 'हाल'	इसमें 'हाली'
२०१-२०२	शीर्षक	११ तम्बर	११ सितम्बर
२०८	१४	रष्ट्रपति	राष्ट्रपति
२०६	११-१२	Rajasthan Mouments	Rajasthan Monuments
२१०	४	३-सद की	सदन को
२१३	४	६-विवायी	विवायी
२१६	२१ (कॉलम ४)	plant complet	plant complete
,,	२६ (कॉलम ४)	will no	will not
२१७	१६ (कॉलम ४)	w ll not	will not
,,	२६	shoul g ve	should give
,,	अन्तिम से ५	Bikaner, Cotto	Bikaner, Cotton
,,	,, ,, ४	oilimill at	oil mill at
२१८	२	officars	officers
२१६	,,	or tbirough	or through
२२१	,,	तारंकित	तारांकित
,,	३	WEIFARE	WELFARE
,,	अन्तिम से ६	Gararasia Dholi Bhl	Garasia, Dholi Bhil

१	२	३	४
२२१	अन्तिम से ४	Vasave Bhailapa	Vasave, Bhailala
२२७	,, ,, ५	or Menghva	or Mengsvar
२२८	शीर्षक	टरिशिष्ट	परिशिष्ट
२३२	अन्तिम	Gujar 23 Soheduled castes who have enmraced christian religibn:	7 Gujar 23 Scheduled castes who have embraced Christion religion
२३३	१२	mlle	miles the
,,	१६	15,000/	15,000/-
,,	१८	beings. equal,	be ng equal

———

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१३	२३ व २५]	श्री प्रभुदयाल पुरोहित	श्री प्रभुलाल पुरोहित
१६	१]		
३१	शीर्षक	व्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
१००	”	उन्नूलन	उन्मूलन
१६७	,,	१ सितम्बर	१ सितम्बर
१६३	शीर्ष	श्री भैरोंसिंह	श्री दयाकृष्ण विजय
१६५-१६६	शीर्षक	राजस्थान उन्नूलन	राजस्थान उन्मूलन